

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

दिनांक 28.02.2020

खण्ड-1, अंक-7

अधिकृत विवरण



विषय सूची

शुक्रवार, 28 फरवरी, 2020

शोक प्रस्ताव	(1)1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(1)2
हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व विधायक / डी.ए.वी. कालेज, सढ़ौरा, जिला यमुनानगर के छात्रों व अध्यापकगण का अभिनन्दन	(1)9
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(1)10
स्वतंत्रता सेनानी एवं स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समिति के अध्यक्ष का अभिनन्दन	(1)22
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(1)23
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए	
तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(1)46
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(1)48
शून्यकाल का मामला उठाना	(1)49
वर्ष 2020–21 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना	(1)52

हरियाणा विधान सभा
शुक्रवार, 28 फरवरी, 2020

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैकटर-01, चण्डीगढ़ में दोपहर से पूर्व 11.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री ज्ञान चंद गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी शोक-प्रस्ताव रखेंगे।

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला) : स्पीकर सर, यह सदन पूर्व मंत्री श्री भागी राम की धर्मपत्नी श्रीमती परमेश्वरी एवं पूर्व विधायक श्री बलवंत सिंह के भाई श्री नाथी राम जी के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने अभी जो शोक प्रस्ताव सदन में रखे हैं, मैं भी अपने को उनके साथ जोड़ते हुए अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और अपनी तरफ से शोक व्यक्त करता हूं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह उन दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें ताकि उनकी आत्माओं को शांति प्राप्त हो सके।

मैं इस सदन की भावनाओं को शोक-संतप्त परिवारों के पास पहुंचा दूंगा। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि इन महान आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करें।

(इस समय सदन में उपस्थित सभी सदस्यों ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दो मिनट का मौन धारण किया ।)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल शुरू होता है।

Total Number of Government Girls College

*224. **Shri Ram Kumar Kashyap :** Will the Education Minister be pleased to state

- (a) the total number of Government Girls Colleges in State;
- (b) the number of new Government Girls Colleges opened by the Government in State in the last five years; and
- (c) the number of new Government Girls Colleges proposed to be opened by the Government in State?

प्रिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल) : श्रीमान् सम्बन्धित संख्याएं हैं:-

- (क) 61;
- (ख) 30; तथा

(ग) कोई नहीं।

श्री राम कुमार कश्यप : अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि हमारी सरकार के पिछले पांच वर्ष के शासनकाल के दौरान प्रदेश में 30 नये कन्या महाविद्यालय खोले गए। यह सरकार का एक बहुत अच्छा प्रयास है। मैं इसके लिए अपनी सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। इसके साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी को यह भी बताना चाहूंगा कि मेरा हल्का इंद्री एक बहुत ही लम्बा-चौड़ा हल्का है। मेरे हल्के से पिछले काफी समय से एक कन्या महाविद्यालय खोलने की मांग निरंतर उठती रही है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इंद्री हल्के में कन्या महाविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है?

श्री कंवर पाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को यह बताना चाहूंगा कि वर्तमान समय में गांव मटक माजरी में एक गवर्नर्मैट कालेज चल रहा है। गांव मटक माजरी इंद्री से केवल दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी प्रकार से करनाल में एक गर्ल्स कॉलेज चल रहा है। ऐसे ही करनाल शहर के अंदर दो गवर्नर्मैट एडिड कॉलेज चल रहे हैं। इसके अलावा इंद्री के पास ही बुद्धा कॉलेज के नाम से एक को-एजुकेशन का कॉलेज चल रहा है। इसके साथ ही तरावड़ी में भी एक गर्ल्स कालेज चल रहा है और इंद्री की तरावड़ी से दूरी मात्र 16 या 17 किलोमीटर है।

श्री राम कुमार कश्यप : अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि हरियाणा प्रदेश में 61 कन्या महाविद्यालय हैं। यह एक बहुत अच्छी संख्या है। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी को सुझाव है कि इस संख्या को और भी बढ़ाया जाना चाहिए और कम से कम प्रत्येक विधान सभा हल्के में एक कन्या महाविद्यालय होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इन सभी 61 कन्या महाविद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए कॉलेज के बाहर सरकार की तरफ से महिला पुलिस का प्रबन्ध किया गया है? इसी प्रकार से कितने कन्या महाविद्यालयों में लड़कियों के लिए घर से कॉलेज तक आने-जाने के लिए सरकार के स्तर पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है?

श्री कंवर पाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को यह बताना चाहूंगा कि वर्तमान समय में कन्या महाविद्यालयों में लड़कियों के लिए घर से कॉलेज तक आने-जाने के लिए सरकार के स्तर पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा

मुहैया करवाने के लिए सरकार द्वारा 180 बसों की व्यवस्था की गई है। जहां तक कन्या महाविद्यालयों के बाहर लड़कियों की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती का प्रश्न है इस बारे में मेरा यही कहना है कि अगर कहीं पर भी कन्या महाविद्यालयों के बारे इस प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो अविलम्ब सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किये जाते हैं।

श्री सोमवीर सांगवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह जानकारी लाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2016 में दादरी को जिला बनाया गया था। जिला होने के बावजूद भी अभी तक भी वहां पर कोई सरकारी महाविद्यालय नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार के स्तर पर कोई ऐसी प्रपोजल विचाराधीन है कि दादरी जिले में जल्दी से जल्दी एक गवर्नर्मैट कॉलेज की स्थापना की जायेगी?

श्री कंवर पाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को यह बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की है कि 20 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई भी कॉलेज नहीं है तो वहां पर कॉलेज की स्थापना की जायेगी। जैसा अभी माननीय साथी ने प्रश्न किया है उस सम्बन्ध में मेरा यही कहना है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप दादरी के भी 20 किलोमीटर के दायरे में कोई कॉलेज नहीं है तो वहां पर भी अतिशीघ्र ही कॉलेज खोलने की व्यवस्था की जायेगी।

.....

Maintenace Work of Swimming Pool

***60. Rao Dan Singh:** Will the Minister of State for Youth Affairs be please to state whether it is a fact that the manitenace work of the swimming pool in Mahendragarh has not been perfomed properly for the last few Years; if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to start the abovesaid swimming pool in the coming season?

खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री (श्री संदीप सिंह) : श्रीमान जी, नहीं महेन्द्रगढ़ में तरण ताल के लिए बिजली कनैक्शन जारी किया जा रहा है और उसके बाद तरण ताल शीघ्र ही शुरू कर दिया जाएगा।

राव दान सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम सूखी धरती के जरूर हैं लेकिन पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि तरण ताल में बिना पानी के तैरा जा रहा है। 12 नवम्बर, 2017 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था लेकिन आज तक उसमें ट्यूबवैल के लिए बिजली का कनैक्शन नहीं है। उसमें जो लाईटें लगी हुई थी वे सारी टूट चुकी हैं। रख-रखाव की बात तो छोड़िए जो शिलान्यास और उद्घाटन के पश्चात लगाये गये थे वे भी क्षत-विक्षत हो चुके हैं। दूसरी बात यह है कि जब वहां पर ट्यूबवैल ही नहीं था तो उस तरण ताल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कैसे करवा दिया गया? तीसरी बात यह है कि महेन्द्रगढ़ में इस तरण ताल के साथ में ही चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के समय में इंडोर स्टेडियम बनाया गया था और उसमें बैडमिंटन का कोर्ट था। आज उसके सारे बुडन फ्लोर को दीमक चाट चुकी है। इसी प्रकार से जो दरवाजे थे उनको भी दीमक चाट चुकी है। इस प्रकार से वहां पर लाखों रुपये का जिम का सामान था लेकिन आज उसमें से कुछ भी नहीं बचा है। अगर मंत्री जी चाहें तो मैं उसके फोटो भी दे सकता हूं। इसलिए उसकी मेंटीनेंस भी बहुत जरूरी है। एक बात बहुत अच्छी हुई है और यह हमारा सौभाग्य है कि एक खिलाड़ी को प्रदेश का खेल मंत्री बनाया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो चीजें पहले बनी हुई हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाये, पहले जो चीजें बनी हुई हैं उनका मेंटीनेंस तो जरूर किया जाये। मैं यह भी पूछना चाहूंगा कि यह तरण ताल कब तक चालू कर दिया जायेगा?

सरदार संदीप सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने स्वीमिंग पूल के साथ-साथ स्टेडियम में बैडमिंटन कोर्ट की मेंटीनेंस के बारे में भी पूछा है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वर्ष 2010 में इस तरण ताल के लिए मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी। अर्बन लोकल बॉडीज विभाग ने इसके लिए 3.60 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की और पी.डब्ल्यू.डी. ने इसको बनाया तथा वर्ष 2017 में यह कम्पलीट हुआ है। उस समय इसमें ट्यूबवैल नहीं लगा हुआ था वर्ष 2018 में इसमें ट्यूबवैल लगाया गया है तथा परमीशन होने के बाद बिजली का कनैक्शन अभी नहीं हुआ है। जब से मैंने कार्यभार ग्रहण किया है तो उसके बाद 12.2.2020 को इसके लिए कनैक्शन अप्लाई कर दिया गया है तथा बहुत जल्द इसका बिजली का कनैक्शन शुरू हो जायेगा। जहां तक खिलाड़ियों की बात है तो वर्ष 2005 से 2009 तक जिला महेन्द्रगढ़ से 24 नैशनल खिलाड़ी निकले हैं जिनमें

से 10 अलग—अलग खेलों के खिलाड़ी थे और एक स्वीमिंग का खिलाड़ी था। इसी प्रकार से वर्ष 2009 से लेकर 2014 तक 39 नैशनल खिलाड़ी बने थे जिनमें से स्वीमिंग का 1 खिलाड़ी था तथा वर्ष 2014 से 2019 तक 79 नैशनल खिलाड़ी बने हैं जिनमें से 3 खिलाड़ी स्वीमिंग के तथा एक ऐथलैटिक्स का नैशनल खिलाड़ी बना है। वर्ष 2011 में यह महेन्द्रगढ़ का स्टेडियम 8 एकड़ में बना था उसके बाद यह डिवैल्प हुआ है। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि बहुत जल्द बिजली का कनैक्शन जारी हो कर यह तरण ताल शुरू हो जायेगा। मैं खेल मंत्री बाद में हूं और एक खिलाड़ी पहले हूं। मैं दावा करता हूं कि हरियाणा में खिलाड़ियों के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होने दूंगा।

राव दान सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है उसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि महेन्द्रगढ़ में कैनाल गार्ड की कुछ वैकेन्सीज निकली थी और उसके लिए स्वीमिंग जरूरी क्वालीफिकेशन थी। आवेदक को स्वीमिंग आनी जरूरी थी लेकिन हमारे एरिया में स्वीमिंग के लिए कोई जगह नहीं थी। पहले तो गांवों में तालाब होते थे, बावड़ी होती थी जिनमें बच्चे तैरना सीख लेते थे लेकिन अब ये सभी चीजें समाप्त हो चुकी हैं। आजकल तो आप 50 बच्चों को खड़ा करके पूछ लें तो उनमें से मुश्किल से एक—दो बच्चा ही ऐसा होगा जिसको स्वीमिंग आती होगी और वह भी कभी होटल वगैरह में या स्वीमिंग पूल में गया होगा इसलिए वरना तो आज बच्चों को स्वीमिंग आती ही नहीं है। इसीलिए हमने इस तरण ताल की शुरूआत की थी कि कम से कम एक स्वीमिंग पूल तो वहां पर बने ताकि हमारे बच्चे जो सूखी धरती में रहते हैं वे तैरना सीख जाएं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस खेल स्टेडियम का मेंटीनेंस किया जाए तथा इस तरण ताल को जल्दी से जल्दी चालू करवाया जाए। मेरा तो खेल मंत्री जी से यह भी निवेदन है कि वे एक बार उस स्टेडियम का दौरा भी करके आएं ताकि उनको वहां की समस्याओं के बारे में जानकारी मिल सके।

सरदार संदीप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं शायद उनको हरियाणा का आंकड़ा मालूम नहीं है। फिर भी मैं वहां विजिट करूंगा। हरियाणा में पहले किसी को ये पता ही नहीं था कि किस—किस गेम में इम्प्रुवमैंट की जरूरत है। हम वही काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों से रिक्वैस्ट करता हूं कि हम यहां सदन में

स्टेडियम की जगह गेम इम्प्रुवमैंट के लिए बात करें। जिन ग्राउंड्ज में जिस खिलाड़ी को इम्प्रुवमैंट की जरूरत है हम वहां पर काम करेंगे। जो पैसा हम स्टेडियम्ज में लगाना चाहते हैं वह पैसा हम खिलाड़ियों पर लगाएंगे ताकि हरियाणा के खिलाड़ी ऊपर आएं क्योंकि हरियाणा अभी तक खेलों में नं.-1 है इसलिए इसको हम डायनासोर नहीं बनाना चाहते हैं। इसको हम ऊपर लेकर आना चाहते हैं क्योंकि स्पोर्ट्स तभी ऊपर आएगा जब हम सभी मिलकर इसको सपोर्ट करेंगे।

हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व विधायक / डी.ए.वी. कॉलेज सढ़ौरा जिला यमुनानगर के छात्रों व अध्यापकगण का अभिन्नदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में प्रो. रविन्द्र बलियाला भूतपूर्व विधायक, हरियाणा विधान सभा की विशिष्ट दीर्घा में सदन की कार्यवाही देखने के लिए उपस्थित हैं, मैं सदन की तरफ से उनका अभिनन्दन करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से आज सदन में डी.ए.वी. कॉलेज, सढ़ौरा, जिला यमुनानगर के विद्यार्थी व अध्यापकगण दर्शक दीर्घा में सदन की कार्यवाही देखने के लिए उपस्थित हैं, मैं सदन की तरफ से उनका भी अभिनन्दन करता हूँ।

तारांकित प्र०न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

Status of Four Lane Road

***99. Smt. Shalley Choudhary :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the present status of four lanning of road from Raipur Rani to Naraingarh togetherwith the details thereof ?

Deputy Chief Minister (Dushyant Chautala,) : Sir, the four lanning is proposed in Raipur Rani Town only at an approved cost of Rs. 20.71 crore. It shall be taken up after forest clearance and the balance stretch is to be widened from 7.00m to 10m on which work will be started within 4 months.

श्रीमती भौली चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि रायपुर रानी से नारायणगढ़ रोड पर फोर लेनिंग का कब तक काम शुरू कर दिया जाएगा?

श्री दुश्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने रायपुर रानी से नारायणगढ़ रोड के बारे में पूछा है। जहां तक वाइडनिंग की बात है। रायपुर रानी के अन्दर फोर लेनिंग का ऑलरेडी प्रपोजल अप्रुव हो गया है और जल्दी ही रायपुर रानी शहर के रोड को फॉरलेन किया जाएगा। जहां तक माननीय सदस्या की पूरी सड़क की बात है वह दो हिस्सों में है। नारायणगढ़ से भूरेवाला रोड माननीय सदस्या की विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है और भूरेवाला से रायपुर रानी क्षेत्र पंचकूला विधान सभा क्षेत्र में पड़ता है। जहां तक वाइडनिंग की बात है उसके लिए अभी फोरेस्ट क्लीयरेंस नहीं आई है और जब तक फोरेस्ट क्लीयरेंस नहीं आएगी तब तक उस सड़क को वायड नहीं किया जाएगा। उसके लिए सरकार ने लगभग 20 करोड़ रुपये ऑलरेडी रखे हुए हैं। जैसे ही फोरेस्ट क्लीयरेंस आएगी उस पर हम काम शुरू कर देंगे। जो पंचकूला विधान सभा क्षेत्र का भूरेवाला से रायपुर रानी का हिस्सा है उसके लिए 28.01.2020 को क्लीयरेंस आ चुकी है इसलिए उसके ऊपर अगले चार महीने में काम शुरू हो जाएगा।

श्रीमती भौली चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं उप मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि इसमें कितना समय लगेगा?

श्री दुश्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि फोरेस्ट क्लीयरेंस का जो कार्य है उसमें समय लगता है क्योंकि पेड़ों का संसैक्स होता है उसका अलग से एस्टीमेट्स बनता है। हमारा विभाग तो फोरेस्ट विभाग का जितना पेड़ कटने का लोस होता है उसकी भरपाई कर सकता है इसलिए जब तक फोरेस्ट विभाग की ओर से हमारे पास क्लीयरेंस नहीं आएगी तब तक मैं उस पर आपको क्लीयर टाईम लाईन तो नहीं दे सकता लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हम फोरेस्ट विभाग से टाईअप करके जल्द से जल्द उस पर भी कार्य करेंगे।

श्रीमती किरण चौधरी : उप मुख्यमंत्री जी, कम से कम आप तो यह न बोलिये क्योंकि आपके अधीन तो सारे के सारे विभाग आते हैं।

श्री दुश्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या फोरेस्ट विभाग की मंत्री रही हैं इसलिए इनको भी पता है कि फोरेस्ट विभाग में जो पेड़ों की संसैक्स का कार्य चलता है वह किस गति से चलता है। मैं माननीय सदस्या को विश्वास दिला देता हूं कि जल्द से जल्द जितनी स्पीड से आप काम करती थी, उतनी ही तेजी से हम इसकी क्लीयरेंस लाने का काम करेंगे।

श्रीमती भौली चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ।

Canal Base Water Supply System

***263. Smt. Naina Singh Cahutala :** Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the construction work of canal based water supply system for 53 village of Badhra Assembly Constituency is likely to be completed; if so, the details thereof?

(a) मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान, एक वक्तव्य सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

वक्तव्य

क्र०	नहर आधारित जलधर का नाम	सम्मिलित गांवों की संख्या	अनुमानित राशि (लाख रुपए में)	स्थिति
1	मेहड़ा समूह	6	1772.35	यह प्रस्ताव नाबाड़ में सक्रिय रूप से विचाराधीन है।
2	सिरसली समूह	12	3622.75	यह प्रस्ताव नाबाड़ में सक्रिय रूप से विचाराधीन है।
3	निम्बर बड़ेसरा समूह	35	10528.13	इस प्रस्ताव को वर्ष 2020–21 में नाबाड़ को भेजा जायेगा।

आशा है कि प्रशासनिक अनुमति एवम् नाबाड़ से पर्याप्त राशि आवांटित होने के उपरान्त, इन तीन नहर आधारित जलधरों को पूरा करने में दो वर्ष का समय लगेगा।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सितम्बर, 2018 में खुद मंख्यमंत्री जी इस बारे में कहकर आए थे और इसका 158 करोड़ रुपये का एस्टीमेट भी बना था लेकिन आज तक यह योजना शुरू नहीं हुई। बाढ़ा हल्का सारा ट्यूबवैल पर आधारित है और वहां पर पीने के पानी की बहुत भयंकर समस्या है। वहां लोग जो पानी पी रहे हैं उसका टी.डी.एस. इतना ज्यादा है कि लोगों में पेट व हड्डियों की बीमारी सबसे ज्यादा हो रही है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगी कि जब वहां मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की हुई है फिर भी अभी तक आपने उस पर काम शुरू नहीं किया है। इसके बारे में मंत्री जी मुझे थोड़ा सा बता दें कि यह काम कब तक

(a) Reply given by the Cooperatin Minister

शुरू हो जाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी खुद वहां 158 करोड़ रुपये की ग्रांट देकर आए हैं?

डॉ. बनवारी लाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या की यह बात बिल्कुल ठीक है कि इनकी यह मांग काफी समय से थी लेकिन वहां जमीन की उपलब्धता न होने के कारण उसमें समय लग रहा है। पहले विभाग की स्कीम थी कि इन 53 गांव का एक ही जगह वाटर वर्क्स बनाया जाए लेकिन जगह न मिलने की वजह से इसको तीन ग्रुप में बांटा गया है।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहती हूँ कि बाकायदा इसका प्रपोजल बना हुआ है। इसमें तीन ग्रुप लिए हैं जिसमें पहला ग्रुप गांव निम्बड़—बड़ेसरा जिसको 105 करोड़ रुपये की ग्रांट दी गई है, दूसरा ग्रुप गांव मेहड़ा जिसको 17 करोड़ रुपये की ग्रांट दी गई है और तीसरा ग्रुप गांव सिरसली जिसको 36 करोड़ रुपये की ग्रांट दी गई है। ये 53 गांव जो हैं वे इन तीनों ग्रुपों में कवर होंगे तथा उसमें 35 गांवों को और शामिल करके ब्रुस्टिंग स्टेशन सिस्टम का पूरा प्लान बना हुआ है, बस केवल विभाग द्वारा वहां काम शुरू करने की देरी है। मंत्री जी, आप इस काम को कब तक शुरू करवायेंगे, कृपया करके यह बात सदन को बताने की कृपा करें, क्योंकि आज पूरा बाढ़ड़ा हल्का पीने के पानी के लिए तरस रहा है। हमारे एरिया में पीने का पानी बिल्कुल नहीं है।

सहकारिता मंत्री (डॉ. बनवारी लाल): अध्यक्ष महोदय, यहां पर दो ग्रुप हैं एक है मेरड़ा समूह और दूसरा है सिरसली समूह, इन दोनों की एप्रूवल आ चुकी है और इसके बाद हमने यहां पर टैंडर प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया है। जो तीसरा निम्बर बड़ेसरा ग्रुप है उसकी टी.पी.आर. को बनाया जा रहा है। इस ग्रुप के लिए जमीन मिलने में कुछ देरी हुई थी जिसकी वजह से यहां पर कुछ दिक्कत आई थी परन्तु बावजूद इसके मैं कहना चाहूँगा कि आगामी दो साल के अंदर यह काम पूरा हो जायेगा।

श्रीमती नैना चौटाला: अध्यक्ष महोदय, यह तो वर्ष 2016 का प्रोजेक्ट है और बावजूद इसके माननीय मंत्री जी इस कार्य को पूरा होने में दो साल का समय लगने की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार हर मामले में इतनी

गम्भीर है, उसी परिपेक्ष्य में मैं कहना चाहूँगी कि मेरे हलके में घरों तक पीने का पानी पहुंचा कर महिलाओं के सिर से मटके हटवा दीजिए।

डॉ. बनवारी लाल: अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय सदस्या पीने के पानी की बात कह रही हैं तो इस संबंध मैं बताना चाहूँगा कि इस एरिया में फिलहाल पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं है। वैसे सभी को मालूम है कि हमारा भू-जल स्तर लगातार नीचे चला जा रहा है लेकिन इस तरह की विकट परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार नहर आधारित जलापूर्ति के माध्यम से लोगों को पीने का पानी सुलभ कराने में कोई दिक्कत नहीं आने देगी।

श्रीमती नैना सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस काम को पूरा होने में जो दो साल की समयावधि बताई है वह किसी भी सूरत में सही बात नहीं है। पीने के पानी के विषय के संदर्भ में दो साल की समयावधि बहुत ज्यादा होती है। मैं माननीय मंत्री जी से कोई स्टेडियम या जिम की मांग नहीं कर रही हूँ। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, आप इस काम को थोड़ा जल्दी करवा दीजिए।

डॉ. बनवारी लाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने इस काम को दो साल में पूरा होने की बात कही है न कि यह कहा है कि दो साल में यह कार्य शुरू हो जायेगा। फिर भी माननीय सदस्या की चिंता के मद्देनज़र मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवा दिया जायेगा।

श्री लीला राम: अध्यक्ष महोदय, जहां तक नहरी पानी का विषय है हरियाणा प्रदेश में जब कांग्रेस सरकार थी तो उस वक्त प्रदेश में बहुत विकट स्थिति थी।(विघ्न)

श्री अध्यक्ष: लीला राम जी, बाढ़ा विधान सभा क्षेत्र का यह क्वैश्चन जनरल क्वैश्चन न होकर एक स्पेसिफिक क्वैश्चन है इसलिए आप इस प्रश्न के संदर्भ में जिस प्रकार बोल रहे हैं उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। नहरी पानी का दायरा बहुत बड़ा है जबकि यह क्वैश्चन बाढ़ा विधान सभा क्षेत्र से संबंधित है इसलिए आप प्लीज बैठिए। अमित सिहाग जी अब आप अपना प्रश्न पूछिए।

.....

To Set-up De-Addiction Centre

***203. Shri Amit Sihag :** Will the Health Minister be pleased to state-

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set-up drug-addiction centre in Dabwali Sub-Division; and
- (b) if so, the time by which it is likely to be setup?

Home Minister (Shri Anil Vij) : No Sir.

श्री अमित सिहाग: अध्यक्ष महोदय, मैं अपना सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने से पहले एक बात आपके ध्यान में लाना चाहूँगा। मैंने डि-एडिक्शन सेंटर के लिए प्रश्न किया था जबकि इसके लिए मुझे ड्रग-एडिक्शन सेंटर के तहत जवाब दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के संदर्भ में जिस प्रकार ‘नो सर’ कहकर अपना जवाब दिया है उससे सरकार की गम्भीरता का पता चल जाता है? यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है और शर्मनाक भी है। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदन में आंकड़ों का जिक्र कर रहे थे तो उस वक्त मैंने उनके संज्ञान में भी इस बात को लाया था कि मुख्यमंत्री महोदय मात्र जस्टिफिकेशन से कोई बात नहीं बनेगी। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2014 में जब यह सरकार बनी थी तो सिरसा जिले में उस वक्त टोटल ओ.पी.डी. 1405 हुआ करती थी जबकि आज 28283 हैं अर्थात पांच साल में ओ.पी.डी. में 1900 प्रतिशत इंक्रीज हुई है। इसी प्रकार जो आई.पी.डी. में ‘इन’ पेशेंट्स हैं उसमें भी तकरीबन 770 परसैंट इंक्रीज हुई है। आज के दिन सिरसा जिला, नशे की समस्या का एपीसैंटर है और डबवाली नशे के लिए एक तरह से गेट-वे का ही काम करता है क्योंकि हमारा यह जो क्षेत्र है वह पंजाब और राजस्थान के साथ जुड़ा हुआ क्षेत्र है। आज जिस प्रकार मेरा क्षेत्र नशे की समस्या से ग्रसित है, के संदर्भ में मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें एक नशा मुक्ति केन्द्र दे दीजिए। अगर नशा मुक्ति केन्द्र नहीं दे सकते हैं तो फिर नशे के खिलाफ जिस लड़ाई को लड़ने की बात कही जा रही है वह मुहिम सफल नहीं हो सकती है। माननीय उप-मुख्यमंत्री महोदय तथा माननीय सदस्या श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी भी इस क्षेत्र से संबंधित हैं और यहां के सभी हालातों के बारे में जानते हैं। नशे की समस्या के कारण यहां पर रोजाना तीन-चार डैथ हो जाती हैं। विश्वास नहीं है तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी मेरे साथ

चलकर देख ले कि वहां पर क्या हालात हैं। अतः जब इतनी विकट स्थिति हमारे क्षेत्र में हो चुकी है तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी मेरे क्षेत्र में नशा मुक्ति केन्द्र क्यों नहीं खोलना चाहते? अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करूँगा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमारी क्षेत्र की समस्या को समझते हुए कोई प्रभावी कदम जरूर उठायेंगे।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत ही भावनाओं से भरपुर होकर प्रश्न पूछ रहे हैं। (विघ्न)

श्रीमती शकुंतला खटक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री भावनाओं से जवाब दे रहे हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : शकुंतला जी, ऐसा बोलना ठीक नहीं है। सदन में प्रश्न का रिप्लाई माननीय मंत्री जी देंगे या आप देंगी? (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मंत्री बनने की खाहिश रखना बुरी बात नहीं है लेकिन इनकी यह खाहिश अब पुरी होने वाली नहीं है। स्पीकर सर, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमैंट डिपार्टमैंट डी-ऐडिक्शन सेंटर खोलने का नोडल डिपार्टमैंट है। उसी विभाग से लाइसेंस लेकर ये डी-ऐडिक्शन सेंटर खोले जाते हैं। आज के दिन प्रदेश में कुल 72 डी-ऐडिक्शन सेंटर हैं। 10 डी-ऐडिक्शन सेंटर सिविल हॉस्पिटल्स में, 2 डी-ऐडिक्शन सेंटर गवर्नमैंट मैडीकल कॉलेजिज में, 2 डी-ऐडिक्शन सेंटर प्राइवेट मैडीकल कॉलेजिज में, 3 डी-ऐडिक्शन सेंटर डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वैलफेर काउंसिल में, 3 डी-ऐडिक्शन सेंटर डिस्ट्रिक्ट रैडक्रॉस सोसायटी में, 33 डी-ऐडिक्शन सेंटर एन.जी.ओज. द्वारा, 20 डी-ऐडिक्शन सेंटर साइकैट्रिक नर्सिंग होम रजिस्टर्ड विद एस.जे.ई. में चलाए जा रहे हैं। मैंने अपने विभाग को आदेश जारी किया है कि हर जिले में कम से कम एक डी-ऐडिक्शन सेंटर जरूर खोला जाए। स्पीकर सर, मैं स्वयं सिरसा के डी-ऐडिक्शन सेंटर की विजिट करके आया हूं। वहां पर एक 10 बैड का डी-ऐडिक्शन सेंटर है। वहां पर लोगों की मांग है कि उसकी बैड स्ट्रॉग्थ डबल कर दी जाए। उस डी-ऐडिक्शन सेंटर की हम बैड क्षमता डबल करके 20 बैड करने के बारे में विचार कर रहे हैं। इसके लिए वहां पर जगह भी उपलब्ध है और उसे मैं स्वयं देखकर आया था। अध्यक्ष महोदय, झग डी-ऐडिक्शन सेंटर ऐसे ही नहीं खोला जा सकता। इसके लिए एक एम.डी., साइकैट्रिस्ट का होना बहुत ही जरूरी है जोकि आसानी से मिलते नहीं है। अतः हमारा सबसे पहले टारगेट यह है कि हम हर जिले में एक डी-ऐडिक्शन सेंटर खोलें लेकिन यह टारगेट भी अभी पूरा नहीं हो पा रहा है। मैं आदरणीय सदस्य

को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक बार हम हर जिले में एक—एक डी—ऐडिक्शन सेंटर खोलने का अपना टारगेट पूरा कर लें। इसके बाद हम जिले में दूसरा डी—ऐडिक्शन सेंटर खोलने की कोशिश करेंगे।

श्री अमित सिहाग : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि सिरसा जिले की परिस्थिति पूरे हरियाणा से अलग है। इसके लिए अगर माननीय मंत्री जी चाहें तो वहां के आंकड़े मंगवाकर देख लें कि वहां पर कितने केसिज रजिस्टर्ड हैं। वह एरिया पंजाब के साथ जुड़ा हुआ है। माननीय मंत्री जी ने डी—ऐडिक्शन सेंटर खोलने में अपनी असमर्थता दिखाई है और वे कहते हैं कि डी—ऐडिक्शन सेंटर खोलने के लिए डॉक्टर्स की भर्ती भी करनी पड़ेगी। इस पर मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगा कि डबवाली में सिविल हॉस्पिटल का बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। वहां पर हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। इस कार्य में हम भी माननीय मंत्री जी की पूरी तरह से हैल्प करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि माननीय मंत्री जी कहते हैं कि डबवाली में डी—ऐडिक्शन सेंटर खोलने में समय लगेगा तो मेरा सुझाव है कि वहां पर तब तक कम से कम एक ओ.एस.टी. (Opioid substitution therapy) की व्यवस्था कर दी जाए। ओ.एस.टी. सिरसा में भी चल रही है। वहां पर ओ.एस.टी. ओ.पी.डी. के माध्यम से चलती है जबकि डी—ऐडिक्शन सेंटर में डॉक्टर्स की भर्ती करके मरीजों का ट्रीटमेंट किया जाता है। ओ.एस.टी. में सीधे ही मरीजों की ओ.पी.डी. के माध्यम से काउंसलिंग की जाती है और मैडीसन दी जाती है। यह इलाज का बहुत ही सफल तरीका है। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि जब तक डबवाली में डी—ऐडिक्शन सेंटर न खोला जाए तब तक वहां पर ओ.एस.टी. की व्यवस्था कर दी जाए। यह थैरेपी एड्स और हैरोइन जैसी नशीली चीजें लेने वाले मरीजों के इलाज में भी काफी सफल रही है। पंजाब में ओ.एस.टी. को ओ.ओ.ए.टी. के नाम से जाना जाता है। वहां पर इसके तकरीबन 2000 सेंटर्स हैं। वहां पर बड़े व्यापक स्तर पर नशे की समस्या का समाधान करने की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। वे इसकी रोकथाम के प्रति काफी गम्भीर हैं और इसका वहां पर असर भी दिख रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में कम से कम एक ओ.एस.टी. की व्यवस्था कर दी जाए। इसके लिए सरकार को वहां पर सुविधाएं भी ज्यादा नहीं देनी पड़ेंगी और सरकार का खर्च भी ज्यादा नहीं होगा। इसके लिए केवल 3—4 व्यक्तियों के स्टाफ की आवश्यकता पड़ेगी। वहां पर एक डॉक्टर, एक काउंसलर, एक दवाई देने वाले

और एक रिकॉर्ड कीपर की आवश्यकता पड़ेगी । पी.एच.सी. के एम.ओ. को हफ्ते—दस दिन की ट्रेनिंग देने के बाद उसे ओ.एस.टी. में डॉक्टर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है । इसका सक्सैस रेट भी बहुत अच्छा है । आंकड़ों के अनुसार सिरसा की ओ.एस.टी. का सक्सैस रेट सबसे अच्छा है । अतः अब मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वे मेरी इन बातों को ध्यान में रखते हुए डबवाली में एक ओ.एस.टी. खोलेंगे या नहीं ?

श्री अग्निल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं इसे एग्जामिन करवा लूंगा । अगर परमिसिबल हुआ तो वहां पर ओ.एस.टी. खोल देंगे ।

श्री अमित सिहाग : अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अमित जी, माननीय मंत्री जी ने आपके प्रश्न का जवाब दे दिया है । इसके अलावा आप पहले ही 3 सप्लीमैट्रीज पूछ चुके हैं । अतः अब आप बैठिये ।

श्री अमित सिहाग : अध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस पर माननीय मंत्री जी राजनीति से ऊपर उठकर विचार करें ।

श्री अध्यक्ष : अमित जी, माननीय मंत्री जी ने आपको इस बारे में एश्योर किया है ।

श्री देवेन्द्र सिंह बबली : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री अमित सिहाग ने अभी जिस समस्या का जिक्र किया है सेम वही समस्या मेरे हल्के में है । मेरा हल्का पंजाब के बॉर्डर के साथ लगता है । हरियाणा के पंजाब से जुड़े हुए जितने भी हल्के हैं उन सबमें यह समस्या है । यह बड़ी गहराई में जाकर चिंतन करने का विषय है कि हम आखिर नशे को रोकने के लिए कितने डी—ऐडिक्शन सेंटर खोल पाएंगे ? इस बारे में मेरा कहना है कि इस के लिए कानून में सख्ती लानी चाहिए । मैं कहना चाहूंगा कि नशा बेचने वालों के लिए फांसी की सजा मुकर्रर की जानी चाहिए । अगर ऐसा ही रहा तो हमारी भी पंजाब के जैसी स्थिति हो जाएगी । आज से 7—8 साल पहले हमारे प्रदेश में सिर्फ दारू, अफीम, गांजा इत्यादि पीया जाता था लेकिन अब चिट्ठा पीया जा रहा है । जब से यह चिट्ठा आया है तब से मेरे हल्के की गलियों की हालत ऐसी हो गई है जैसी हालत दिल्ली के रेलवे स्टेशनों की होती थी । आज वहां की गलियों में नशेड़ी पड़े रहते हैं । इसके अलावा वे लोग क्रिमिनल बन गए हैं । वे क्राइम करते हुए एक सैकेण्ड भी विचार नहीं करते । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : देवेन्द्र सिंह जी, आप अपना प्रश्न पूछिए ।

श्री देवेन्द्र सिंह बबली : अध्यक्ष महोदय, इस समस्या को रोकने के लिए सरक्त कानून बनाए जाने चाहिए और उनके लिए कम से कम फांसी की सजा अवश्य दी जानी चाहिए ।

.....

**स्वतंत्रता सेनानी एवं स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समिति के अध्यक्ष का
अभिनन्दन**

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, आज हमारे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि स्वतंत्रता सेनानी एवं स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समिति के अध्यक्ष श्री ललती राम सदन की अतिविशिष्ट दीर्घा में सदन की कार्यवाही देखने के लिए बैठे हुए हैं, मैं सदन की तरफ से उनका हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ ।

.....

**तरांकित प्र०न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)
Supply of Canal Water for Two Weeks**

*250. **Shri Jogi Ram Sihag** : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to supply water for two weeks in a month in the canals of the State togetherwith the details thereof ?

(a) मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : नहीं, श्रीमान जी ।

श्री जोगी राम सिहाग : अध्यक्ष महोदय, मैं इस जवाब से सहमत नहीं हूँ । हमारी सरकार ने क्रम संख्या 16 पर लिखा है कि प्रदेश में पानी का बंटवारा समान रूप से होना चाहिए लेकिन प्रदेश में पानी का बंटवारा समान रूप से नहीं हो रहा है । सिरसा और फतेहाबाद में महीने में 2 सप्ताह पानी आता है लेकिन हिसार को महीने में केवल एक सप्ताह पानी मिलता है । मेरा कहना है कि सरकार को पानी के बंटवारे की कोई एक प्रणाली अपनानी चाहिए । अगर सरकार यह प्रणाली अपनाती है कि सभी को अपने-अपने हिस्से का पानी मिलना चाहिए तो हम उससे भी सहमत हैं । सन् 2001 से बरवाला ब्रांच का 300 क्यूसिक पानी सिवानी फीडर को दिया जा रहा है । कानूनन यह पानी सरकार उनको दे नहीं सकती । सरकार उनको पीने का पानी केवल तभी दे सकती है जब वहां पर क्राइसिस हो लेकिन उनको सन् 2001 से टैम्परेरी नाम देकर पानी दिया जा रहा है । अगर सरकार

ⓐ Reply given by the Power Minister

उनको पानी देना ही चाहती है तो फिर सरकारी रिकॉर्ड में भी उसको रैगुलर कर देना चाहिए क्योंकि रिकॉर्ड में आज भी टैम्परेरी शब्द लिखा हुआ है। वहां पर डब्ल्यू.जे.सी. का पानी लगता है और उस ब्रांच में भाखड़ा का पानी नहीं जा सकता। सरकार कहीं पर भी 2 जगह से पानी नहीं दे सकती। अगर कहीं पर यमुना से पानी दिया जा रहा है तो वहां भाखड़ा से पानी नहीं दिया जा सकता और यदि कहीं पर भाखड़ा का पानी दिया जा रहा है तो फिर वहां पर यमुना का पानी नहीं दिया जा सकता। अतः मेरा निवेदन है कि सन् 2001 से पहले पानी देने की जो परम्परा थी उसे पुनः बहाल किया जाए और हमारे क्षेत्र को हमारा 300 क्यूसिक पानी वापिस दिया जाए ताकि वहां के किसानों को एक महीने में 2 हफ्ते पानी मिल सके। मैं पूछना चाहता हूं कि इनमें से कौन—सी व्यवस्था अपनाई जाएगी? मेरा कहना है कि या तो हमें क्रम संख्या 16 के अनुसार पानी दे दिया जाए जिसके अनुसार सारे प्रदेश को पानी का समान वितरण किया जाना है या फिर हमें रिकॉर्ड के अनुसार 300 क्यूसिक पानी वापिस उपलब्ध करवा दिया जाए। सरकार को इनमें से एक व्यवस्था को तो अपनाना ही पड़ेगा।

श्री रणजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, बरवाला ब्रांच खनौरी से निकलती है और यह ब्रांच कैथल, जीन्द, हिसार, भिवानी के क्षेत्र को कवर करती है। इसके हमने 8–8 दिन के 3 रोटेशन बनाए हुए हैं। इस ब्रांच से पिछले काफी समय से 300 क्यूसिक पानी सिवानी फीडर को दिया जा रहा है। बरवाला थर्मल प्लांट में 75 क्यूसिक, ओ.पी. नलवा ब्रांच में 75 क्यूसिक, बरसोल फीडर में 100 क्यूसिक और हिसार वॉटर वर्क्स में 40 क्यूसिक पानी दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कैथल में कुछ और नयी ब्रांचिज शामिल की गयी हैं जिनमें 200 क्यूसिक पानी दिया जा रहा है। इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ही सभी जगहों पर पानी दिया जा रहा है। यह 1250–1250 क्यूसिक पानी 3 रोटेशंज में चलता है और ये 8–8 दिनों के हिसाब से चलती हैं। अगर इसके अतिरिक्त आपका कोई और सवाल है तो उसके बारे में पूछ लें।

श्री जोगी राम सिहाग: अध्यक्ष महोदय, मेरा अगला क्वैश्चन इसी विषय पर है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि बरवाला थर्मल प्लांट को इतना—इतना पानी दिया जा रहा है और यह पानी परमानेट दिया है। इसमें मेरा एक क्वैश्चन और था कि

आपने इसमें एक 'टैम्परेरी' शब्द लिखा हुआ है। आप इस शब्द को 'परमानैट' लिख दें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपने हमारे एरिया का 300 क्यूसिक पानी दे दिया है। जिस प्रकार दूसरी नहरों में पानी दिया जा रहा है, उसी प्रकार मेरे क्षेत्र में भी देते रहें। इसके साथ ही साथ मेरा एक प्रश्न इसी विषय से जुड़ा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पहले जो पक्के नाले बनाने का कानून था, उसके अनुसार एक एकड़ जमीन पर 24 फुट का पक्का नाला बनाया जाता था। अब हमारी सरकार ने उसे बदलकर बहुत अच्छा काम किया है कि उसको 24 फुट के स्थान पर बढ़ाकर 42 फुट कर दिया है। यानी अब 42 फुट का नाला बनाने की स्कीम बन गयी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि किसानों को संबंधित स्कीम के तहत 42 फुट का पक्का नाला बनाने की सुविधा कितने समय में दे देंगे ? इस समय कोई किसान 8 एकड़, कोई 5 एकड़ और कोई किसान 2 एकड़ जमीन के लिए भी नाला बनाने का प्रस्ताव लेकर आता है। किसानों को दर-दर की ठोकरें न खानी पड़ें, इसलिए आप इसमें समय सीमा तय कर दें कि इतने समय में संबंधित कार्य को पूरा किया जाएगा। मेरी सरकार से यही प्रार्थना है। इस पॉलिसी में एक दिक्कत है जिसको चेंज किया जाना चाहिए। इसमें जो रंग के नाले बनाये गये हैं उसमें एक कंडीशन यह है कि कोई नाला 5 एकड़ से कम की दूरी पर बना हुआ है तो उन नालों को पक्का नहीं किया जाएगा। अगर यह जरूरी नहीं था तो रंग का नाला क्यों बनाया गया ? यह जरूरी है, इसलिए सभी रंग के नालों को पक्का किया जाए। इस पॉलिसी में छूट दी जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यही प्रार्थना है, लेकिन मैं इसके साथ एक बात और बात कहना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: जोगी राम जी, आप क्वैश्चन पूछें। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप उसको लिखित में दे दें। आप अपना क्वैश्चन पूछें और माननीय मंत्री जी उसका जवाब देंगे। केवल 2 सप्लीमैट्री ही अलाउड हैं, इसलिए आप 4-5 सप्लीमैट्री नहीं पूछ सकते।

श्री जोगी राम सिहाग: अध्यक्ष महोदय, मैं इसी बात पर आ रहा हूं। नालों को 2 डिपार्टमैट्स बनाते हैं जिसमें एक काडा डिपार्टमैट और दूसरा इरीगेशन डिपार्टमैट है। काडा डिपार्टमैट पल्स्तर के साथ नाला बनाता है और इरीगेशन डिपार्टमैट बिना पल्स्तर का नाला बनाता है। क्या सरकार की ऐसी कोई स्कीम है जिससे सभी नाले पल्स्तर के साथ बनाए जाएं ? क्या कोई ऐसी स्कीम है जिसके तहत

जो नये नाले बनाये जाएंगे, वे 9 इंची बनाए जाएंगे ? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपा माननीय मंत्री जी इसके बारे में बताएं।

श्री रणजीत सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जहां तक नाले बनाने की बात है। वे डिजाईन के हिसाब से बनेंगे। यानी इंजीनियर जैसा डिजाईन बनाएंगे, उसी हिसाब से नाले बनते रहेंगे। इसके अतिरिक्त डब्ल्यू.जे.सी. का पानी बरसात पर डिपैंड करता है। जब बरसात ज्यादा होती है तो उस समय पानी की कोई दिक्कत नहीं रहती। माननीय सदस्य के एरिया में भी जब रैनी सीजन होता है तो 1250—1250 क्यूसिक पानी तीनों रोटेशंज में चलता है, इसलिए दो महीने तक पानी की कोई कमी नहीं आती। अगर पानी एवेलेबल होता है तो कहीं पर पानी की कोई कमी नहीं आने देंगे क्योंकि इस मामले में हरियाणा प्रदेश का पानी देने का रोटेशन बहुत बढ़िया है। इस प्रकार कहीं पर पानी की कोई दिक्कत नहीं है। अगर माननीय सदस्य का कोई सुझाव हो तो बता दें। हम उसको भी इन्कारपोरेट करेंगे।

To Open Trauma Centre

***113. Shri Mamman Khan :** Will the Health Minister please to state –

- (a) whether there is any proposal under consideration of the Government to open Trauma Centre in the Civil Hospital Mandikhera, District Nuh, if so, the detail thereof; and
- (b) whether the facility of ultrasound and services of specialist doctor and Radiologist/Sonologist are available in above said Hospital?

अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री

- (क) हां, श्रीमान जी।
- (ख) हां, श्रीमान जी, अल्ट्रासाउंड मशीन नागरिक हस्पताल मांडी खेड़ा में संचालित है परन्तु वर्तमान समय में अल्ट्रासाउंड चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। हालांकि अल्ट्रासाउंड की सुविधा गर्भवती महिलाओं को जननी सुरक्षा निजी हस्पतालों के द्वारा मुफ्त उपलब्ध है। गरीबी रेखा से नीचे मरीजों को सात अनुबन्धित निजी हस्पतालों के द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त ईलाज व सरकारी कर्मचारियों के क्षतिपूर्ति बिलों की अदायगी विभाग द्वारा कर दी जाती है।

क्रम संख्या	नागरिक हस्पताल मांडी खेड़ा में विशेषज्ञ चिकित्सक की सूचि विवरण अनुसार है:-	कार्यरत
1	फिजिशियन	2
2	आर्थोपेडिक सर्जन	1
3	एनेस्थियोलोजिस्ट	3
4	आंख सर्जन	1
5	कान, नाक, गला सर्जन	3
6	स्त्री रोग विषेशज्ञ	5
7	पैथेलोजिस्ट	1
8	बायोकैमिकल स्पेरिलस्ट	2
9	माईक्रोबायोलोजिस्ट	1
10	एनाटोमी	1
11	सर्जन	1
12	साईकेट्रीस्ट	1

चौधरी मामन खान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जिला मेवात के सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा में ट्रॉमा सेंटर नहीं होने की वजह से तकरीबन 1344 लोगों की मृत्यु हुई है। पिछले सालों में तकरीबन 3142 एक्सीडेंट्स हुये और उनमें से ही तकरीबन 1344 लोगों की मृत्यु हो हुई है। जिनकी औसत 43 प्रतिशत है और उसका मुख्य कारण ट्रॉमा सेंटर न होने की वजह से वक्त पर उपचार नहीं होना ही है।

श्री अध्यक्ष: मामन जी, माननीय मंत्री ने 'हां' कह दिया है। आपके एरिया में ट्रॉमा सेंटर की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए वहां पर ट्रॉमा सेंटर खोल रहे हैं।

चौधरी मामन खान: अध्यक्ष महोदय, मैं सप्लीमैट्री पूछ रहा हूं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि वहां पर मरीजों को या तो दिल्ली के हॉस्पिटल्ज में रैफर किया जाता है या जयपुर के हॉस्पिटल्ज में रैफर कर दिया जाता है। वहां से दिल्ली 100

किलोमीटर है और जयपुर 120 किलोमीटर है, परन्तु वहां पर पहुंचने से पहले ही तकरीबन मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं।

श्री अध्यक्ष: मामन जी, माननीय मंत्री जी ने आपके सवाल का जवाब 'हाँ' में दिया है क्योंकि माननीय मंत्री जी को वहां पर ट्रॉमा सेंटर खोलने की जरूरत महसूस हुई है। तभी आपके सवाल के रिप्लाई में 'हाँ' में जवाब दिया है।

चौधरी मामन खान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इसके लिए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसके अतिरिक्त मैं माननीय मंत्री जी से सप्लीमेंट्री पूछना चाहूंगा। 'सबका साथ, सबका विकास,' का नारा देने वाली सरकार यह बता दे कि संबंधित ट्रॉमा सेंटर कब तक खुलवाएंगे ?

श्री अध्यक्ष: मामन जी, अगर आपका कोई सप्लीमेंट्री क्वैश्चन है तो केवल उसी के बारे में पूछें।

चौधरी मामन खान: अध्यक्ष महोदय, मेवात—नूंह के सिंगल रोड से राजस्थान बॉर्डर की तरफ जाते समय एकसीडेंड्रस होते रहते हैं, इसलिए संबंधित ट्रॉमा सेंटर खोलने की डैडलाईन बता दें।

श्री अध्यक्ष: मामन जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है, इसलिए पूरा स्पीच पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

चौधरी मामन खान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि अंबाला, पानीपत, रेवाड़ी, सिरसा, यमुनानगर और बहादुरगढ़ में ट्रॉमा सेंटर खुल चुके हैं, परन्तु हमारे एरिया में नहीं खोला गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि संबंधित ट्रॉमा सेंटर कब तक खुल जाएगा ?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को पॉजिटिव में जवाब दिया था और मैं यह भी उम्मीद कर रहा था कि श्री मामन जी मुझे एप्रीशियट और धन्यवाद भी करेंगे लेकिन इन्होंने पूछा है कि हल्के के सिविल अस्पताल में ट्रामा सेंटर कब तक खुल जायेंगे? जब हमने प्रदेश के हर जिले में ट्रामा सेंटर बनाने का फैसला कर लिया है तो इनके हल्के में भी नेससरी स्टाफ और इकिवपमैट्रस आदि मुहैया करवाकर ट्रॉमा सेंटर जल्दी से जल्दी खोलने का काम किया जायेगा। सरकार ने निर्णय किया है कि हर जिले में ट्रामा सेंटर खोले जायें और अगर किसी जिले में ट्रामा सेंटर किसी कारणवश न खोला जाये तो गोल्डन ऑवर के माध्यम से एक घंटे के अंदर—अंदर उस पेशेंट को ट्रॉमा सेंटर तक पहुंचाने का काम किया

जायेगा। इसके अलावा हर जिले में कैथ लैब और डॉयलिसिस सेंटर खोलने की सरकार की पूरी कोशिश रहेगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चौधरी मामन जी को जानकारी देना चाहूँगा कि सरकार ने 14 जिलों में डॉयलिसिस सेंटर खोल दिए हैं और 5 जगहों पर कैथ लैब भी सफलतापूर्वक चल रही है। मैंने आदेश जारी किए हैं कि हरियाणा प्रदेश के हर प्लॉयंट पर कैथ लैब लोकेट की जाए ताकि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का अटैक आता है तो गोल्डन ऑवर के तहत संबंधित पेशैंट को ट्रामा सेंटर तक पहुँचाया जा सके। संबंधित पेशैंट के अटैक आने के दौरान एक घंटा गोल्डन ऑवर होता है। इस दौरान संबंधित पेशैंट को अगर ट्रामा सेंटर तक पहुँचा दिया जाए तो उसकी जान बच सकती है। सभी सिविल अस्तपालों को हम अपग्रेड और अपडेट भी कर रहे हैं। इन सभी सिविल अस्पतालों की इन्फ्राट्रक्चर की हालत खराब हो चुकी है लेकि इनमें लैटेरस्ट इकिवपमैट्स देकर उनकी स्थिति सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

चौधरी मामन खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इसके लिए माननीय मंत्री जी का बहुत—बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा दूसरा सम्पलीमैट्री क्वैश्चन यह है कि हमारे यहां पर मांडी खेड़ा सिविल अस्पताल की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है, सरकार ने 50 बैड से उसको 100 बैड करने का काम किया है, मैं उसके लिए सरकार का बहुत—बहुत धन्यवाद करता हूँ लेकिन उस अस्पताल में जो कमरे का साइज होता है उनके हिसाब से वह नहीं बनाये गये हैं। मैं समझता हूँ कि उस अस्पताल की बिल्डिंग भी नहीं बनी है। यहां करोड़ों की लागत से वर्ष 2015 में जी.एन.एम. बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज बनाया था जिसमें आज तक क्लासें शुरू नहीं हुई हैं तो इसमें सरकार का कब तक क्लासें चालने का प्रावधान है? अध्यक्ष महोदय, हमारे सरकारी सिविल अस्पताल में सोनोलोजिस्ट और रेडियोलोजिस्ट न होने की वजह से आम आदमी एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एम.आर.आई और सीटी स्कैन आदि की रिपोर्ट्स के लिए दर—दर भटकने पर मजबूर हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, उन मरीजों को यह भी जानकारी नहीं दी जाती है कि उनको क्या बीमारी है और इसका क्या इलाज है? अध्यक्ष महोदय, एक मांडी खेड़ा के सिविल अस्पताल में प्रीमैच्योर बच्चों के लिए एक नवजात गहन चिकित्सा इकाई (Neonatal Intensive Care Unit) खोली गई है।

श्री अध्यक्ष : मामन जी, आप सदन में क्वैश्चन की पूरी डिटेल न बतायें क्योंकि आपने जो क्वैश्चन मंत्री जी से पूछा था उसके बारे में माननीय मंत्री जी ने पूरी डिटेल में जानकारी दे दी है।

चौधरी मामन खान : अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सदन में हैल्थ के बारे में बता रहा हूं। मेरे हल्के के अस्पतालों में डॉक्टरों की बहुत कमी है। आज हमारे लिए हैल्थ को ठीक रखना बहुत जरूरी है, कहने का मतलब यही है कि *health is wealth*. अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे बोलने का समय दिया जाये। मांडी खेड़ा के सिविल अस्पताल में प्रीमैच्योर बच्चों के लिए नवजात गहन चिकित्सा इकाई खोली गई है। आज तक इस अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए एक भी डॉक्टर नियुक्त नहीं कर रखा है। इस प्रकार से उन बच्चों का कौन इलाज करेगा और इलाज के बिना वे बच्चे कैसे जी पायेंगे? अध्यक्ष महोदय, काफी सालों से प्रीमैच्योर बच्चों के लिए नवजात गहन चिकित्सा इकाई खोली गई थी जिसका वहां पर कोई यूज भी नहीं हो रहा है और यह नवजात गहन चिकित्सा इकाई धूल फांक रही है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मामन जी, इस समय आप सदन में डिमांड पर चर्चा नहीं कर सकते हैं? यह क्वैश्चन ऑवर का समय है बाकी माननीय सदस्यों के क्वैश्चन सदन में लगे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनके क्वैश्चनों का जवाब नहीं आ पायेंगे।

चौधरी मामन खान : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी क्वैश्चन सदन में लगा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : मामन जी, माननीय मंत्री जी ने आपके क्वैश्चन का जवाब पहले ही दे दिया है। प्लीज आप बैठ जायें।

चौधरी मामन खान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने रेडियोलोजिस्ट का जवाब अभी तक नहीं दिया है कि वहां के अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट और सोनोलोजिस्ट कब तक डैप्यूट कर दिए जायेंगे और बच्चों के स्पैशलिस्ट डॉक्टर भी कब तक डैप्यूट कर दिए जायेंगे?

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार जल्द ही डॉक्टरों की भर्ती करने जा रही है। जब से विधान सभा सत्र प्रारम्भ हुआ था तब से मैं यही बात दोहरा रहा हूं कि सरकार

डॉक्टरों की भर्ती जल्द ही करने वाली है। अध्यक्ष महोदय, जैसे ही सरकार के पास रेडियोलॉजिस्ट और सोनोलोजिस्ट आयेंगे तो उनको वहां पर डैप्यूट कर दिया जायेगा। हम प्रदेश के सभी जिलों के अस्पतालों में डॉक्टर, रेडियोलॉजिस्ट्स और सोनोलोजिस्ट्स को डैप्यूट करना चाहते हैं। हम भी इस बात को मानते हैं कि प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है। अध्यक्ष महोदय, हम इनकी परमानेंट और एड्हॉक भर्ती भी कर रहे हैं। जिन अस्पतालों में परमानेंट डॉक्टर नहीं आयेंगे उनको एड्हॉक भर्ती के माध्यम से लगाया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को एक बात और बताना चाहूंगा कि एड्हॉक बेस पर भर्ती करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इजाजत दे दी है और इसकी प्रक्रिया भी पूरी कर ली है इसलिए अब पैकेज बेस्ड के आधार पर डॉक्टरों को अप्यौयंट किया जायेगा। इस प्रकार से मुझे लगता है कि सब तरह के डॉक्टर आ जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि आप मार्च तक इसके लिए इंतजार कर लीजिए, अप्रैल का महीना आपके लिए सुखदायी होगा क्योंकि आपके हल्के के अस्पताल में डॉक्टर्ज डैप्यूट कर दिए जायेंगे।

.....

To Upgrade the Hospital

***285. Shri Surender Panwar :** Will the Health Minister be pleased to state-

- (a) the steps taken by the Government to increase the strength of the doctors in Civil Hospital Sonipat; and
- (b) whether there is any proposal under consideration of the Government to upgrade the said hospital from 200 bed to 300 bed; and
- (c) if so, the time by which the abovesaid hospital is likely to be upgraded?

Home Minister (Shri Anil Vij) : (a) Sir, the strength of doctors has already been increased from 42 to 55 vide Government endst. no. 22/133/2015-5HB-III dated 27.02.2017.

(b) and (c) No, Sir.

श्री सुरेन्द्र पंवार : स्पीकर सर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह सवाल था कि सामान्य अस्पताल, सोनीपत में चिकित्सकों की संख्या को बढ़ाने बारे

सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं। मंत्री जी ने यह जवाब दिया कि वर्ष 2017 में सामान्य अस्पताल, सोनीपत में चिकित्सकों की संख्या को 42 से बढ़ाकर 55 कर दिया गया है। मंत्री जी ने अपने जवाब में यह भी बताया है कि कितनी पोस्ट्स बनाई गई हैं। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि सिविल हॉस्पिटल, सोनीपत में चिकित्सकों की 55 पोस्ट्स तो अधिकृत हैं लेकिन इन 55 अधिकृत पोस्ट्स में से वहां पर इस समय केवल 19 डॉक्टर ही नियुक्त हैं। इनमें से कुछ डॉक्टर कोर्ट में गवाही इत्यादि में जाते रहते हैं, कुछ छुट्टी पर भी होते हैं, इनमें से कुछ हैंडीकैप्ड भी हैं। इस प्रकार से वहां प्रतिदिन चार या पांच डॉक्टर्ज ही उपलब्ध हो पाते हैं। सोनीपत की कुल जनसंख्या 14 लाख 56 हजार है। रुरल एरिया में 11 लाख 76 हजार और अर्बन एरिया में दो लाख 80 हजार है। सोनीपत शहर में जो हॉस्पिटल है उसमें कुण्डली तक के भी मरीज इलाज करवाने के लिए आते हैं। मैं माननीय मंत्री की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि सिविल हॉस्पिटल में वही मरीज जाता है जिसके पास प्राईवेट डॉक्टर को फीस के तौर पर देने के लिए 100 रुपये भी नहीं होते हैं। अगर उसके पास 100 रुपये हों तो वह अपना इलाज करवाने के लिए प्राईवेट डॉक्टर के पास जायेगा और गवर्नर्मेंट हॉस्पिटल में नहीं जायेगा। सरकारी अस्पताल में बीमार व्यक्ति सुबह 08.00 बजे जाकर लाईन में लगता है और दोपहर बाद 03.00 बजे उसका नम्बर आता है।

श्री अध्यक्ष : सुरेन्द्र जी, आप भाषण न दें बल्कि अपना स्पैसिफिक क्वैश्चन पूछें।

श्री सुरेन्द्र पंवार : स्पीकर सर, मेरा क्वैश्चन यही है कि सिविल हॉस्पिटल, सोनीपत में जो चिकित्सकों के पद खाली हैं उनको कब तक भरा जायेगा?

श्री अनिल विज : स्पीकर सर, मैंने अभी पिछले प्रश्न में भी यह जवाब दिया है और इसमें भी यही जवाब है कि डॉक्टर्ज की भर्ती ऑन है। 200 बैडिड सिविल हॉस्पिटल, सोनीपत में मैडीकल और पैरा मैडीकल स्टॉफ की कुल स्ट्रैंग्थ 288 है जिनमें से 162 पद भरे हुए हैं और 78 पोस्ट्स वैकेंट हैं। हम डॉक्टर्ज की भी भर्ती करने जा रहे हैं और पैरा मैडीकल स्टॉफ की भर्ती के लिए भी हमने हरियाणा सबोर्डीनेट सिलैक्शन कमीशन को अपनी रिक्वीजीशन भेजी हुई है। हम यह भी कोशिश कर रहे हैं कि जब तक रेगूलर भर्ती नहीं हो जाती तब तक एडहॉक बेसिज पर हम इस स्टॉफ की भर्ती कर लें। इससे सम्बंधित फाईल मेरे से एप्रूव होकर डिपार्टमेंट में नीचे जा चुकी है। डॉक्टर्ज और पैरा मैडीकल स्टॉफ की कमी

से जितने भी प्रश्न आ रहे हैं मेरा उन सभी में यही उत्तर है कि मैडीकल और पैरा मैडीकल स्टॉफ की भर्ती की प्रक्रिया आँन है।

श्रीमती गीता भुक्कल : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि ये कृपया करके यह बतायें कि इन्होंने अभी तक एम.सी.आई. से मैडीकल कालेजिज में डॉक्टर्ज की कितनी सीट्स इंक्रीज करवाई हैं ताकि हमारे प्रदेश में डॉक्टर्ज की कमी को दूर किया जा सके? हमारे प्रदेश में आज की डेट में जितने भी मैडीकल कॉलेजिज हैं जब तक हम उनकी मैडीकल सीट्स इंक्रीज नहीं करवायेंगे तब तक हमारे यहां से डॉक्टर्ज की कमी कभी भी दूर नहीं होगी। स्पीकर सर, जब तक हमारी एम.बी.बी.एस. और एम.डी. की सीट्स को इंक्रीज नहीं किया जायेगा तब तक प्रदेश में डॉक्टर्ज की कमी तो रहेगी ही। मेरा यही कहना है कि to increase the seats of Doctors we can make a request to M.C.I. कि आप हमारे जो एग्जिस्टिंग मैडीकल कॉलेजिज हैं उनमें मान लीजिए कि कल्पना चावला मैडीकल कॉलेज में इस समय कुल सीट्स 120 हैं तो मेरा माननीय मंत्री जी को यह सुझाव है कि वे एम.सी.आई. को यह रिक्वैस्ट कर लें कि जब तक हमारे नये मैडीकल कॉलेजिज नहीं ऑपरेशनल होते आप एग्जिस्टिंग मैडीकल कॉलेजिज में 50–50 सीट्स बढ़ा लें तभी हम अपने प्रदेश में डॉक्टर्ज की कमी को दूर कर पायेंगे।

श्री सुरेन्द्र पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सिविल हॉस्पिटल सोनीपत में पिछले 6 महीने से "मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना" के खाते में कितनी राशि जमा हुई है तथा सिविल हॉस्पिटल सोनीपत की कितनी राशि की देनदारी है?

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल अलग प्रश्न है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि "मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना" में किसी भी अस्पताल में धन की कमी नहीं आने दी जा रही है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि किसी का इलाज रुका हो और किसी को उस स्कीम का फायदा न मिला हो।

श्री सुरेन्द्र पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि सिविल हॉस्पिटल, सोनीपत में "मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना" का खाता खाली पड़ा है, उसमें पैसा नहीं है। उस खाते में पैसा न आने की वजह से 2.25 करोड़ रुपये मेडीसन के, पौने 2 करोड़ रुपये डायलेसिज के, सवा करोड़

रुपया सीटी स्कैन का तथा 10 लाख रुपये ऑक्सिजन के उधार हैं। इस प्रकार से कुल 4 करोड़ 35 लाख रुपये की राशि बकाया है जबकि आज हम स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में हरियाणा नम्बर 1 की बात करते हैं।

श्री अनिल विज़: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मुझे अलग से लिख कर दे दें मैं इनको जवाब भिजवा दूंगा।

.....

To Pay Equal Salary to D.C Rate Employees

***172. Shri Aseem Goel:** Will the Power Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the D.C rate/salary being given to the employees of Power Department is different in each district in Haryana; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to pay equal salary to D.C rate employees in all the districts of State togetherwith the time by which it is likely to be materialized?

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : (क) हाँ श्रीमान, ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टेट आऊटसोर्स पॉलिसी के तहत लगे वर्करों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार शुरूआती वेतन (पे मेट्रिक्स के संबंधित लेवल के प्रथम सैल में एंट्री लेवल पे+डी.ए.) के 50% अथवा डी.सी. रेट, जो भी अधिक हो, की अदायगी की जाती है।
(ख) नहीं श्रीमान।

श्री असीम गोयल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह डी.सी. रेट की प्रथा शुरू हुई है और इसमें जो उनकी तनख्वाह निर्धारित करने का मैथड है वह महंगाई पर आधारित है कि किस शहर में महंगाई की क्या दर है? गुरुग्राम और फरीदाबाद को छोड़ दें तो उसके अलावा सारे हरियाणा में इनका समान वेतन होना चाहिए लेकिन अम्बाला में कुछ और रेट है, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और कैथल में कुछ और ही रेट है। कई बार ऐसा होता है कि किसी का एक्सपीरियेंस 10 साल या 15 साल हो गया लेकिन दूसरे जिले में जो नया कैंडीडेट लगा है वह उस 10 या 15 साले वाले कर्मचारी से ज्यादा वेतन ले रहा है। इसके लिए इन कर्मचारियों द्वारा, इनकी यूनियनों द्वारा विभिन्न तरह के ज्ञापन हमें दिये जाते हैं। इस बारे में मेरा आपके माध्यम से

माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आपकी जो डी.सी. रेट निर्धारित करने वाली कमेटी है उसमें इस पर पुनर्विचार करके पूरे हरियाणा में एक समान वेतन निर्धारित करने की प्रथा लाई जाए। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। (**इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए।**) उपाध्यक्ष महोदय, 200, 400 रुपये का अन्तर तो आदमी बर्दाशत कर लेता है लेकिन इसमें 3-3 हजार रुपये का अन्तर है। यह सवाल मुझे सभी विभागों से पूछना था लेकिन फिर बात आई कि आप एक विभाग को सम्बोधित करके सवाल पूछ लें और एक मंत्री जवाब दे देंगे। यह मेरा सामान्य सवाल है। सभी विभागों में सभी जिलों में डी.सी. रेट में फर्क है। हरियाणा के अलग-अलग जिलों में अलग-अलग रेट दिया जा रहा है। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि सभी विभागों और सभी जिलों में एक समान डी.सी. रेट निर्धारित किये जायें।

श्री रणजीत सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हर जगह हमने अलग-अलग आउटसोर्सिंग से कर्मचारी रखे हैं। कहीं पर थर्मल पॉवर स्टेशन है और कहीं पर 132 के.वी. के पॉवर ग्रिड हैं। यह हमारा अपने विभाग का नहीं बल्कि कैबिनेट का निर्णय है। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार मोटे तौर पर वर्कर की पांच श्रेणियों को डी.सी. रेट पर हायर किया गया है। इसमें शिप्ट अटैंडेंट, असिस्टैंट लाईनमैन, लिपिक जिसको एल.डी.सी. कह सकते हैं, सेवादार, सफाई कर्मचारी, माली, चौकीदार और रसोईया तथा ग्रिड सब-स्टेशन पर ऑपरेटर, चालक आदि पद हैं। यह हरियाणा बिजली वितरण निगम में न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत उपायुक्त द्वारा हरियाणा सरकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी दिनांक 16.02.2009 के तहत आउटसोर्सिंग पर चले आ रहे हैं। उसके बाद इसको कैबिनेट ने एप्रूव कर दिया। इसको एक दम से बदलना आसान नहीं है क्योंकि यह बहुत बड़ा विभाग है।

श्री असीम गोयल: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि मंत्री जी ने कहा है कि यह कैबिनेट का निर्णय है और वर्ष 2009 से यह प्रथा चली आ रही है। लगभग पिछले 5 सालों में भी कई ऐसोसिएशन्ज हमसे मिली और इस बारे में उन्होंने तथ्य रखे हैं। मंत्री जी ने चाहे एल.डी.सी. की बात की, माली की बात की, शिप्ट अटैंडेंट की बात की है इस विभाग के किस-किस पद पर क्या-क्या रेट निर्धारित हैं मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूं। मेरा आपके माध्यम से माननीय बिजली मंत्री जी से यह कहना है कि आप अपने विभाग

से शुरूआत करें इसकी सराहना होगी तथा पूरे हरियाणा के कर्मचारी आपके शुक्रगुजार होंगे। क्योंकि किसी के साथ ये भेदभाव नहीं रहेगा कि यमुनानगर में दो हजार ज्यादा मिल रहा है, अम्बाला में कम मिल रहा है और कैथल में उससे भी कम मिल रहा है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि आप इस प्रथा को अपने ही विभाग से शुरू करने का काम करें। अगर आपके विभाग में यह प्रथा शुरू हो गई तो बाकी जो अन्य विभाग हैं उनमें भी इस बात को रखा जाएगा। मेरा आपसे इतना ही निवेदन है।

श्री रणजीत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली विभाग बहुत बड़ा विभाग है। इसके बारे में मैंने पहले ही कहा था। मैंने तो इस विभाग को टेकऑवर किये हुए अभी तीन महीने ही हुए हैं। अब इन सारे मामलों को मैं एक बार में ही समेट लूं यह इतना आसान नहीं होगा। अगर आप अलग-अलग डिटेलवाईज मांगे तो मेरे पास सारी डिटेल है वह मैं आपको पढ़कर बता देता हूं कि कहां क्या मिल रहा है। यह वेतन नियम सब जगह पहले से चल रहे हैं। आपने यह जो सुझाव दिया है उस पर मैं अपनी बोर्ड की मीटिंग में चर्चा करूंगा क्योंकि प्रोडक्शन नहीं रुकनी चाहिए। यह सबसे अहम विभाग है। जिसमें रिक्षा वाला, कारखानेदार, बिजनेस मैन और किसान आदि हर कोई आते हैं इसलिए हम इसको एक दम नहीं कर सकते हैं। आपका बहुत वैलयुवेबल सुझौशन है इसको मैं इन-कॉरपोरेट करूंगा।

श्री असीम गोयल : मंत्री जी, आप बस उसकी शुरूआत कर लें।

श्री रणजीत सिंह : ठीक है।

Arrangements of Drinking Water

***336. Shri Mohan Lal Badouli :** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to make arrangements of drinking water in Kundli of Rai Assembly Constituency from Yamuna River; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to laid down sewerage system in Kundli village?

(a) मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) व (ख) नहीं, श्रीमान।

@ Reply given by the Cooperation Minister

श्री मोहन लाल बड़ौली : उपाध्यक्ष महोदय, 16.10.2018 को कुंडली गांव को नगरपालिका का दर्जा दिया गया था जिसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि आपने जो कुंडली गांव को नगरपालिका का दर्जा दिलवाया है उसके बाद वहां के लोगों को एक आस लगी थी कि अब हमारे गांव में पीने के पानी व सीवरेज की व्यवस्था हो जाएगी लेकिन अभी काफी समय निकल गया है अभी तक वहां पीने के पानी व सीवरेज की व्यवस्था नहीं हो पाई है जबकि यमुना नदी वहां से तकरीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर है जिससे साफ पानी मिल जाएगा। वहां फैक्ट्री एरिया होने की वजह से वहां का पानी बहुत खराब हो चुका है और वहां पर मजदूर तबके के लोग रहते हैं। उनको वह गन्दा पानी पीकर बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अतः मेरी मंत्री जी से रिक्वेस्ट है कि वहां के लोगों के लिए यमुना नदी के किनारे से पीने के पानी की शीघ्र व्यवस्था की जाए तो वहां के लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है।

श्री बनवारी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जनगणना के हिसाब से कुंडली गांव की वर्ष 2011 में 21633 की पॉपुलेशन थी और वर्ष 2020 में 25627 पॉपुलेशन है। वहां की जलापूर्ति चार ट्यूबवैल के जरिये 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न सीवरेज सिस्टम का था। पहले यह गांव सैंसिज टाऊन में आ गया था। जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि अब इसका फैसला हो गया है और अब यह गांव नगरपालिका में आ गया है तो अब इस गांव में सीवरेज लाईन बिछा दी जाएगी।

श्री मोहन लाल बड़ौली : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने गांव कुंडली में सीवरेज लाईन बिछाने के बारे में जवाब दिया है। उस संबंध में मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि गांव कुंडली का लगभग 60 प्रतिशत एरिया ड्रेन नं. 6 के साथ लगता है। यह ड्रेन गांव कुंडली के आस पास घुमती है। अगर सरकार चाहे तो बहुत जल्द ही इसकी योजना बनाकर उस गांव को सीवरेज की सुविधा दिला सकती है। कुंडली गांव की जो आबादी है उसमें से लगभग 20 हजार कर्मचारी हर रोज फैक्ट्रियों में काम करने के लिए नैशनल हाई वे नं. 44 पर से जाते हैं। इस हाई-वे का कार्य भी प्रगति पर है। उस पर खुदाई का कार्य चल रहा है जिससे

वहां के लोगों को वहां से आने जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए वहां पर फुट ऑवरब्रिज बनाने की मेरी मांग है क्योंकि वहां हर रोज लोगों के एक्सीडेंट होते हैं। वहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम रहता है। वहां फुट ऑवरब्रिज बनाने के लिए दो फाउंडेशन बनी हुई हैं इसलिए वह भी बनवाने का काम करें।

श्री बनवारी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में हम जल्दी ही कार्यवाही करेंगे और पानी का प्रबंध भी हम नहरी स्कीम के माध्यम से जल्दी ही करवाने का काम करेंगे।

श्री धर्म सिंह छौकर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा और साथ-साथ सुझाव भी देना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने जो महाग्राम योजना लागू की है इसके तहत जो 10 हजार से ज्यादा आबादी वाले गांव हैं, उन गांवों से जो दूषित पानी निकलता है वह काफी मात्रा में होता है।

श्री उपाध्यक्ष : धर्म सिंह जी, आपका यदि इसी प्रश्न से रिलेटिड कोई प्रश्न है तो पूछिये।

श्री धर्म सिंह छौकर: उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरे हरियाणा की नहीं बल्कि हरियाणा का संदर्भ लेकर अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। हमारे यहां के चुलकाना गांव में और इसके साथ लगते अनेक गांवों में कई कैमिकल फैकिरियां हैं जिसकी वजह से गांवों का पानी दूषित होता जा रहा है। इस वजह से यहां के हर गांव में काला पीलिया के 400–400, 500–500 से पीड़ित मरीज आम मिल जाते हैं। मेरा निवेदन है कि सरकार को इन कैमिकल फैकिरियों के बारे में विचार करते हुए, इन्हें अलग से कोई स्थान देकर, गांवों के साथ लगते ऐसिया से स्थानांतरित किया जाये ताकि यहां के गांवों का पानी शुद्ध हो सके।

डॉ. बनवारी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन के तहत सभी गांवों को नहरी पानी के साथ जोड़ा जायेगा और जल्द ही माननीय सदस्य के हल्के में जो दूषित पीने के पानी की समस्या है वह भी दूर हो जायेगी।

.....

Construction Work of Building of IIT

* 191. **Shri Kuldeep Vats** : Will the Technical Education Minister be pleased to state the time by which the construction work of building of IIT Badhsa is likely to be started ?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : श्रीमान जी, परिसर का निर्माण कार्य आंबटित भूमि के मुद्दे को हल करने के बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली द्वारा जल्द ही शुरू किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि आई.आई.टी. बाढ़सा के भवन का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जायेगा, इसी प्रकार का सेम प्रश्न 26 फरवरी, 2020 को माननीय सदस्या गीता भुक्कल जी ने प्रश्न संख्या—148 के माध्यम से भी पूछा था तो उस प्रश्न के संदर्भ में जो जवाब मैंने उस दिन दिया था, इस प्रश्न के संदर्भ में भी मेरा आज वही जवाब है। (इस समय माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

श्री कुलदीप वत्स: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जिस दिन माननीय सदस्या गीता भुक्कल जी ने यह प्रश्न पूछा था, उस दिन माननीय मंत्री जी ने कहा था कि वहां की जमीन में बहुत बड़े-बड़े गड्ढे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या उन्होंने स्वयं मौके पर जाकर इन गड्ढों को देखा था? वहां पर कोई ज्यादा गड्ढे नहीं हैं। मैं यहां का रहने वाला हूँ और इसी निर्वाचन क्षेत्र से मैंने चुनाव भी लड़ा है। माननीय मंत्री जी के पास जो यह रिपोर्ट आई है यह बिल्कुल गलत रिपोर्ट है। मेरा निवेदन है कि मंत्री जी इस जमीन को दोबारा से चैक करवायें और आई.आई.टी. बनाने का काम जल्द से जल्द शुरू करवायें। अध्यक्ष महोदय, युवाओं के भविष्य का प्रश्न है। यह विषय मजाक में लेने का नहीं है, क्योंकि भविष्य में इससे न केवल बादली निर्वाचन क्षेत्र को बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश को भी इससे फायदा होगा।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, इस आई.आई.टी. को प्रदेश सरकार ने नहीं बल्कि सैट्रल गवर्नमेंट ने बनाना है। आई.आई.टी. दिल्ली जोकि सैट्रल गवर्नमेंट की एक बॉडी है, ने इस जमीन का सर्व किया था और सर्व करकर उन्होंने इस जमीन को लेने से मना कर दिया है। माननीय सदस्य को यह जानकारी होनी चाहिए कि केन्द्र सरकार की बॉडीज और प्रदेश सरकार की बॉडीज अलग-अलग होती हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप वत्सः अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूँ कि यहां पर थोड़ा बरसात का पानी आ जाता है लेकिन यहां पर गड्डे नहीं है। मैं भली प्रकार से जानता हूँ कि केन्द्र सरकार की बॉडीज और प्रदेश सरकार की बॉडीज अलग—अलग होती है लेकिन माननीय मंत्री जी को यह भी मानना पड़ेगा कि केन्द्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।(विघ्न)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, मैं भी मानता हूँ कि केन्द्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लेकिन केन्द्र सरकार की बॉडी अर्थात् आई.आई.टी., दिल्ली ने इस जमीन को लेने से इंकार कर दिया है। उनके सर्वे में यह बात पता चली है कि यह गड्डों वाली बहुत गहरी जमीन है और इसमें बाढ़ का पानी आता है।(शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस आई.आई.टी. के लिए जो यह गड्डों वाली जमीन दी थी, उस जमीन को केन्द्र सरकार की बॉडी अर्थात् आई.आई.टी., दिल्ली ने लेने से मना कर दिया है और इस जमीन पर आई.आई.टी. बनाने से मना कर दिया है। अब हमने संबंधित डिप्टी कमिश्नर को इसके लिए कोई दूसरी जगह चिन्हित करने के लिए कहा है। जब यह जमीन चिन्हित हो जायेगी और आई.आई.टी., दिल्ली को यह जमीन पसंद आ जायेगी तो उस जमीन को लेकर हम आई.आई.टी., दिल्ली को दे देंगे।

उप—मुख्यमंत्री (श्री दुश्यंत चौटाला): अध्यक्ष महोदय, उस जमीन पर गड्डे हैं, मंत्री जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।

श्री कुलदीप वत्सः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप—मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में लाना चाहूंगा कि वहां पर गड्डे नहीं हैं। माननीय उप—मुख्यमंत्री जी तो यहां बैठे—बैठे ही इस जमीन पर गड्डा होने की बात कह रहे हैं। जब कोई काम करने की बात आती है तो बहाना बना देते हैं कि गड्डे हैं। सरकार को कुछ करके तो दिखाना चाहिए? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, यह मामला किसी विधायक के क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और माननीय मंत्री जी इतने महत्वपूर्ण मामले में एकदम गलत इंफार्मेशन दे रहे हैं। मेरे पास इस पूरे मामले से जुड़ी सभी प्रकार की इंफार्मेशनज हैं और all this information has been taken by RTI . अध्यक्ष महोदय, मेरे पास डॉ. सत्य पाल सिंह, पूर्व मानव संसाधन विकास और जल संसाधन, नदी

विकास एवं गंगा संरक्षण राज्य मंत्री, भारत सरकार का दिनांक 17 जुलाई, 2018 का एक डी.ओ. लैटर है जिसमें स्पष्ट तौर से वर्णित है कि यह जमीन टैक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम ट्रांसफर हो चुकी है और इसमें साफ तौर से यह भी कह दिया गया है कि इस आई.आई.टी. से संबंधित लैंड को आई.आई.टी.दिल्ली को ट्रांसफर कर दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी संबंधित लैंड को ट्रांसफर करने संबंधी अपनी स्वीकृति दे दी है लेकिन सदन में इस विषय पर जिस तरह की बात की जा रही है उससे हमें इस बात का अंदेशा हो रहा है कि सरकार इस आई.आई.टी. कैंपस को यहां पर न बनाकर इसे कहीं और शिफ्ट न कर दे।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या बिल्कुल गलत तथ्यों के साथ सदन को गुमराह कर रही हैं। यह जमीन 15.19 करोड़ रुपये में खरीद कर आई0आई0टी0 दिल्ली को ट्रांसफर कर दी गई थी लेकिन उन्होंने इस जमीन पर यह बनाने से इन्कार कर दिया है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि इन्होंने जमीन खरीद कर दे दी थी लेकिन आई0आई0टी0 दिल्ली ने इस जमीन पर आई0आई0टी0 का सैन्टर बनाने से इन्कार कर दिया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या को फिर से On the floor of the House जानकारी दे रहा हूँ कि इस जमीन पर आई0आई0टी0, दिल्ली ने आई0आई0टी0 का सैन्टर बनाने से इन्कार कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, इस बात की जानकारी का पत्र भी यदि माननीय सदस्या लेना चाहती है तो मुहैया करवा दिया जायेगा।

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूँ। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बहन जी, माननीय मंत्री जी ने कलीयर जवाब दे दिया है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसको डिबेट का विषय न बनाएं। (विघ्न)

श्री कुलदीप वत्स : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कलीयर जवाब नहीं दिया है। (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न काल का समय खत्म हो गया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप लोगों से अनुरोध है कि आप अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जायें, माननीय मंत्री जी ने स्पेसिफिक जवाब दे दिया है।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न का जवाब दे दिया है लेकिन कुछ माननीय सदस्यगण जवाब को ध्यान से सुनते नहीं और वही बात बार-बार रिपीट करते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसे ही हमें उपयुक्त भूमि मिलेगी जमीन चेंज करके हम आई0आई0टी0 दिल्ली को दे देंगे। हमने इस संबंध में अपने अधिकारियों को कहा हुआ भी है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है।

.....

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र०नों के लिखित उत्तर

To Generate Employment in State

***74. Shri Varun Chaudhary :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the steps taken by the Government to generate employment in Private and Government sector of State together with the details thereof?

उप-मुख्यमंत्री (श्री दुश्यंत चौटाला) : श्रीमान जी, इस बारे कथन सभा के पटल पर रख दिया गया है।

कथन

श्रीमान जी,

1. रोजगार विभाग बेरोजगार युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में उपलब्ध नौकरी के अवसरों को प्रदान करने के लिए रोजगार मेलों का आयोजन करता है। अक्तूबर, 2014 से 515 विभागीय रोजगार मेलों के आयोजन से 35,437 युवाओं का समायोजन निजी क्षेत्र में करवाने के अतिरिक्त चार महा रोजगार मेलों के माध्यम से वर्ष 2019 में 7,403 बेरोजगार युवाओं को भी निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए जिससे यह संख्या कुल 42,840 हो गई।

2. सक्षम हरियाणा अभियान के अन्तर्गत 79,680 युवाओं को ड्राइवर (सक्षम सारथी) तथा सुरक्षा गार्ड (सक्षम रक्षक) के रूप में ओला, उबर, जी4एस, जमैटो और स्विगी के साथ अनुबन्ध सहभागिता के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध करवाया गया।

3. शिक्षित बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उठाये गए नये प्रयास के तहत शुरू की गई कौशल प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2017 से लेकर दिसम्बर, 2019 तक कुल 10,906 सक्षम युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया।

4. नवम्बर, 2016 में योजना के प्रारम्भ से लेकर कुल 1,57,130 सक्षम युवाओं को 374.68 करोड़ रु0 की राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में तथा इन्हीं प्रार्थियों में से 98,771 को 326.83 करोड़ रु0 की राशि मानदेय के रूप में वितरित की गई। अप्रैल, 2017 से लेकर जनवरी, 2020 तक 3,308 सक्षम युवाओं ने रोजगार भी प्राप्त किया।

5. अक्तूबर, 2014 से जनवरी, 2020 तक की अवधि में सामान्य सजीव रजिस्टर तथा एक परिवार एक रोजगार (ओ.एफ.ओ.जे.) योजना के अधीन पंजीकृत कुल **2,859** प्रार्थियों को सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थापनाओं में राज्य के विभिन्न रोजगार कार्यालयों के माध्यम से अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध, रोजगार कार्यालयों (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के तहत समायोजित करवाया गया।

6. उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र में, निजी उद्यम और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए राज्य ने 2015 में एंटरप्राइज प्रमोशन पॉलिसी और 2019 में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज (एम.एस.एम.ई.) पॉलिसी को अधिसूचित किया है। हरियाणा एंटरप्राइजेज प्रमोशन कॉर्सिल के तहत उद्योग से सम्बन्धित स्वीकृतियों के लिए एकल खिड़की बनाई गई है।

अक्तूबर, 2014 से, हरियाणा की बड़ी और मध्यम औद्योगिक इकाइयों में 1 लाख 21 हजार प्रार्थियों को रोजगार मिला है। सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों द्वारा 2015 के बाद से उद्योग आधार मेमोरेंडम (यू.ए.एम.) में सुसज्जित आंकड़ों के अनुसार 7 लाख 57 हजार प्रार्थियों को रोजगार प्रदान किया गया है। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि 2014 से पहले स्थापित कुछ इकाइयों ने भी 2015 के बाद उद्योग आधार मेमोरेंडम (यू.ए.एम.) हेतु आवेदन दायर किये हैं। विभाग वर्तमान में एक औद्योगिक सर्वेक्षण कर रहा है जो इस सम्बन्ध में वास्तविक आंकड़े प्रदान करेगा।

7. अक्तूबर, 2014 से 21 फरवरी, 2020 तक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सरकार में विभिन्न पदों के लिए **68,205** प्रार्थियों का चयन किया गया।

8. वर्ष 2014 से 21 फरवरी, 2020 तक हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से सरकार में विभिन्न पदों के लिए **4,866** प्रार्थियों का चयन किया गया।

.....

To Provide Reservation in Industries

***359. Shri Balraj Kundu :** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide 75% reservation for the youth of Haryana in the industries running in the State; if so, the details thereof ?

उप—मुख्यमंत्री (श्री दुश्यंत चौटाला) : हाँ, महोदय, हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों को राज्य में स्थित विभिन्न कंपनियों, सोसायटियों, ट्रस्टों, सीमित देयता भागीदारी फर्मों, भागीदार फर्मों आदि में रोजगार मुहैया कराने के लिये 75 प्रतिष्ठत आरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

.....

Construction work of Ayush University

***309. Shri Subhash Sudha :** Will the Ayush Minister be pleased to state the time by which the construction works other than the boundary wall of Ayush University in 100 acre in village Fatehpur (Thanesar) of Kurukshetra are likely to be started togetherwith the details thereof?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : भवन के प्रथम चरण के लगभग 95000 वर्ग मीटर क्षेत्र को 36 महीने की अवधि में निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार एंजेसी (पी.एम.सी.) को नियुक्त करने के लिए विस्तृत निविदा सूचना आंमत्रित करने हेतु तैयार की जा चुकी है और शीघ्र ही जारी करने की संभावना है।

.....

Construction of Civil Hospital

***27. Shri Chiranjeev Rao :** Will the Health Minister be pleased to State-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a 200 beded Civil Hospital in Rewari City; and

(b) if so, the time by which the construction work of abovesaid hospital is likely to be started?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, श्रीमान जी। नागरिक हस्पताल वर्तमान समय में 200 बिस्तरीय कार्यरत है।

.....

To Spread Awareness among Girls

***347. Shri Ishwar Singh:** Will the Health Minister be pleased to state-whether it is a fact that girls have less knowledge about modern hygienic practices during menstruation in rural areas, if so, the steps taken by the Government to spread awareness among girls in rural areas of State about above mentioned practices togetherwith the details thereof?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : श्री मानजी, इस सम्बन्ध में विवरण सदन के पटल पर रखा है।

विवरण

हरियाणा में इस सम्बन्ध में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली लड़कियों में आधुनिक स्वच्छता प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी की कमी होती है, बारे में कोई भी अध्ययन प्राप्त नहीं है, किन्तु यह देखा गया है कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में किषोरी लड़कियां इसके बारे में कम जानती हैं।

किषोर स्वास्थ्य परामर्शदाता प्रातः स्कूलों में होने वाली प्रार्थना सभा में स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दों जिसमें मासिक धर्म स्वच्छता भी एक विषय है, की चर्चा करते हैं। यह परामर्शदाता विभिन्न प्रकार की रणनितियों जैसे : ऑडियो / विडियो चलाना, रोल प्ले और अन्य सामग्रियों जैसे चार्ट्स आदि का प्रयोग विषय को समझाने के लिए करते हैं। यह कार्यक्रम आज भी चल रहा है।

भारत सरकार ने पीयर एजूकेटर के लिये, किषोर स्वास्थ्य से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों, जिसमें मासिक धर्म भी एक मुद्दा है, साथिया नाम का मोबाईल एप

बनाया है। राष्ट्रीय किषोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) में पीयर एजूकेटर इस एप का प्रयोग अपनी मासिक बैठकों में करते हैं।

To Set up Solid Waste Management Plant

***349. Shri Ghanshyam Dass Arora :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set-up big solid waste management plants in every cluster of 3-4 districts in state; if so, the details thereof?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : महोदय, हां, इस प्रकार की योजना अतिंम निर्णय तक विचाराधीन है।

विवरण

कुल 86 नगर निगम, नगर परिषद् और नगरपालिकाओं से कचरा प्रबंधन हेतु 14 कलस्टर (सामुहिक संयंत्र) बनाये गये हैं। इन 14 कलस्टर (सामुहिक संयंत्र) में से 4 कचरे से बिजली उत्पादन संयंत्र हैं और 10 कलस्टर (सामुहिक संयंत्र) में कचरे से खाद का निर्माण/कचरे से ईधंन (आर.डी.एफ.) के संयंत्र हैं। जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

क्रम संख्या	कलस्टर (सामुहिक संयंत्र) का नाम	कलस्टर (सामुहिक संयंत्र) के तहत नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका का नाम	संयंत्र का विवरण
1	फरीदाबाद—गुरुग्राम	फरीदाबाद और गुरुग्राम	कचरे से ऊर्जा 1500 टन प्रतिदिन
2	सेनीपत—पानीपत	गनौर, समालखा, पानीपत और सोनीपत	कचरे से ऊर्जा 500 टन प्रतिदिन
3	पंचकूला	पंचकूला और नारायणगढ़	कचरे से खाद/ईधंन 200 टन प्रतिदिन
4	रेवाड़ी	अटेली मण्डी, कनीना, नारनौल, नांगलचौधरी, बावल, धरूहेड़ा, महेन्द्रगढ़ और रेवाड़ी	कचरे से खाद/ईधंन 260 टन प्रतिदिन
5	फतेहाबाद	भूना, टोहाना, जाखलमण्डी,	कचरे से

		फतेहाबाद, उकलाना मण्डी और रतिया	खाद / ईंधन 150 टन प्रतिदिन
6	पुनहाना	पुनहाना, फिरोजपूर झिरका, हथिन, पलवल और होडल	कचरे से खाद / ईंधन 175 टन प्रतिदिन
7	रोहतक	बहादुरगढ़, बेरी, गोहाना, झज्जर, जुलाना, कलानौर, खरखौदा, महम, कुण्डली, रोहतक और सांपला	कचरे से ईंधन 532 टन प्रतिदिन
8	अम्बाला—करनाल	अम्बाला, चीका, पिहोवा, शाहाबाद, ईस्माईलाबाद, थानेसर, करनाल, निसिंग, ईन्द्री, निलोखेड़ी, घरोड़ा, पूण्डरी और बांस	कचरे से ईंधन 815 टन प्रतिदिन
9	भिवानी	लोहारू, भवानीखेड़ा, भिवानी, सिवानी और चरखीदादरी	कचरे से खाद / ईंधन 195 टन प्रतिदिन
10	यमुनानगर	यमुनानगर—जगाधरी, लाडवा और सडौरा	कचरे से खाद / ईंधन 365 टन प्रतिदिन
11	डबवाली +सिरसा	ऐलनाबाद और सिरसा	कचरे से खाद / ईंधन 217 टन प्रतिदिन
12	फारुखनगर	फारुखनगर, हेलीमण्डी, पटोदी सोहना तावडू और नूंह	कचरे से खाद / ईंधन 89 टन प्रतिदिन
13	जीन्द	असंध, कलायत, जीन्द, उचाना, कैथल, राजौन्द, सफीदोंऔरनरवाना	कचरे से खाद / ईंधन 330 टन प्रतिदिन
14	हिसार	हिसार, हांसी, बरवाला, सिरसा और नारनौद	कचरे से खाद / ईंधन 325 टन प्रतिदिन

इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जहां तक कस्बों के स्तर पर खाद बनाने वाले विकेन्द्रीरण योजना पर भी विचार किया जा रहा है।

.....

To Construct an under Pass

*4. Shri Laxman Singh Yadav : Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct an under-pass on N.H.-71 in Village Gurawara in Kosli Constituency; and

(b) if so, the time by which it is likely to be constructed?

mi&eq[;ea=h ¼Jh nq";Ur pkSVkyk½ %

(क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) कोई समय सीमा, इसलिए, नहीं दी जा सकती।

.....

To give Possession of Shops in Auto Market

***274. Shri Vinod Bhayana :** Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that an announcement has been made by the Hon'ble Chief Minister in year 2016 in Hansi Assembly Constituency for the traders of the Auto Market, Hansi to give possession of shops in the under construction Auto Market till 31st December, 2016; and

(b) whether it is a fact that 25% amount for the said shops has also been deposited by the Auto Market traders upto March, 2019 but the possession of said shops has not been provided so far; if so, the time by which the possession of abovesaid shops is likely to be given?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) :

(क) हाँ, श्री मानजी,

(ख) लाटरी करने के पश्चात 286 व्यापारियों को जारी किए गए आशय पत्रों में से 165 व्यापारियों द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2019 तक 25 प्रतिशत राशि व 108 व्यापारियों द्वारा दिनांक 30.04.2019 को 25 प्रतिशत राशि जमा करवा दी गई थी (अर्थात् कुल 273 व्यापारियों द्वारा 25 प्रतिशत राशि जमा करवा दी गई)। 273 व्यापारियों में से अब तक 207 व्यापारियों को कब्जे की पेशकश की जा चुकी है और बकाया 66 व्यापारियों को शीघ्र ही कब्जे की पेशकश जारी कर दी जाएगी। इनका विवरण निम्नानुसार है:-

आशय पत्र जारी किए गए	286
दिनांक 31.03.2019 तक 25 प्रतिशत राशि जमा करवाई गई	165

दिनांक 34.04.2019 तक 25 प्रतिशत राशि जमा करवाई गई	108
योग	273
कब्जे की पेशकश	207
कब्जे की पेशकश शीघ्र ही कर दी जाएगी	66
जिन व्यापारियों द्वारा 25 प्रतिशत राशि को जमा नहीं करवाया गया इसलिए उन्हें कब्जे की पेशकश नहीं की गई	13
कुल योग	286

To Shift the Electricity Wires

***70. Shri Ram Karan:** Will the Power Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to shift the electricity wires passing over the house in villages of Shahabad Constituency?

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह) : हाँ, श्रीमान्।

.....

अतारांकित प्र०न उत्तर

To Open PHC

67. Smt. Naina Singh Chautala : Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open Primary Health Centre in village Bindraban of Badhra Constituency; if so, the time by which it is likely to be opened?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, जी।

.....

To Increase the Capacity of Hansi Branch Canal

16. Dr. Krishan Lal Middha: Will the Chief Minister be pleased to state-

- (a) the total capacity of Hansi Branch Canal togetherwith the cusec of water being released in Hansi Branch Canal presently; and
- (b) whether there is any proposal under consideration of the Government to increase the capacity of Hansi Branch Canal; and

(c) total cusec of water is being supplied to Jind district from Hansi Branch Canal presently?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) श्रीमान जी, हांसी शाखा के हैड पर रूपांकित (डिजाईन) वाहक क्षमता 8000 क्यूसिक है और वर्तमान में हांसी शाखा में 6000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है।

(ख) हांसी शाखा की क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है परन्तु इस नहर के पुनर्वास का कार्य चरणों में करने का प्रस्ताव है।

(ग) जीन्द जिले को वर्तमान में हांसी शाखा द्वारा रबी सीज़न के दौरान 300 क्यूसिक पानी और खरीफ सीज़न के दौरान 400 से 550 क्यूसिक पानी की आपूर्ति की जा रही है।

To Open Medical College

40. Shri Amit Sihag : Will the Medical Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Medical College in Dabwali togetherwith the time by which it is likely to be opened alongwith the details thereof?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, श्रीमान जी।

To Renovate the Minors

70. Smt. Naina Singh Chautala : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to renovate the Rahdoudi minor, Jhojhu minor and Bijna minor; if so, the time by which these are likely to be renovated?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :

(क) हां जी। विभाग द्वारा पहले से ही राहदोड़ी माइनर, झोझु माइनर और बिजना माइनर के नवीनीकरण का कार्य प्रस्तावित है।

(ख) इन माइनरों के नवीनीकरण/ पुनर्वास का कार्य 30.09.2020 तक पूरा कर लिया जाएगा।

Proprietary Rights to the Shopkeepers

9. Shri Pardeep Chaudhary : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to give proprietary rights to the shopkeepers of Railway road Kalka who are paying rent to the Municipal Committee/Municipal Corporation for last 50-60 years; if so, the time by which the proprietary rights are likely to be given to the above said shopkeepers ?

x`g ea=h ¼Jh vfuy fot½ % Jheku~ th] gfj;k.kk u xj fuxe vf/kfu;e] 1994 dh /kkjk 164 (lh) esa la'kks/ku mijkUr ljdkj }kjk ;knh Øekad 14@73@2018&4d1] fnukad 16-8-2018 }kjk nqdkunkjksa dks 20 lky iw.kZ gksus ds ckn IElfÙk dk vf/kdkj nsus gsrq foLr`r fn'kk funsZ'k tkjh fd;s x;s gSaA ekeyk u xj fuxe iapdwyk ds fopkjk/khu gS A

To Start the Transport Facilities

47. Shri Sita Ram : Will the Transport Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to start bus services from Ateli or Kanina to religious cities Mathura, Vrindavan, Haridwar, Ayodhya, Puskar etc.; if so, the time by which it is likely to be started?

परिवहन मंत्री (श्री मूलचन्द भार्मा) : श्रीमान् जी, नहीं। इसलिए प्रश्न का दूसरा भाग उत्पन्न नहीं होता।

To Open PHC

69. Smt. Naina Singh Chautala: Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under condideration of the Government to open Primary Health Centre in the village Chandeni of Badhra Constituency; if so, the time by which it is likely to be opend?

गृह मंत्री (श्री अनिल विज) : नहीं, जी।

Reconstruction of the Rivulets

41. Shri Amit Sihag : Will the Chief Minister be pleased to state-

- (a) whether it is a fact that the Government has reduced the time period for the reconstruction of the rivulets from 20 years to 15 years as per its policy decision; and
- (b) if so, the number of farmers of district Sirsa and Dabwali subdivision benefitted from the above said policy ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) :

(क) श्रीमान जी, सरकार ने 2019 की अपनी नीति के अनुसार जलमार्गों (नालों) की मुरम्मत के लिए समय अवधि/ आयु 20 वर्ष से घटाकर 15 वर्ष नहीं की है। इसके बजाए, विभिन्न किसानों की मांग पर सरकार ने एक विशेष योजना के अन्तर्गत, 15 से 20 वर्ष के बीच की आयु के जलमार्गों को 75 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त होने पर दोबारा बनाने की अनुमति दी है। हालांकि, इस तरह के जलमार्गों के पुनर्वास/मुरम्मत की लागत का 25 प्रतिशत, जल उपभोक्ता समिति द्वारा जमा किया जाना आवश्यक है।

(ख) सरकार द्वारा यह नीति मई 2019 में ही अनुमोदित की गई है, इसलिए इसका लाभ जमीदारों को आने वाले वर्षों के दौरान दिखाई देगा। इस नीति से सिरसा एवं डबवाली उप-मंडल के लगभग 395 किसान लाभान्वित हुए हैं क्योंकि संशोधित मानदण्ड को 24 फुट प्रति एकड़ कृषि कमान क्षेत्र से बढ़ाकर 40 फुट प्रति एकड़ करने से उनके जलमार्गों को 20000 फीट तक पक्का करके बढ़ा दिया है।

To Give the Ownership Rights

27. Shri Kuldeep Bishnoi : Will the Animal Husbandry and Dairying Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to give ownership rights to the residents of villages Peeranwali, Dhandoor, Jhidi, Diggi Tal and Badwali Basti of Adampur assembly constituency?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : नहीं, श्रीमान जी।

Construction of Soil And Water Testing Laboratory

68. Smt. Naina Singh Chautala : Will the Agriculture and Farmers Welfare Minister be pleased to state the time by which the construction

work of soil and water testing laboratory at Badhra town is likely to be completed?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : चरखी दादरी जिले के बाढ़ा कस्बे में मृदा एंव जल परीक्षण प्रयोगशाला जून, 2020 तक स्थापित होने की संभावना है।

.....

भून्य काल का मामला उठाना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री जी वर्ष 2020–21 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करेंगे। माननीय सदस्यगण, आज जीरो ऑवर नहीं होगा क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी बजट प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज हरियाणा विधान सभा के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा विधान सभा को पेपर लैस करने की तरफ एक बहुत बड़ा अहम कदम बढ़ाने जा रहे हैं। (इस समय मेजें थपथपाई गई) आज का पूरा बजट माननीय सदस्यों को जो टैबलेट दिया गया है उसमें फीड किया गया है। माननीय सदस्यगण इस टैबलेट को खोल कर पूरा बजट पढ़ सकेंगे। टैबलेट के संबंध में माननीय सदस्यों की हैल्प के लिए विधान सभा के चार कर्मचारी भी सदन में उपस्थित हैं। This is first time in the History of India कि इस तरह का काम पूरे देश के अंदर न तो पार्लियामेंट में हुआ है और न ही देश की किसी विधान सभा में हुआ है। (इस समय मेजें थपथपाई गई।)

श्री भारत भूषण बत्रा : अध्यक्ष महोदय, बजट अनुमान प्रस्तुत करवाने से पहले आप जीरो आवर में चर्चा करवाइये।

श्री अध्यक्ष : बत्रा जी, क्या आज तक कभी भी बजट अनुमान पेश करने से पूर्व कोई बिजनेस टेक अप किया गया है? क्या आप सदन में नई—नई परम्पराएं डालना चाहते हैं? (शोर एवं व्यवधान)

मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, आप जीरो आवर में सदन में हमारे इशूज पर चर्चा करवाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद इलियास जी, आप बताइये कि क्या आपकी पार्टी की सरकार के समय में 10 सालों के दौरान बजट अनुमान पेश करने से पूर्व किसी एक दिन भी जीरो आवर पर चर्चा हुई थी? अब आप बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे नेम करना चाहते हैं तो बेशक कर दीजिए लेकिन आप जीरो आवर शुरू कीजिए ।

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद इलियास जी, आप बैठ जाइये नहीं तो मुझे आपको नेम करके सदन से बाहर निकालना पड़ेगा ।

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, आप जीरो आवर में सदन में हमारे इशूज पर चर्चा करवाइये । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, क्या आप अपने विधायकों को सदन में इस तरह से बर्ताव करने की ट्रेनिंग देते हो ? (शोर एवं व्यवधान)

मोहम्मद इलियास : अध्यक्ष महोदय, हम आपसे बार—बार कह रहे हैं कि आप जीरो आवर में चर्चा करवाइये ।

श्री अध्यक्ष : इलियास जी, मैं आप सभी माननीय सदस्यों को इस बारे में नियम पढ़कर सुनाता हूं – It is clearly mentioned in Rule 189 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly that-

"On the day fixed no business other than the presentation of the Budget and the asking of questions and the giving of replies thereto shall take place except with the consent of the Speaker."

आज जीरो आवर में मुद्दे उठाने की कोई परमीशन नहीं है, इसलिए आप सब बैठिये ।

.....

वर्ष 2020–21 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय वर्ष 2020–21 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करेंगे ।

eq[;ea=h %Jh euksjyky% % ekuuh; v/{k egksn;]

1. इस गरिमामयी सदन के समक्ष हरियाणा के वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2020–21 के लिए राज्य बजट प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष भी है और गर्व भी ।
2. मेरे हर्ष का कारण यह है कि हरियाणा के समाज के सभी वर्गों और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के अनेक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा वर्ष 2019 के आम चुनावों में हरियाणा की जनता द्वारा निर्वाचित विभिन्न राजनीतिक

विचारधाराओं वाले सभी सांसदों एवं सभी विधायकों से व्यापक विचार—विमर्श करके ही बजट बनाने का मेरा संकल्प सफल हुआ है।

3. अपना यह विचार मैंने अपने अधिकारियों और सलाहकारों से पहली बार गत दिसम्बर में सांझा किया था। उनकी प्रथम प्रतिक्रिया थी कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के संगठनों से आगामी बजट के बारे में बात करना तो ठीक है, परंतु विपक्षी राजनीतिक दलों से बात नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था कि हरियाणा में तो क्या, स्वतंत्र भारत के इतिहास में किसी भी प्रदेश में किसी भी वित्त मंत्री ने कभी भी बजट से पहले सभी विधायकों से परामर्श नहीं किया है। कइयों को तो यह भय था कि विधायक केवल अपने चुनाव क्षेत्रों की मांगें ही रखेंगे और उन सबके लिए धन राशि उपलब्ध करवाना असंभव होगा।
4. परंतु मैं अपने संकल्प पर अडिग रहा।
5. मैंने पूरे दो माह कुल 8 बजट पूर्व परामर्श सत्र आयोजित किए। गुरुग्राम में 8 जनवरी को सेवा क्षेत्र तथा भू—संपदा क्षेत्र, 14 जनवरी को पानीपत में विनिर्माण एवं कपड़ा क्षेत्र, 15 जनवरी को फरीदाबाद में विनिर्माण क्षेत्र तथा 16 जनवरी को हिसार में कृषि क्षेत्र के परामर्श सत्रों में 101 संगठनों और संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने कुल 215 सुझाव दिए। 7 फरवरी को चण्डीगढ़ में हरियाणा के विभिन्न महिला समूहों और संगठनों की 21 प्रतिनिधियों ने मुझे 66 सुझाव दिये तथा 10 फरवरी को नई दिल्ली में प्रदेश के सांसदों ने मुझसे 17 सुझाव सांझे किए। सर्वाधिक 620 सुझाव मुझे इस गरिमामयी सदन के विधायकों ने पंचकूला में चले तीन दिवसीय सत्र में दिए। इनके अतिरिक्त, बीसियों सुझाव मुझे लिखित रूप में पत्रों तथा ज्ञापनों के माध्यम से भी प्राप्त हुए।
6. यह ठीक है कि कुछ सुझाव एक जैसे थे और कई सरकार के सामान्य काम—काज के बारे में थे। कुल मिलाकर लगभग 300 से भी अधिक अलग—अलग सुझाव सीधे—सीधे बजट के बारे में थे। इस सदन के सभी विधायक विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं कि उन सबने मेरा मंतव्य समझा और अपने—अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं तक सीमित न रहकर राज्यव्यापी योजनाओं की कमियों और नई योजनाओं की आवश्यकता बारे भी मुझे अपने सुझाव दिये।
7. मैंने हर सुझाव पर मनन किया और मुझे खुशी है कि जो बजट मैं आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसमें 70 प्रतिशत से भी अधिक सुझावों के लिए मैं प्रावधान कर पाया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि जब भी वे सुझाव आएंगे। अगर हमारा सुझाव उसमें सम्मिलित है तो जरूरत संतोष व्यक्त करें और मुझे बताएंगे तो मुझे उसमें गर्व का अनुभव होगा। मेरे हर्ष का एक बड़ा कारण यह भी है कि अक्टूबर, 2019 के जनादेश से बनी हमारी सरकार के इस प्रथम बजट के माध्यम से दोनों सत्तारूढ़ दलों के संकल्प पत्रों के अधिकांश वादों का क्रियान्वन शुरू हो जाएगा तथा कई और पूरे हो जाएंगे।

8. अध्यक्ष महोदय, अपने प्रथम बजट को इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मेरे गर्व का पहला कारण है कि मैं इसमें विभिन्न विभागों की सभी योजनाओं के लिए धन राशि का आवंटन इस प्रकार कर पाया हूँ, जिससे हर दिन सुबह जल्दी उठकर खेतों, फैक्टरियों और दुकानों की तरफ काम पर जाने वाला हर मेहनतकश आम हरियाणवी अपने जीवन को सुगम होता और अपनी आय को बढ़ा हुआ पाएगा। अपने बच्चों को सरकारी स्कूल छोड़ते समय सभी हरियाणवी आश्वस्त होंगे कि उनके बच्चों को वहां अच्छी शिक्षा मिलेगी। अपने निकट संबंधियों का हाल पूछने के लिए किसी भी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में जाने वाला हर हरियाणवी निश्चिंत होगा कि वहां उसे सर्वोत्तम चिकित्सा मिलेगी। हर हरियाणवी परिवार अपने को खुशहाल होता और अपने सभी युवा सदस्यों को या तो रोजगार में लगा या रोजगार के लिए हुनर हासिल करता देखेगा। राष्ट्र की सीमाओं पर प्रहरी के रूप में खड़े हमारे सैनिक और अर्ध-सैनिक बलों का हर हरियाणवी जवान आश्वस्त होगा कि उसके परिवार की सुरक्षा तथा कल्याण की ओर प्रदेश सरकार का पूरा ध्यान है। हर भारतीय और विदेशी निवेशक हरियाणा में निवेश करने को उत्सुक होगा। मेरा विश्वास है कि इसके फलस्वरूप, हम सब हरियाणा प्रदेश के भविष्य को निरन्तर समृद्ध एवं सशक्त बनता हुआ अनुभव करेंगे।

9. मैं गर्वित हूँ कि जन मानस के इस स्वर्ज को यथार्थ बनाने के लिए इस बजट में तमाम प्रावधान करते हुए मैंने कालिदास के महाकाव्य रघुवंशम् के प्रथम सर्ग के 18वें श्लोक में वर्णित कर व्यवस्था :

॥ctkukeso HkwR;Fk± | rkH;ks cfyexzghr~ A

Iglzxq.keqRlz"VqeknÙks fg jla jfo:AA॥

का भी पालन किया है। इस श्लोक का अर्थ है कि जैसे सूर्य हजार गुना पानी बरसाने के लिए ही पृथ्वी के जल का बहुत कम भाग लेता है, वैसे ही सूर्यवंशी शासक भी अपनी प्रजा के हित के लिए ही प्रजा से बहुत कम मात्रा में कर लिया करते थे। मेरे लिए भी ऐसा करना संभव हुआ, इसके लिए मैं हर उस व्यक्ति, संस्था और संगठन का आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने मुझे खुलकर अपने सुझाव दिए।

10. इससे पहले कि मैं सभी बजट प्रस्तावों को आपके समक्ष रखूँ राज्य की अर्थव्यवस्था और राजकोषीय स्थिति के अब तक के प्रदर्शन पर हमें एक नज़र अवश्य डालनी चाहिए।

vFkZO;OkLFkk dk vkdkj ,oa o`f)

11. आर्थिक सर्वेक्षण के अँकड़े सदन के पटल पर रखे गए हैं। इनके अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2019–20 में भारतवर्ष का सकल घरेलू उत्पाद अर्थात् जी.डी.पी. वर्तमान मूल्यों पर 204.42 लाख करोड़ रुपये और हरियाणा की जी.एस.डी.पी. 8.32 लाख करोड़ रुपये रहेगी। इसका अर्थ है कि देश के क्षेत्रफल का 1.34% और जनसंख्या का 2.09% होने के बावजूद आज देश की जी.डी.पी. में हरियाणा का 4.07% योगदान है। इसी प्रकार, वर्ष 2019–20 के दौरान स्थिर

मूल्यों पर भारत की आर्थिक वृद्धि दर 5% जबकि हरियाणा की आर्थिक वृद्धि दर 7.75% रहेगी। यह गर्व की बात है कि हमारा यह छोटा—सा प्रदेश आज भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था के विकास का एक बड़ा इंजन सिद्ध हो रहा है।

12. अर्थशास्त्र का अध्ययन करने वाले जानते हैं कि जी.डी.पी. को जनसंख्या से विभाजित करके प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। यह और भी गर्व की बात है कि वर्ष 2014–15 से 2018–19 के दौरान हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय में 35.49% की वृद्धि हुई है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2018–19 में स्थिर मूल्यों पर 1,69,409 रुपये की तुलना में वर्ष 2019–20 में बढ़कर 1,80,026 रुपये होने का अनुमान है, जोकि 6.3% की वृद्धि दर्शाती है। अग्रिम अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2019–20 में वर्तमान मूल्यों पर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2,64,207 रुपये अनुमानित है जोकि 1,35,050 रुपये की अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय से लगभग दुगुनी है।

jktalks"kh; fLFkfr

13. माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकोष अर्थात् सरकारी खजाना जनता की गाढ़ी मेहनत की कमाई पर लगे टैक्सों से भरता है। इसलिए इसकी पाई—पाई को जनहित में खर्च करना और पूरी जिम्मेदारी से इसकी फिजूलखर्ची पर रोक लगाना किसी भी निर्वाचित सरकार का परम धर्म होता है। आय और व्यय को संतुलित रखने का कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पुस्तक 2 के 7वें अध्याय के 34वें श्लोक में भी एक सिद्धांत है:

**^^O;q"V ns'kdky eq[kkuqorZu :Ik y{k.k ifjek.k
fu{ksi Hkktuxks ik;dS'p uhoha leku;sRk~^~**

सरल भाषा में इस सिद्धांत का भावार्थ है कि शासक को निर्धारित तिथियों पर राजकोष में होने वाली विभिन्न प्राप्तियों तथा व्ययों का संकलन करके शेष धन का मिलान करते रहना चाहिए।

14. आधुनिक अर्थशास्त्र में इस संबंध में 2 बड़े मानक होते हैं : राजकोषीय घाटे और ऋण का जी.डी.पी. से अनुपात। गर्व की बात है कि हम राजकोषीय घाटे को चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित जी.डी.पी. की 3% की सीमा के अंदर रखने में सफल हुये। वर्ष 2017–18 में हमारा राजकोषीय घाटा राज्य की जी.डी.पी. का 2.62% था। वर्ष 2018–19 में यह उदय के बिना 2.69% तथा उदय के साथ 2.98% रहा। संशोधित अनुमान 2019–20 के अनुसार, यह उदय के साथ 2.82% और उदय के बिना 2.56% रहेगा।
15. हमारा कुल ऋण भी जी.एस.डी.पी. की 25% की निर्धारित सीमा के अन्दर रहा है। वर्ष 2018–19 में उदय के बिना यह 17.82% था, संशोधित अनुमान 2019–20 में यह 18.14% अनुमानित है। उदय के साथ यह अनुपात 2018–19 में 21.36% था और संशोधित अनुमान 2019–20 में 21.26% अनुमानित है।

16. इन दो मुख्य मानकों के पालन के अतिरिक्त हम राजस्व घाटे को कम करने में भी सफल हुए हैं। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि 2016–17 में राजस्व घाटा, जीएसडीपी का 2.83% था, वर्ष 2017–18 में यह 1.63% था तथा 2018–19 में 1.54% था। सर्वविदित है कि प्रभावी राजस्व घाटा एक और भी बेहतर राजकोषीय संकेतक है, क्योंकि इसमें राजस्व घाटे से पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु दिया गया अनुदान शामिल नहीं होता। वर्ष 2016–17 में प्रभावी राजस्व घाटा 2.81% था, जो वर्ष 2018–19 में 1.01% रह गया है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार ने अर्थव्यवस्था में पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन पर अधिक बल दिया है।
17. माननीय अध्यक्ष महोदय, सब जानते हैं कि सरकारी खजाने से हुआ कोई भी खर्च या तो पूँजीगत व्यय होता है या राजस्व व्यय। पूँजीगत व्यय अर्थात् Capital Expenditure का आर्थिक विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। यह बहुत हर्ष की बात है कि वर्ष 2016–17 के 16653.84 करोड़ रुपये के पूँजीगत व्यय की तुलना में वर्ष 2018–19 में हमने पूँजीगत व्यय को दुगुना यानि 33246.11 करोड़ रुपये कर दिया।
18. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अर्थात् पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग हमारे आर्थिक ताने—बाने के महत्वपूर्ण घटक हैं। पूँजी निर्माण और रोजगार सृजन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यद्यपि ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित करना सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों का मुख्य उद्देश्य नहीं होता, परंतु इनसे आशा की जाती है कि इनके अच्छे परिणाम हों।
19. इन सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में सरकारी खजाने से कुल निवेश वर्ष 2014–15 के 9141.10 करोड़ रुपये से 218% बढ़कर वर्ष 2018–19 में 29130.58 करोड़ रुपये हो गया। मैं कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत 23 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से उन 19 उपक्रमों के प्रबंधन और कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने वर्ष 2018–19 में 1704.09 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया। गौरतलब है कि वर्ष 2014–15 में केवल 13 उपक्रम शुद्ध लाभ की स्थिति में थे। इसी प्रकार, वर्ष 2014–15 में सार्वजनिक क्षेत्र के 10 उपक्रम घाटे में थे, जबकि 2018–19 में इनकी संख्या घटकर केवल 4 रह गई। इसी अवधि में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का सकल घाटा 2213.83 करोड़ रुपये से घटकर केवल 52.09 करोड़ रुपये रह गया।
20. सहकारी समितियां अधिनियम, 1984 के तहत पंजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के 19 उपक्रमों ने भी सुधार के लक्षण दर्शाए हैं। इनमें से लाभ कमाने वाले उपक्रमों की संख्या 2014–15 में 7 से बढ़कर 2018–19 में सात हो गई और इस दौरान उनका लाभ 40.61 करोड़ रुपये से बढ़कर 93.08 करोड़ रुपये हो गया।
21. अध्यक्ष महोदय, 18 फरवरी को जब हम विधायकों के बजट पूर्व परामर्श सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत कर रहे थे तो उस दिन महर्षि स्वामी दयानंद की 197वीं जयंती होने के कारण हमने उनके जीवन मूल्यों पर भी मनन किया

था। हम सबने माना था कि उनके दिखाए मार्ग पर चलने का अर्थ है कि हम अच्छी परम्पराओं की रक्षा करें, बुरी परम्पराओं को तोड़ने में न झिझकें और नई परम्पराओं को शुरू करने का साहस भी रखें।

22. जहां हमने बजट पूर्व व्यापक विचार—विमर्श की एक नई परम्परा की शुरुआत की है, वहीं राजकोषीय घाटे को जी.डी.पी. के 3% और ऋण को 25% की सीमाओं में रखने की परम्पराओं का पालन किया है। अब जो बजट में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसमें वर्ष 2020–21 में राजकोषीय घाटा जी.एस.डी.पी. का 2.73% रखने का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में हमारा राजस्व घाटा 1.64% तथा प्रभावी राजस्व घाटा 0.75% रहने का अनुमान है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगले 5 वर्षों में प्रभावी राजस्व घाटे को शून्य पर लाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।
23. अध्यक्ष महोदय, इस बजट में हमने कुछ परम्पराओं को तोड़ा भी है। सभी विभाग अक्सर अपनी स्कीमों को अपनी संतान प्रायः मान लेते हैं। वे किसी भी स्कीम को बंद नहीं होने देना चाहते। मैंने सभी विधायकों से आग्रह किया था कि वे अनुपयोगी योजनाओं के बारे में मुझे बताएं। मुझे खुशी है कि इस बजट में हमने 132 योजनाओं का 46 योजनाओं में विलय कर दिया है, 18 योजनाओं को समाप्त कर दिया है और 6 योजनाओं का अन्य विभागों में समावेश किया है। यह एक सतत प्रक्रिया रहेगी और आने वाले दिनों में योजनाओं का और अधिक युक्तिकरण किया जाएगा।
24. इसके अतिरिक्त एक और परम्परा है कि इस सदन द्वारा पारित बजट पर वित्त विभाग द्वारा त्रैमासिक व्यय सीमा लगाई जाती है। मैंने वर्ष 2020–21 से कई महत्वपूर्ण योजनाओं जो, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, महिला कल्याण तथा कृषि, मत्स्य पालन, बागवानी और सिंचाई से सम्बन्धित हैं, उनसे त्रैमासिक व्यय सीमा हटाने का निर्णय लिया है। ऐसा करने से इनके लिए वर्ष भर निर्बाध रूप से धन मिलता रहेगा।
25. हरियाणा की अर्थव्यवस्था और राजकोषीय स्थिति के उपरोक्त संक्षिप्त चित्रण से यह स्पष्ट है कि यदि हम राजकोषीय अनुशासन तथा सुधारों के मार्ग पर इसी प्रकार चलते रहे तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाकर 5 ट्रिलियन डालर करने के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में हरियाणा का अत्यंत विलक्षण एवं प्रभावी योगदान रहेगा, जिसे राष्ट्र के आर्थिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मुझे विश्वास है कि आज का राज्य बजट इस मार्ग को सुगम एवं प्रशस्त करेगा।
26. अध्यक्ष महोदय, अब मैं बजट प्रस्तावों पर आता हूँ। एक प्रथा रही है कि विभिन्न योजनाओं के लिए धनराशि का आवंटन अर्थव्यवस्था के क्षेत्रवार और फिर प्रत्येक क्षेत्र में विभागवार पढ़ा जाता है। मैं इसी के अनुरूप ही सारे आवंटन आपके समक्ष रखूँगा। वित्त मंत्री के हाथ में सारा राजकोष होता है और उसका आवंटन वे अपनी इच्छानुसार करते हैं। सिर्फ एक और व्यक्ति के बारे में वे चिंतित रहते हैं कि कहीं कुछ बुरा ना मान लें। आप जानते हैं कि वह व्यक्ति होता है CM। चूंकि संयोग से इस बार मैं CM भी हूँ और FM भी,

तो आप को लग सकता है कि मुझ पर यह बन्धन नहीं था। परन्तु सत्य यह है कि बजट के बनाने के दौरान पूरे समय मेरे सामने भी एक CM का ख्याल था। वह CM मैं नहीं वरन् एक ऐसा CM है जिसकी सेवा और सुख—समृद्धि का ध्यान हम सभी को भी रहता है। यह CM है Common Man।

27. इसलिए जब मैंने बजट पूर्व परामर्श में प्राप्त हुए सुझावों पर मनन किया तो क्षेत्रीय एवं विभागीय सोच से ऊपर उठकर आम हरियाणवी के लिए चार मुख्य लक्ष्यों को निरन्तर ध्यान में रखा। ये चार लक्ष्य एक प्रकार से वे चार स्तम्भ हैं, जिन पर पूरा बजट बना है। वे चार लक्ष्य हैं :

शिक्षा — शिशुओं, किशोरों, युवकों सभी को अत्याधुनिक एवं गुणवत्तापरक शिक्षा

स्वास्थ्य— नवजात से लेकर वयोवृद्ध तक सभी के लिए सहज, सुगम एवं सर्वोत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं

सुरक्षा — हर व्यक्ति और वर्ग की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा।

स्वावलंबन— हर व्यक्ति, संस्था, समूह और संगठन का स्वावलंबन।

मेरा आप से अनुरोध है कि हर क्षेत्र में हर विभाग के बजट प्रस्तावों को समझते समय इन चारों स्तम्भों को अवश्य ध्यान में रखें।

28. तो आइए, वर्ष 2020–21 के हरियाणा सरकार के बजट में मेरे द्वारा किए गए कुल 1,42,343.78 करोड़ रुपये के प्रावधानों तथा अन्य प्रस्तावों की प्रस्तुति के ठीक पूर्व एक बार हम सब मिलकर श्वेताश्वेतरोपनिषद से एक शांति मंत्र का पाठ करते हैं :

****Åa Igukoɔrq**

IgukS HkquDrq

Ig oh;Za djokogS A

rstfLouko/khreLrq

ek fof} "kkogSA] vksme~ "kkafr] 'kkafr] 'kkafrA**

29. आप जानते हैं कि “सह वीर्य करवा वहै” का अर्थ है कि “हम मिलकर परिश्रम करें।” और “तेजस्विनावधीतमस्तु” का अर्थ है कि “हमारे परिश्रम की वस्तु तेजस्वी हो।” इस बजट को बनाने में हमने मिलकर परिश्रम किया, इसीलिये आज का यह बजट तेजस्वी हो पाया है। ऊँ।

—f" k vkSj fdIku dY;k.k

30. माननीय अध्यक्ष महोदय! हमारी सरकार कृषि को भविष्योन्मुखी बनाने तथा किसान की आय को दुगुनी करने के राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति कृत—संकल्प है। इसके लिए अधिक से अधिक मात्रा में फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के प्रयास किए जा रहे हैं। “मेरी फसल—मेरा ब्यौरा” के ई—खरीद पोर्टल पर किसानों के पूर्व—पंजीकरण की प्रक्रिया अब काफी प्रचलित हो गई

है। राज्य में कृषि उत्पादन के विपणन के लिए सिस्टम लिंकेज को सुचारू, पारदर्शी और किसान—हितैषी बनाने के उद्देश्य से 54 मंडियों को ई—नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) योजना के साथ भी जोड़ा गया है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा पिंजौर में सेब मंडी, गुरुग्राम में फूल मंडी और सोनीपत में मसाला मंडी जैसी वस्तु विशिष्ट मंडियां विकसित की जा रही हैं।

31. किसानों के जोखिम को कम करने तथा उन्हें नवीन एवं आधुनिक कृषि पद्धतियां अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत, पिछले तीन वर्षों में किसानों को क्लेम के रूप में 2097.94 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है, जो बीमा कम्पनियों को अदा किए गए 1672.99 करोड़ रुपये के प्रीमियम से काफी अधिक है। प्रसन्नता की बात यह है कि केन्द्र सरकार ने किसानों के लिए अब इस योजना को स्वैच्छिक कर दिया है। राज्य को योजना के क्रियान्वयन में बढ़ाए गए अधिकार से यह योजना और अधिक कारगर सिद्ध होगी। वर्ष 2020–21 से हमारी सरकार कृषि व किसान कल्याण विभाग के प्रत्येक खण्ड कार्यालय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा कम्पनियों के प्रतिनिधि की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी ताकि किसानों के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से सम्बन्धित सभी कार्य ब्लॉक स्तर पर ही पूरे हो सकें। हम “प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना” को भविष्य में ट्रस्ट मॉडल की रूपरेखा पर चलाने के बारे में भी गंभीरता से विचार करेंगे। हमने ‘मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना’ के तहत भी किसानों के फसल बीमा प्रीमियम का भुगतान करने का प्रावधान किया है।
32. भारत सरकार द्वारा भूजल प्रबंधन और संरक्षण गतिविधियों में सुधार लाने के उद्देश्य से “अटल भूजल योजना” के नाम से एक नई योजना शुरू की गई है। भूजल प्रबंधन और संरक्षण गतिविधियां क्रियान्वित करने के लिए राज्य द्वारा पानी की कमी वाले 36 खण्डों की पहचान की गई है। साथ ही, इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए शीघ्र ही एक नया कानूनी ढांचा भी बनाया जाएगा।
33. किसानों को फसलों के लिए लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हमने “भावान्तर भरपाई योजना” के नाम से एक योजना शुरू की है। इसमें 10 सब्जियों नामतः टमाटर, प्याज, आलू, फूलगोभी, गाजर, मटर, बैंगन, अमरुद, शिमला मिर्च, किन्नू तथा तीन फसलों नामतः सरसों, बाजरा और सूरजमुखी को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत 360477 किसानों को लगभग 309.53 करोड़ रुपये की राशि दी जा रही है।
34. रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग रोकने के लिए सरकार ने 2015–17 के दौरान पहले चरण में 45.21 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड और 2017–19 के दौरान दूसरे चरण में लगभग 36.36 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए हैं। राज्य की सभी मंडियों में मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लक्ष्य पर चलते हुए 2019–20 में विभिन्न सरकारी भवनों व मंडियों में कुल 111 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं। अब सॉयल हैल्थ

कार्ड को “मेरी फसल मेरा ब्यौरा” पोर्टल से भी जोड़ा जाएगा। सॉयल हैल्थ कार्ड में दी गई सिफारिश के आधार पर जिन किसानों द्वारा फसल की बिजाई की जाएगी, उन्हें 50 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

35. राज्य में लवणीय व जलभराव वाली भूमि के सुधार के लिए एक कार्यक्रम वर्ष 1994–95 में शुरू किया गया था। परन्तु आज तक केवल 28,100 एकड़ भूमि सुधारी गई है। प्रदेश में लगभग 11 लाख एकड़ भूमि लवणीय व जलभराव की समस्या से प्रभावित है। इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए वर्ष 2020–21 में इस समस्या से ग्रस्त 1 लाख एकड़ भूमि को सुधारने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए इस कार्य को मिशन मोड में पीपीपी के तहत बढ़ावा दिया जाएगा।
36. पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत सरकार ने नई कृषि पद्धतियों और मशीनरी के माध्यम से फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए एक व्यापक अभियान चलाया है। 1637 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से इस वर्ष 5225 किसानों को रियायती दरों पर कृषि मशीनरी प्रदान की गई। किसानों के सक्रिय सहयोग से प्रदेश में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में काफी कमी आई है। वर्ष 2018–19 की तुलना में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में 35.32 प्रतिशत की कमी आई है। अब राज्य सरकार ने खेत में फसल अवशेषों का प्रबंधन करने वाले किसानों को 100 रुपये प्रति किवंटल का अतिरिक्त प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया है।
37. मैंने कृषि क्षेत्र के लिए वर्ष 2020–21 में उठाए जाने वाले जिन नए महत्वपूर्ण कदमों के लिए बजट प्रावधान किया है, उनमें से केवल 12 के बारे में मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा। ये इस प्रकार हैं :—
 - (i) सतत कृषि विकास (Sustainable Agriculture) के लिए राज्य में जैविक व प्राकृतिक खेती का क्षेत्र बढ़ाना बहुत आवश्यक है। अगले महीने अल्प बजट प्राकृतिक खेती पर आयोजित की जा रही एक राज्यस्तरीय कार्यशाला में राज्य भर के प्रगतिशील किसानों से विस्तृत चर्चा उपरान्त एक कार्य योजना तैयार की जाएगी। अगले तीन वर्ष में एक लाख एकड़ क्षेत्र में जैविक व प्राकृतिक खेती का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए उपयुक्त धनराशि का प्रावधान किया गया है।
 - (ii) हरियाणा की सभी बड़ी मण्डियों में क्रॉप ड्रायर (Crop Dryer) लगाए जाएंगे ताकि किसानों को फसल उत्पाद सुखाने में कोई परेशानी न आए एवं उनको फसलों का पूरा भाव बिना किसी कट के मिल सके।
 - (iii) हरियाणा की सभी सब्जी मण्डियों में महिला किसानों के लिए अलग से 10% स्थान आरक्षित किया जाएगा।
 - (iv) महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए किसान कल्याण प्राधिकरण में विशेष महिला सैल की स्थापना की जाएगी।
 - (v) गोदामों में चोरी की समस्या को रोकने के लिए, राज्य के भण्डारण निगम, हैफेड, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग इत्यादि के सभी गोदामों में

सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस वर्ष 52 गोदामों में कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। शेष गोदामों को अगले चरणों में लिया जाएगा। यह माननीय सदस्या गीता भुक्कल के प्रस्ताव पर आधारित हैं।

- (vi) जिन प्रगतिशील किसानों ने फसल विविधिकरण को अपनाया है, उन्हें Master Trainer के रूप में चयनित किया जाएगा। इन Master Trainers को दूसरे किसानों को फसल विविधिकरण के लिए सफलतापूर्वक प्रोत्साहित करने पर पुरस्कृत किया जाएगा। यह माननीय सदस्य श्री असीम गोयल तथा श्री घनश्याम अरोड़ा ने सुझाव दिया था।
- (vii) इस समय ब्याज मुक्त ऋण सुविधा केवल सहकारी संस्थाओं से लिए गये ऋणों पर उपलब्ध है और इसकी सीमा 1.5 लाख रुपये है। अब मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ब्याज रहित ऋणों की सुविधा उन किसानों को भी मिलेगी जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या सहकारी बैंक से प्रति एकड़ 60 हजार रुपये तक का, अधिकतम 3 लाख रुपये तक का फसली ऋण लेते हैं। इस सुविधा के लिए तीन शर्तें होंगी :—
पहली—किसान निर्धारित समय पर ऋण की अदायगी करे, दूसरी—किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर लिए गये सभी सहकारी ऋणों को घोषित करे और तीसरी—यह कि फसल के खरीद मूल्य में से ऋण की सीमा तक की अदायगी खरीद एजेंसी द्वारा सीधे उस संस्था के खाते में जमा करवाई जाएगी, जिससे किसान ने ऋण लिया हुआ है।
- (viii) एक किसान दूसरे किसानों के कृषि उपकरणों जैसे ट्रैक्टर, रोटावेटर, कंबाइन हारवेस्टर इत्यादि का उपयोग कर सके, इसके लिए किसान कल्याण प्राधिकरण द्वारा एक मोबाइल ऐप बनाई जाएगी।
- (ix) हरियाणा के विद्यालयों और महाविद्यालयों के विज्ञान के विद्यार्थियों को मिट्टी व जल परीक्षण के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाएगा ताकि यदि वे चाहें तो अपने प्राध्यापक की देख-रेख में मिट्टी व जल परीक्षण का काम एक प्रमाणित व्यवसायी के रूप में कर सके।
- (x) एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन स्कीम के अन्तर्गत विभाग द्वारा कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए कृषि यन्त्रों पर अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। हम सुनिश्चित करेंगे कि सभी पात्र छोटे व सीमान्त किसानों को मशीनों व कृषि यन्त्रों पर अनुदान वर्ष 2021–22 तक बिना लाटरी के उपलब्ध हो। साथ ही, कृषि उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए छोटे कृषि उपकरणों के निर्माताओं को भी सब्सिडी दी जाएगी। यह सुझाव भी कुछ विधायकों द्वारा दिया गया था।

- (xi) फसल अवशेषों के स्थल पर तथा दूसरे स्थान पर प्रबंधन हेतु एक व्यापक प्रबंधन योजना तैयार की गई है। इसके तहत सभी प्रभावित जिलों के हर ब्लॉक में पराली खरीद केन्द्र स्थापित किए जाएंगे।
- (xii) हमारे कई किसान भाई खेतों से जुड़ी हुई कई आर्थिक गतिविधियाँ करते हैं। जिनके लिए उन्हें बिजली विभाग को 7.50 रुपये प्रति यूनिट बिल देना पड़ता है। हमने निर्णय किया है कि हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग को आदेश देकर “विशेष कृषि आधारित गतिविधियों” के नाम से एक नई कैटेगरी बनवाई जाएगी, जिसमें 7.50 रुपये प्रति यूनिट की बजाय 4.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाएगी। इस कैटेगरी में पैक हाउस, ग्रेडिंग, पैकिंग, प्रीकूलिंग तथा राइपनिंग चैबंर, मधुमक्खी पालन, शहद प्रसंस्करण, टिशू कल्चर, झींगा एवं मत्त्य पालन, मुर्गी पालन, सूअर पालन, बल्क दूध शीतकरण तथा FPO द्वारा स्थापित 20 किलोवाट लोड तक के कोल्ड स्टोर आदि शामिल होंगे। ऐसे हजारों किसानों का अब बिजली का बिल 2.75 रुपये प्रति यूनिट कम हो जाएगा।

ckxokuh

38. अध्यक्ष महोदय ! प्रदेश में बागवानी के तहत वर्तमान के 8.17 प्रतिशत क्षेत्र को वर्ष 2030 तक दोगुना और बागवानी उत्पादन को बढ़ाकर तीन गुणा करने का हमारा लक्ष्य है। इसे और भी जल्दी पूरा करने के लिए मैंने बजट में कई नए प्रावधान किये हैं।
39. बागवानी में प्रदर्शनकारी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सतत उत्पादन के लिए, दो और उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से एक शुष्क भूमि बागवानी के लिए और दूसरा कटाई उपरान्त प्रबंधन के लिए है। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए फसल समूह विकास कार्यक्रम लागू किया गया है। इसके अलावा, किसानों की उपज के बेहतर संग्रह और प्रत्यक्ष विपणन के लिए 75581 किसानों की सदस्यता वाले 409 किसान उत्पादक संगठनों का गठन किया गया है। वर्ष 2022 तक 1000 और नए किसान उत्पादक संगठन बनाये जाएंगे।
40. बागवानी विभाग ने अम्बाला, यमुनानगर और पंचकूला में हल्दी की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक उपज वाली हल्दी की किस्मों की पहचान की है। हम वर्ष 2020–21 में किसान उत्पादक संगठनों को भी प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे। टमाटर, प्याज, आलू, किन्नू, अमरुद, मशरूम, स्ट्राबेरी, अदरक, गोभी, मिर्च, बेबीकॉर्न, स्वीटकॉर्न की प्रोसेसिंग के लिए राज्य भर में चिन्हित फसल समूहों में बीसियों नई इकाइयां स्थापित की जाएंगी।

41. वर्ष 2020–21 में किन्तु अमरूद एवं आम के बागों के स्थापना खर्च के अनुदान को 16,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति एकड़ किया जाएगा।
42. हम रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए खाद्य सामग्री को पैकिंग व ब्रांडिंग के साथ बिक्री हेतु वीटा एवं हैफेड की तर्ज पर राज्य भर में चिन्हित स्थानों पर 2000 आधुनिक बिक्री केन्द्र स्थापित करेंगे। इस काम को और बढ़ाने के लिए शीघ्र ही एक अलग संस्था भी खड़ी की जाएगी।

i'kqikyu ,oa Ms;jh

43. माननीय अध्यक्ष महोदय! हरियाणा का देश के पशुधन मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान है। पशुपालन गतिविधियां आय और रोजगार सृजन में अपना योगदान देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राज्य में पशुपालन एवं डेयरी विभाग 2883 पशु चिकित्सा संस्थाओं के आधारभूत ढांचे के माध्यम से 89.98 लाख पशुधन को पशु चिकित्सा व पशु प्रजनन सुविधाएं प्रदान करवा रहा है।
44. हमने राज्य में गाय और भैसों को मुँह–खुर व गलघोटू रोग से मुक्त बनाने के लिए संयुक्त वैक्सीन प्रयोग करके सफलतापूर्वक कार्य किया है जिसके परिणामस्वरूप पिछले एक साल से इन बीमारियों का कोई मामला सामने नहीं आया है।
45. “पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन सुरक्षा बीमा योजना” के तहत 2.20 लाख पशुओं का बीमा किया गया है। हरियाणा पहला राज्य है जिसने पशुओं के कल्याण और आनुवांशिक सुधार तथा पशु प्रजनन गतिविधियों को विनियमित करने के लिए “हरियाणा पशु (पंजीकरण, प्रमाणन और प्रजनन) अधिनियम, 2019” लागू किया है।
46. राज्य के पशुपालकों को कृत्रिम गर्भाधान की बेहतर सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिए “राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम” राज्य के पांच जिलों में दिनांक 16.09.2019 से शुरू किया है और इसके अंतर्गत अब तक 76,000 कृत्रिम गर्भाधान किये जा चुके हैं।
47. हमारी सरकार बेसहारा पशुओं विशेष तौर पर विदेशी एवं संकर नसल के सांडो के खतरे से निपटने के लिए भी दृढ़ संकल्पित है। राज्य की गायों में कृत्रिम गर्भाधान हेतु सभी पशु संस्थाओं में सैक्स सोर्टिड सीमन उपलब्ध है जिससे 85–90 प्रतिशत मादा बच्चे ही पैदा होने की सम्भावना होती है। यह सैक्स सोर्टिड सीमन 850 रुपये प्रति स्ट्रा की दर से खरीदा गया है। वर्तमान में इसे पशुपालकों को 500 रुपये की दर से दिया जाता है। हमारी सरकार ने वर्ष 2020–21 में इस राशि को कम करके पशुपालकों को मात्र 200 रुपये प्रति स्ट्रा की रियायती दर पर प्रदान करने का फैसला लिया है। श्रीमती नैना सिंह चौटाला जी ने इस पैसें को कम करने की बात कही थी।

48. बुनियादी ढांचे के विकास हेतु नाबार्ड की योजना के अंतर्गत 52 राजकीय पशु चिकित्सालयों व 115 राजकीय पशुधन औषधालयों के भवनों का निर्माण किया जा रहा है। श्री जोगी राम सिहाग और श्री शमशेर सिंह गोगी जी ने यह सुझाव दिया था।
49. वर्ष 2020–21 से ‘पशु संजीवनी सेवा’ के माध्यम से पशु स्वास्थ्य सेवायें पशुपालक के घर द्वारा पर उपलब्ध करवाने के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां भी आरम्भ की जाएंगी।
50. मैंने राज्य की गौशालाओं में बेसहारा पशुओं के नियंत्रण व आश्रय प्रदान करने के लिए प्रावधान को 30 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये किया है। यह राशि अब सरकार गौसेवा आयोग की संस्तुति पर उन गौशालाओं को वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान करेगी जो उस गौशाला की कुल गौवंश संख्या में से न्यूनतम एक—तिहाई भाग बेसहारा पशुओं को रखेगी। वर्ष 2020–21 से पशुपालन एवं डेयरी विभाग बेसहारा और घायल पशुओं को पहचान करके उन्हें पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के बाद ऐसे पशुओं को गौशालाओं में पुर्नवासित करवाएगा। साथ ही जिन गौशालाओं में बेसहारा पशुओं के आवास के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है, उनको विकास एवं पंचायत विभाग गौचरान्द भूमि प्रदान करेगा।

eRL; ikyu

51. मेरा मानना है कि मत्स्य पालन किसानों की आय को दोगुना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए हमने मत्स्य पालन के तहत क्षेत्र को वर्ष 2020–21 में 55,000 एकड़ करने तथा मत्स्य उत्पादन 2.60 लाख मीट्रिक टन का करने लक्ष्य रखा है।
52. वर्ष 2020–21 में, खारे पानी के मत्स्य फार्म के तहत जल क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा और 2 बडे पेल्लेट फीड मिल प्लांट और 10 छोटे फीड मिल प्लांट स्थापित किए जाएंगे। साथ ही, प्रदेश में पहली बार 250–250 एकड़ क्षेत्रों में कैट फिश तथा पिलापिया कल्वर शुरू की जाएगी। इसके अतिरिक्त, गहन मत्स्य विकास कार्यक्रम के तहत मत्स्य पालन के लिए सामुदायिक भूमि की खुदाई भी की जाएगी।
53. हमने खारे पानी में झींगा पालन व जल भराव वाले क्षेत्रों में मछली पालन को बहुत बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। वर्ष 2020–21 में झींगा किसानों के लिए एक Prawn Chilling and Processing Centre बनाया जाएगा एवं किसानों को कोल्ड चेन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस प्रोसेसिंग केन्द्र की स्थापना से अन्तर्राष्ट्रीय व घरेलू बाजार में किसान अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकेंगे।
54. पंचकूला में टिक्कर ताल तथा यमुनानगर, करनाल और पानीपत में पश्चिमी यमुना नहर जैसे प्राकृतिक जलाशयों में घटती मछली प्रजातियों के संरक्षण से प्राकृतिक मछलियों के संरक्षण और संवर्धन पर बल दिया जाएगा। अभी 2

राष्ट्रीय मत्स्य बीज फार्म तथा 13 राजकीय मत्स्य बीज फार्म नवीनतम तकनीकी के माध्यम से उत्तम किस्म का मछली बीज तैयार करके मत्स्य पालकों को न्यूनतम दरों पर उपलब्ध करवा रहे हैं। आगामी वित्त वर्ष में तीन मत्स्य बीज फार्मों का ढांचागत सुदृढ़ीकरण करवाया जाएगा तथा परम्परागत मछली पालन प्रजातियों से हटकर नई कैटफिश प्रजातियों का पालन आरम्भ किया जाएगा।

55. जिला जींद, झज्जर, चरखी दादरी, रोहतक, सोनीपत, पलवल, नूह, हिसार, फतेहाबाद तथा फरीदाबाद के जल भराव वाले क्षेत्र में मत्स्य पालन करवाने के लिए हम प्रयासरत हैं। मैंने आगामी वित्त वर्ष में लगभग 2500 एकड़ जलमग्न क्षेत्र को मत्स्य पालन के अधीन लाने के लिए बजट प्रावधान किया है।
56. मैं कृषि एवं किसान कल्याण गतिविधियों के लिए बजट अनुमान 2020–21 में 6481.48 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ जोकि बजट अनुमान 2019–20 के 5230.54 करोड़ रुपये की तुलना में 23.92 प्रतिशत की वृद्धि है। इसमें कृषि क्षेत्र के लिए 3364.90 करोड़ रुपये पशुपालन के लिए 1157.41 करोड़ रुपये, बागबानी के लिए 492.82 करोड़ रुपये, और मत्स्य पालन के लिए 122.42 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल है।

Igdkfjrk

57. यह सर्वविदित है कि हरियाणा के जो किसान फसली ऋण के मूलधन की अदायगी समय पर करते हैं, उन्हें बिना किसी ब्याज के प्रदान किये जा रहे हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान लगभग पांच लाख ऐसे किसानों को 127.88 करोड़ रुपये की ब्याज में राहत दी गई है। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों से लिए ऋण की 1990 के बाद से अदायगी न करने के कारण लाखों किसान बकायेदार हो गये थे। उन्हें राहत देते हुए पहली सितम्बर, 2019 से एकमुश्त निपटान योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के लगभग 8.50 लाख अतिदेय ऋणी सदस्यों में से लगभग 4.14 लाख सदस्यों ने 31.01.2020 तक 858.77 करोड़ रुपये की ब्याज राहत प्राप्त की है तथा 3214.05 करोड़ रुपये के अतिदेय ऋणों में से 1281.76 करोड़ रुपये के अतिदेय ऋणों की वसूली की गई।
58. इसी प्रकार जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के कुल 31,749 पात्र ऋणियों में से 7634 ऋणी सदस्यों ने 31 जनवरी, 2020 तक लगभग 497.40 करोड़ रुपये की ब्याज राशि का लाभ प्राप्त किया है और 608.33 करोड़ रुपये के अतिदेय ऋणों में से 165.80 करोड़ रुपये की वसूली की गई। इस योजना का लाभ उठाने से अब तक वंचित रह गए ऋणियों को एक और मौका दिया जाएगा।
59. माननीय अध्यक्ष महोदय! हरियाणा द्वारा गन्ना किसानों को 340 रुपये प्रति विंटल की दर से देश में उच्चतम लाभप्रद मूल्य का भुगतान किया जाता है। सरकार ने 355 करोड़ रुपये की लागत से सहकारी चीनी मिल, पानीपत

और 263 करोड़ की लागत से सहकारी चीनी मिल, करनाल के विस्तार और आधुनिकीकरण का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अलावा, किसानों की आय बढ़ाने के लिए शाहबाद सहकारी चीनी मिल में 99 करोड़ रुपये की लागत से 60 किलो लीटर प्रति दिन की क्षमता के एथेनॉल संयंत्र की स्थापना भी की गई है।

60. हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि वर्ष 2020–21 में गाय के दूध की आपूर्ति करने वाले सहकारी दुग्ध उत्पादकों को मिलने वाली सब्सिडी को 4 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर किया जाएगा, जोकि भैंस के दूध पर दी जाने वाली सब्सिडी के बराबर होगी। यह सब्सिडी ग्रीष्मकालीन महीनों में अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020 तक मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत दी जाएगी, जिसके लिए 30.43 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।
61. सरकार 9.60 करोड़ रुपये की लागत से दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के स्तर पर बल्कि मिल्क कूलर के माध्यम से दूध की शीतकरण सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा।
62. प्रदेश का पहला सहकारी टेट्रा-पैक संयंत्र स्थापित किया जाएगा, ताकि तरल दूध, फलों के रस और फरमेटिड दुग्ध उत्पादों की आधुनिक पैकिंग की जा सके।
63. सहकारिता विभाग के लिए मैं बजट अनुमान 2020–21 के लिए 1343.94 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

f'k{kk

64. माननीय अध्यक्ष महोद;!
bI बजट के माध्यम से आम आदमी के जीवन के चार लक्ष्यों में शिक्षा इसलिए पहला लक्ष्य है क्योंकि शिक्षा के fcuk Lokस्थ, सुरक्षा और स्वावलम्बन भी हासिल करना कठिन है। प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिओध' ने कहा है:—

शिक्षा है सब काल कल्प—लतिका—सम न्यारी,
कामद, सरस सहान, सुधा—सिंचित, अति प्यारी।
शिक्षा है वह धारा, बहा जिस पर रस—सोता,
शिक्षा है वह कला, कलित जिससे जग होता।
65. शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने तथा उत्कृष्ट परिणामों की प्राप्ति के लिए हम कृत संकल्प हैं। आधारभूत ढांचे में व्यापक सुधार और विस्तार के माध्यम से गुणवत्तापरक एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमने अनेक प्रावधान किये हैं।
66. मुख्यमंत्री सक्षम छात्रवृत्ति योजना के तहत 5वीं कक्षा में न्यूनतम 80 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के लिए संचालित परीक्षा के आधार पर 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 1500 रुपये से 6000 रुपये तक की वार्षिक छात्रवृत्तियां देने का मेरा प्रस्ताव है।

67. स्वच्छ भारत प्रांगण स्कीम के तहत स्वतंत्र परिसर वाले राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में परिसर, अध्ययन-कक्षों व शौचालयों की सफाई, पेयजल का प्रबंध, पौधों को पानी देने व मुख्याध्यापक द्वारा दिए गए दूसरे कार्यों के लिए एक पूर्णकालिक बहुउद्देशीय कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई है। विद्यालयों की प्रभावी ढंग से देखरेख के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के माध्यम से और शहरी क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से 500 विद्यार्थियों तक की संख्या वाले 3581 स्वतंत्र राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 3793 बहुउद्देशीय कार्यकर्ता और 500 से अधिक संख्या वाले विद्यालयों (प्रति विद्यालय दो कार्यकर्ता) में 212 कार्यकर्ता नियुक्त किये जाएंगे। प्रत्येक कार्यकर्ता को 10000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा।
68. शैक्षणिक सत्र 2020–21 से 'निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009' का विस्तार करते हुए इसमें 1 लाख 80 हजार रुपये वार्षिक से कम आय वाले गरीब परिवारों के 9वीं से 12वीं कक्षा तक शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मिलित किया जाएगा। इसके अन्तर्गत इन विद्यार्थियों के लिए मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री एवं वर्दी का प्रावधान किया गया है। इन विद्यार्थियों को शैक्षणिक सत्र 2020–21 से विद्यालयों में किसी प्रकार की फीस व निधियां भी नहीं देनी होंगी।
69. प्रदेश के सभी शिशुओं और किशोरों को शिक्षा की अति आधुनिक सुविधाएं देने के लिए उठाये जाने वाले कुछ नए कदमों का मैं विशेष उल्लेख करूँगा। जो हैं %&
- (i) शिक्षाविद जानते हैं कि 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की आयु का समय बच्चे के संज्ञानात्मक एवं बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अभी तक सरकारों द्वारा इस आयु वर्ग के छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ियों और इस आयु वर्ग से बड़े बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालयों का प्रावधान किया जाता रहा है। परन्तु इस आयु वर्ग की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। इसलिए हमने वर्ष 2020–21 के बजट में तीन से पांच वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए सरकार की ओर से 4000 प्ले वे स्कूल खोलने का निर्णय लिया है।
 - (ii) राज्य में 500 नए क्रैच कामकाजी महिलाओं के शिशुओं के लिए खोले जाएंगे।
 - (iii) इस समय राज्य में 22 आदर्श संस्कृति विद्यालय चल रहे हैं। सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता व अधिगम परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से वर्ष 2020–21 में 98 खण्डों में खण्डवार एक नया आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसी तरह से प्रदेश में वर्ष 2020–21 में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने के इच्छुक बच्चों के लिए 119 राजकीय आदर्श संस्कृति विद्यालय उपलब्ध होंगे।

- (iv) अभी प्रदेश में “बस्तामुक्त एवं अंग्रेज़ी माध्यम” के 418 प्राथमिक विद्यालय हैं। हमने ऐसे 1000 और विद्यालयों की स्थापना उन गांवों में करने का निर्णय लिया है, जहाँ अभी दो से अधिक राजकीय प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं।
- (v) उन सभी 1487 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों, जहाँ पर विज्ञान संकाय उपलब्ध है, को वर्ष 2020–21 में स्मार्ट विद्यालयों में परिवर्तित किया जाएगा।
- (vi) ‘छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना’ की तर्ज पर इन संकुल विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी छात्रों और छात्राओं को भी निःशुल्क यातायात सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- (vii) शैक्षणिक सत्र 2020–21 से विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर एवं अधिगम परिणामों में बढ़ोत्तरी के उद्देश्य से कक्षा 8वीं के लिए बोर्ड परीक्षा प्रारम्भ की जाएगी।
- (viii) ‘मध्याहन भोजन योजना’ के तहत सप्ताह में एक दिन बेसन लड्डू/पिन्नी और सप्ताह में तीन दिन के बजाय अब बच्चों को प्रतिदिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। यह सुझाव हमारे कुछ विधायकों की ओर से था।
- (ix) सभी विद्यालयों में इसी वर्ष चारदीवारी का निर्माण करवा दिया जाएगा। साथ ही, हर विद्यालय के गेट तक पक्का रास्ता भी बनवाया जाएगा। श्री सुभाष सुधा और श्री नीरज शर्मा जी का यह सुझाव था।
- (x) इसी प्रकार सभी सरकारी स्कूलों का सौंदर्यकरण करने एवं इन्हें आकर्षक बनाने हेतु उपयुक्त धनराशि का प्रावधान भी किया गया है। ये भी कुल 6 विधायकों की तरफ से सुझाव आया था।
- (xi) “हरियाणा एक हरियाणवी एक” की भावना के संवर्धन हेतु “एक भारत श्रेष्ठ भारत” की तर्ज पर हरियाणा के विभिन्न जिलों के आपस में युग्म बनाने तथा हर वर्ष कम से कम 4000 बच्चों को पारस्परिक आधार पर दूसरे जिलों की संस्कृति, विरासत तथा ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण हेतु एक नई स्कीम वर्ष 2020–21 से शुरू की जाएगी। ये श्रीमती निर्मला रानी की तरफ से यह सुझाव आया था।
- (xii) वर्ष 2020–21 में ही सभी राजकीय विद्यालयों में बच्चों के पीने के लिए R.O. से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। चरणबद्ध तरीके से सौर पैनल भी हर विद्यालय में उपलब्ध करवाए जाएं। ;s Hkh dqy lkr fo/kk;dksa dh vksj ls Iq>ko vk;k FkkA
- (xiii) जिन गांवों में उच्च विद्यालय या वरिष्ठ माध्यमिक उच्च विद्यालय नहीं हैं, वहाँ के 9वीं या 11वीं कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले अनुसुचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिलें प्रदान की जाएंगी।

70. वर्ष 2014 में हमारी सरकार बनने तक हरियाणा में कुल 105 राजकीय महाविद्यालय थे, जिनमें से 31 महिला महाविद्यालय थे। महिलाओं की बेहतर शिक्षा के लिए हमने एक नीति बनाई कि प्रत्येक 20 किलोमीटर के अंदर एक महाविद्यालय हो ताकि किसी भी छात्रा को 10 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी न तय करनी पड़े। इस नीति के अनुरूप हमारी सरकार ने वर्ष 2014 से अब तक कुल 52 महाविद्यालय खोले जिनमें से 30 महाविद्यालय विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं। सरकार ने वर्ष 2019–20 में 8 नये राजकीय महाविद्यालय खोले हैं और इनके लिए सहायक प्राध्यापकों के 240 नये पद सूजित किये गए हैं। आगामी सत्र से 4 और राजकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे। इस तरह राजकीय महाविद्यालयों की कुल संख्या बढ़कर 161 हो जाएगी। अगले वर्ष 18 और राजकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे।
71. हमारी सरकार पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के 'जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान' के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए महाविद्यालय में विज्ञान विषयों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि बेहतर वैज्ञानिक स्वभाव वाले समाज का निर्माण हो और आजीविका के अधिक अवसर भी पैदा हों। विज्ञान को कृषि से जोड़ने के लिए हमारी सरकार सभी सरकारी महाविद्यालयों और पॉलिटेक्निकों में मिट्टी परीक्षण को बढ़ावा देगी। जैसा मैंने पूर्व में कहा था अगले शैक्षणिक सत्र से दस और राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। सभी महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विज्ञान के उभरते क्षेत्रों से संबंधित नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। वर्ष 2020–21 में एक नई योजना में 10वीं कक्षा के बाद विज्ञान में विद्यार्थियों की रुचि को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान के प्रोत्साहक भर्ती करने का प्रस्ताव रखा है, जो अपने—अपने कॉलेज के इलाके में उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में जाकर विद्यार्थियों से बातचीत करके उन्हें उच्च शिक्षा में विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
72. भारत से बाहर के विश्वविद्यालयों तथा विदेश में रोजगार के अवसरों से अवगत कराने हेतु महाविद्यालयों में एक नई महत्वाकांक्षी योजना पासपोर्ट सहायता के लिए शुरू की गई है, जिसके तहत अंतिम वर्ष के सभी विद्यार्थियों के पासपोर्ट निःशुल्क बनाए जाएंगे।
73. आज डिजिटल रूप में अनंत ज्ञान और विश्वस्तरीय पाठ्य सामग्री उपलब्ध है। डिजिटल पुस्तकालयों के माध्यम से गरीब से गरीब लोगों तक डिजिटल पाठ्य सामग्री पहुंचाई जाएगी। ये डिजिटल पुस्तकालय सभी विद्यार्थियों के लिए मुफ्त होंगे।
74. विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कॉलेज में ही प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षु ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसके लिए सभी जानकारियां विद्यार्थियों के एडमिशन फॉर्म से ही ले ली जाएंगी।

75. हमारी सरकार प्रदेश में एक इंस्टीट्यूट औफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी शुरू करेगी। यह संस्थान विश्व भर में मान्य उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे Artificial Intelligence, Big Data Analysis, Additive Manufacturing, 3D Printing Cryptography इत्यादि के बारे में शिक्षा प्रदान करेगा। यह संस्थान प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करेगा।
76. आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्रों को मुख्यधारा में लाने के लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के सभी छात्रावासों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 20 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी।
77. वर्तमान में हरियाणा के विभिन्न संस्थानों में 4.71 लाख लड़कियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। स्नातक स्तर तक की छात्राओं से कोई भी शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है। अब स्नातकोत्तर स्तर तक सभी संकायों में 1 लाख 80 हजार रुपये तक की वार्षिक आय वाले गरीब परिवारों की छात्राओं से प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा।
78. हमारी सरकार महाविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सभी महाविद्यालयों में 24 घंटे निगरानी करने के लिए 2000 CCTV कैमरे लगाने के लिए बजट में प्रावधान किया है। ये भी कुद सदस्यों की तरफ से सुझाव आया था।
79. शिक्षा क्षेत्र के लिए हमने कुल बजट का लगभग 15 प्रतिशत आवंटन किया है, जोकि हरियाणा बनने के बाद से सर्वाधिक है। मुझे उम्मीद है कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी निवेश बढ़ने से निजी निवेश भी बढ़ेगा और हम शिक्षा पर जी.डी.पी. का 6 प्रतिशत व्यय करने का लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे।
80. मैं बजट अनुमान 2020–21 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल 19639.18 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ जो संशोधित बजट 2019–20 के 15271.10 करोड़ रुपये पर 28.60 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। उच्च शिक्षा के लिए, मैं वर्ष 2020–21 के लिए 2936.20 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ जो बजट अनुमान 2019–20 पर 41.39 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
81. मैं बजट अनुमान 2020–21 में तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए 705.04 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ जोकि संशोधित अनुमान 2019–20 के 581.02 करोड़ रुपये पर 21.35 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

dkS'ky fodkl vkSj vkS|kSfxd izf'k{k.k

82. सत्र 2019–20 से 4 नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और 4 नये निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रारम्भ किए गए हैं। साथ ही 22 नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। आगामी

सत्र में सिक्करोना, इन्द्री और जीवन नगर में तीन नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शुरू हो जाएंगे।

83. राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना (National Apprenticeship Promotion Scheme) में 2016 से अब तक कुल 11485 राजकीय और निजी प्रतिष्ठान पंजीकृत हुए हैं और 76426 प्रशिक्षु नियुक्त किये गए हैं। हरियाणा ने वर्ष 2017–18 में प्रति लाख जनसंख्या पर अधिकतम प्रशिक्षु लगाने में देशभर में प्रथम स्थान हासिल किया था और आज भी हम इस क्षेत्र में सबसे आगे हैं।
84. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से निकलने वाले प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण देने तथा उद्योगों से अग्रानुबंधन के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम में पूर्णतः बदलाव किया गया है। वर्ष 2020–21 में सौर ऊर्जा बैंकअप, प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली, नवीनतम उपकरण, पूर्ण रूप से प्रशिक्षित अमला, इंटरनेट कनेक्शन और सभी सुविधाओं से युक्त 24 नए आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जाएंगे।
85. हरियाणा सरकार और उद्योगों के बीच प्रशिक्षण की दोहरी प्रणाली के लिए 71 इकाइयों के साथ एमओयू किया गया है। 6 महीने से एक वर्ष तक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षणार्थियों को सम्बंधित उद्योगों में 3 से 6 महीने का कार्यस्थल पर प्रशिक्षण और दो साल तक के पाठ्यक्रम में 6 महीने से 12 महीने का कार्यस्थल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
86. श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने भी उद्योगों के साथ सुदृढ़ सम्पर्क स्थापित किया है और 69 एमओयू किये हैं। इस समय यह विश्वविद्यालय डिप्लोमा/अवर स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के 31 पाठ्यक्रम चला रहा है। यह विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय सम्पर्कों को सुदृढ़ बनाने के लिए नेशनल ओपन कॉलेज नेटवर्क के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग के साथ एमओयू करने की प्रक्रिया में है। विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2020–21 के दौरान डिप्लोमा/अवर स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के 31 नये पाठ्यक्रम शुरू करेगा। विश्वविद्यालय ने व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए दूसरे संस्थानों को सम्बद्ध करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परिसर में 12000 प्रशिक्षणार्थियों का और सम्बद्ध पद्धति में 40000 प्रशिक्षणार्थियों का कौशल विकास किया जाएगा और तद उपरान्त उन्हें रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा।
87. बच्चों को दक्षता आधारित शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विश्वविद्यालय सीबीएसई से सम्बद्ध विद्यालयों में शैक्षणिक स्तर 2020–21 से 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए भी फीडर स्कूल शुरू करेगा।
88. हरियाणा कौशल विकास मिशन आजीविका संवर्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता के अंतर्गत प्रदेश की कौशल पारिस्थितिकी के सुदृढ़ीकरण के लिए योजना बना रहा है। सक्षम पोर्टल पर पंजीकृत युवाओं सहित कुल एक लाख अतिरिक्त युवाओं को सम्बद्ध उद्योगों में रोजगार सक्षम बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षित व उनका कौशल विकास किया जाएगा।

89. वर्ष 2020–21 में हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा उद्योग/भागीदार/विदेशी अभिकरण के सहयोग से राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पन्नीवाला मोटा, सिरसा में एक अति आधुनिक आदर्श कौशल केन्द्र स्थापित किया जाएगा।
90. हमने निर्णय लिया है कि आगे से श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल को सभी एन.एस.क्यू.एफ. पाठ्यक्रमों के लिए संबद्धता प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। साथ ही पंजाबी भाषा को एन.एस.क्यू.एफ. के अन्तर्गत लाया जाएगा।
91. सरकार द्वारा संचालित सभी महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अंग्रेजी माध्यम से प्रशिक्षण का विकल्प दिया जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के हर स्नातक को संस्थान छोड़ने से पहले निःशुल्क पासपोर्ट प्रदान किया जाए।
92. हमने यह भी निर्णय लिया है कि कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग एक मोबाइल ऐप के माध्यम से आम जनता को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के स्नातकों की सेवाएं प्रदान करेगा ताकि नागरिक प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, हार्डवेयर मरम्मत आदि की सेवाओं का लाभ उठा सकें।
93. मैं, बजट अनुमान 2020–21 में कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मामले विभाग के लिए 847.97 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करत हूँ जोकि संशोधित अनुमान 2019–20 के 686.03 करोड़ रुपये के परिव्यय पर 23.61 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

jkstxkj

94. जबसे हमने जनसेवा की बागडोर संभाली है, बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। हम इस दिशा में पिछले कार्यकाल में किये गये प्रयासों को निरंतर जारी रखते हुए नई पहल भी करेंगे। आगामी बैसाखी के दिन एक नए रोजगार पोर्टल का आरम्भ किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के उन युवाओं का विवरण होगा जिन्होंने पिछले 3–5 वर्षों में किसी भी प्रकार का दीर्घकालिक प्रशिक्षण और कौशल प्राप्त किया है। इसमें रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत उम्मीदवारों के साथ–साथ आईटीआई, पॉलीटेक्निक, उच्च शिक्षा महाविद्यालय, तकनीकी शिक्षा महाविद्यालय, अल्पावधि कौशल प्राप्त उम्मीदवार शामिल होंगे। ऐसे सभी उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार नियोक्ताओं और जॉब एग्रीगेटर के साथ भागीदारी करेगी, जो हमारे युवाओं को लाभप्रद रोजगार प्रदान करने के प्रासंगिक स्रोत होंगे।
95. रोजगार पोर्टल के साथ–साथ एक कॉल सेंटर भी स्थापित किया जाएगा, जो उम्मीदवारों के रोजगार की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में सूचनाएं एकत्रित करेगा और उन्हें रोजगार के अवसरों की जानकारी उपलब्ध करवाएगा। वर्ष 2020–21 में हम निजी क्षेत्र में 25000 उम्मीदवारों को रोजगार के अवसरों से जोड़ने में सक्षम होंगे।

96. मेधावी युवाओं की पहचान की जाएगी और उन्हें हरियाणा की सरकारी नौकरियों के साथ—साथ केंद्र सरकार के कर्मचारी चयन आयोग, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, भारतीय रेलवे समेत केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में भी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा पास करने में सक्षम बनाने के लिए विशेष कोचिंग और प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगले दो वर्षों में हमारा लक्ष्य कम से कम एक लाख उम्मीदवारों को हरियाणा की और राज्य से बाहर सरकारी नौकरियों से जोड़ने का है।
97. सक्षम युवा उम्मीदवारों को सरकारी विभागों के साथ—साथ निजी संगठनों में भी रोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करवाए जाएंगे। सक्षम युवाओं लिए एक विशेष प्लेसमैट सैल भी स्थापित किया जाएगा, जो उनके लिए रोजगार और कौशल के विशेष अवसर पैदा करेगा।
98. राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कई योजनाओं में अल्पावधि कौशल प्रदान किया जा रहा है। लेकिन उम्मीदवारों के लिए सही कौशल पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण केंद्र का चयन कर पाना बड़ा कठिन है। हम राज्य में सभी तरह के अल्पावधि कौशल के लिए सिंगल पोर्टल शुरू करेंगे जिससे उम्मीदवारों को एक ही विलक पर सही कौशल प्रशिक्षण और उसके लिए प्रशिक्षण केंद्र की जानकारी हासिल करने में सुविधा हो सके। इससे हमें सभी कुशल युवाओं का एक समेकित डेटाबेस भी मिलेगा, जिसे बाद में नए रोजगार पोर्टल से जोड़ा जा सकता है।
99. रोजगार विभाग के लिए मैं बजट अनुमान 2020–21 के लिए 416.02 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

[ksy ,oa ;qok ekeys

100. अध्यक्ष महोदय, सरकार प्रदेश को देश के स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रही है। इसके लिए सोनीपत के राई में किसी भी प्रदेश द्वारा पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में सराहनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। ‘खेलो इण्डिया यूथ गेम्स—2019’ में हरियाणा 178 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
101. उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए हमने दैनिक खुराक भत्ता 150 से बढ़ाकर 250 रुपये करने का निर्णय लिया है जिससे 4000 खिलाड़ियों को फायदा होगा। पारदर्शी तरीके से नौकरी देने के लिए हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियम, 2018 बनाए गए हैं। पात्र खिलाड़ियों के लिए सीधी भर्ती में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के पदों में 3 प्रतिशत तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
102. विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। खिलाड़ियों के लिए समुचित संख्या में छात्रावासों का भी निर्माण किया जाएगा।

103. हमारे राज्य की जनसंख्या का लगभग 30 प्रतिशत 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं का है। इन सबकी क्षमताओं को बढ़ाने और इनकी ऊर्जा का राष्ट्रीय निर्माण में दोहन करने के लिए हम युवा मंडलों की संख्या में वृद्धि करने तथा रजिस्ट्रर्ड युवा मंडलों की गतिविधियों के लिए बजट में समुचित वृद्धि की जा रही है।
104. मैं, बजट अनुमान 2020–21 में खेल एवं युवा मामले विभाग के लिए 394.09 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जोकि संशोधित अनुमान 2019–20 पर 12.83 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

LokLF;

105. हरियाणा सरकार अपने सभी नागरिकों को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। दवाइयों की उपलब्धता बढ़ाने के साथ—साथ बुनियादी सुविधाओं, मानव संसाधनों, उपकरणों, दवाइयों इत्यादि का पहले ही उन्नयन किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग बीमार व दुर्घटना से ग्रसित व्यक्तियों के साथ—साथ अन्य जैसे कि नवजात शिशुओं, बच्चों, किशोरियों, माताओं, पात्र दम्पत्तियों व बुजुर्गों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा रहा है। संचारी व गैर—संचारी बीमारियों की तुरंत रोकथाम के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं तथा रिकार्डिंग, रिपोर्टिंग व प्लानिंग के तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। नीति आयोग के जून, 2019 के स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार, हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रथम स्थान पर रहा और इस उपलब्धि के लिए 72.71 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भारत सरकार द्वारा राज्य को दी गई है।
106. राज्य ने सभी स्वास्थ्य मानकों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। वर्ष 2013 से लेकर वर्ष 2017 तक मातृ मृत्यु दर 127 से घटकर 98 रह गई है। बाल स्वास्थ्य देखभाल और टीकाकरण से प्रति हजार जीवित जन्मे बच्चों में से पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 45 से घटकर 35 रह गई है। प्रति हजार जीवित जन्मे शिशुओं की मृत्यु दर 41 से घटकर 30 तथा प्रति हजार जीवित जन्मे नवजात शिशुओं की मृत्यु दर 26 से 5 अंक घटकर 21 रह गई है। नवम्बर, 2019 तक संरथागत प्रसूति 93.7 प्रतिशत दर्ज की गई। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम की जबरदस्त सफलता से राज्य में वर्ष 2019 में जन्म के समय लिंगानुपात बढ़कर 923 हो गया।
107. हरियाणा को 16 से 18 नवंबर 2019 तक गांधीनगर (गुजरात) में हुई छठी नेशनल सम्मिट ऑन गुड एण्ड रिप्लीकेबल प्रैविटसिज एण्ड एनोवेशंस इन पब्लिक हैल्थ केरर सिस्टम्स इन इण्डिया में 2 प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं।
108. आयुष्मान भारत के तहत 16,27,870 गोल्डन कार्ड जारी किए जा चुके हैं जो कि 5,84,487 परिवारों के लिए हैं। 526 अस्पतालों को सूचिबद्ध किया गया है तथा 87.43 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है। वर्ष 2020–21 से अब उन परिवारों, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है या जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, को भी आयुष्मान भारत—प्रधानमंत्री जन

आरोग्य योजना के समकक्ष लाभ दिया जाएगा ताकि ये परिवार भी 5 लाख रुपये तक के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकें।

109. वर्तमान में कैथ लैब सेवाएं सिर्फ चार जिलों में, एम.आर.आई. की सेवाएं सिर्फ चार जिला अस्पतालों में तथा सी.टी. स्कैन की सुविधा 17 जिला अस्पतालों में उपलब्ध है। हमने फैसला किया है कि वर्ष 2020–21 में ये तीनों सेवाएं सभी जिला अस्पतालों में दी जाएंगी। इसी प्रकार डायलेसिस की सेवाएं, जो वर्तमान में 18 जिला अस्पतालों में चल रही हैं, अब सभी जिला अस्पतालों के अतिरिक्त उप-मंडल अस्पतालों में भी प्रदान की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, अल्ट्रासाउंड की सुविधा हर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर तक विस्तारित की जाएगी। व्यस्क व बच्चों के लिए वैंटीलेटर की सुविधा भी सभी जिला अस्पतालों में प्रदान की जाएगी। उपरोक्त सभी सेवाओं का विस्तार सार्वजनिक–निजी सहभागिता के आधार पर किया जाएगा।
110. विभाग की 27 नए ए.एल.एस. एम्बुलैंसों को वर्तमान में चल रही 21 ए.एल. एस. एम्बुलैंसों के साथ जोड़ने की योजना है ताकि सभी जिला अस्पताल व सब-डिवीजन अस्पताल कवर हो सकें। इसके अतिरिक्त, 47 अतिरिक्त मोबाइल मैडिकल यूनिट प्रस्तावित हैं ताकि एक मोबाइल मैडिकल यूनिट कम से कम 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को कवर कर सके। यह मोबाइल मैडिकल यूनिट गांव–गांव जाकर ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य जाँच कराएगी।
111. सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, ऑनलाइन इंवेटरी सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा ताकि सभी अस्पतालों में हर दवाई पूरी पारदर्शिता व बिना किसी देरी के हर मरीज़ को उपलब्ध हो सके। दवाइयों की उपलब्धता की सूची सम्बन्धित ग्राम पंचायत को रोज़ाना दी जाएगी। दवाइयों की सूची एवं स्टाक में उपलब्धता को अस्पताल के प्रमुख स्थान पर भी प्रतिदिन दर्शाया जाएगा।
112. MRI, CT Scan, Cath Lab और Dialysis की सुविधा के साथ–साथ वर्ष 2020–21 में ही सभी जिला हस्पतालों में कैंसर के ईलाज के लिए कीमोथेरेपी का प्रावधान भी किया जाएगा।
113. अचानक दिल से संबंधित तकलीफ होना जानलेवा न हो जाए, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए सोरबिट्रेट की गोली प्रथम सहायता के रूप में सार्वजनिक स्थानों जैसे रेलवे स्टेशनों, बस स्टैण्डों, अनाज मण्डी इत्यादि प्रमुख जगहों पर मुफ्त रखी जाएगी।
114. अनौपचारिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता जैसे कि रजिस्टर्ड मैडिकल प्रैक्टिशनर आदि के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के द्वारा प्रारंभ किया जाएगा।
115. सभी राज्य वासियों की पूर्ण शारीरिक जाँच स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क करवाई जाएगी और उन्हें परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ा जाएगा। इस

प्रकार अब हर हरियाणा निवासी को उसका ऑनलाइन हैल्थ कार्ड उपलब्ध होगा।

vk;q"k

116. आयुष विभाग लोगों को चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य बारे जागरूक कर रहा है। अधिकतर आयुष संस्थान ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं।
117. श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र व महिला भगत फूल सिंह मैडिकल आयुर्वेदिक महाविद्यालय, खानपुर (सोनीपत) के माध्यम से हरियाणा राज्य में आयुष चिकित्सा शिक्षा प्रदान की जा रही है।
118. हमने वर्ष 2020–21 में 2000 जिम एवं व्यायामशालाओं में उपलब्ध सुविधाओं को बढ़ाते हुए उन्हें वेलनेस सेंटर के तौर पर परिवर्तित करने का प्रावधान किया है।

f'k{kk ,oa vuqla/kku

119. वर्ष 1966 में 1 नवम्बर को जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ, तब राज्य में केवल एक सरकारी मैडिकल कॉलेज रोहतक में था और कोई प्राईवेट मैडिकल कॉलेज नहीं था। वर्ष 1966 से लेकर वर्ष 2014 तक राज्य में पी0जी0आई0एम0एस0, रोहतक के अतिरिक्त केवल दो और सरकारी मैडिकल कॉलेज खोले गए हैं तथा एक सरकार से अनुदान प्राप्त और दो मैडिकल कॉलेज निजी क्षेत्र में खोले गए।
120. राज्य में वर्ष 2014 के बाद अब तक 6 साल के छोटे से कार्यकाल में मैडिकल कॉलेजों की संख्या दो गुना बढ़ गई है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी बीच सरकारी मैडिकल कॉलेजों की संख्या तीन से बढ़कर पांच तथा प्राईवेट मैडिकल कॉलेजों की संख्या दो से बढ़कर छः हो गई है।
121. यह बताते हुए मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि राज्य में एम0बी0बी0एस0 सीटों की संख्या वर्ष 2014 में 700 से बढ़कर अब 1710 हो गई है, जो कि दो गुना से भी ज्यादा है। राज्य में स्नातकोत्तर स्तर पर भी सीटों की संख्या भी वर्ष 2014 में 289 से बढ़कर अब 464 हो गई है।
122. सरकार द्वारा जिला भिवानी, जीन्द, महेन्द्रगढ़ तथा गुरुग्राम में चार और सरकारी मैडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, जिनके लगभग दो से तीन वर्षों में शुरू होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त कुटेल, करनाल में पंडित दीन दयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ सांइसेस की स्थापना भी की जा रही है। एक सरकारी डैन्टल कॉलेज नल्हड़, मेवात सरकारी मैडिकल कॉलेज में खोला जा रहा है।
123. हमने वर्ष 2020–21 में तीन नए सरकारी मैडिकल कॉलेज, जिला यमुनानगर, कैथल तथा सिरसा में बनाने का निर्णय भी लिया है।

124. राज्य में गम्भीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों की सुविधा के लिए प्रदेश के सरकारी मैडिकल कॉलेजों में वैन्टीलेटर की संख्या 190 से बढ़ाकर 400 कर दी जाएगी।
125. राज्य सरकार के 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' के संकल्प को मददेनजर रखते हुए हमारे प्रदेश की बेटियां, जोकि सरकारी नर्सिंग स्कूल/कॉलेजों में नर्सिंग की शिक्षा ले रही है, उनको राज्य सरकार अंग्रेजी का विषय पढ़ाने की सुविधा मुफ्त उपलब्ध करवाएगी तथा उन बेटियों को सरकार अपने खर्चे पर ही पासपोर्ट की तैयारी करवाएगी व उन बेटियों के लिए पासपोर्ट बनवाने का खर्च भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
126. हमारी सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति सजग है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वास्थ्य पर सार्वजनिक क्षेत्र का खर्च जी.डी.पी. का 2.5 प्रतिशत करने का लक्ष्य दिया है। इसी के अनुसरण में हमने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवंटन, कुल बजट का लगभग 5 प्रतिशत प्रस्तावित किया है जोकि अब तक का सर्वाधिक है।
127. मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र के लिए वर्ष 2020–21 में 6533.75 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जोकि वर्ष 2019–20 के 5310.64 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान परिव्यय पर 23.03 प्रतिशत की वृद्धि है। प्रस्तावित परिव्यय में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 4201.16 करोड़ रुपये, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान के लिए 1701.50 करोड़ रुपये, आयुष के लिए 353.29 करोड़ रुपये, कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य देखभाल के लिए 237.85 करोड़ रुपये और खाद्य एवं औषध प्रशासन के लिए 39.94 करोड़ रुपये शामिल हैं।

jktLo ,oa vkink çca/ku

128. हरियाणा ने क्लाउड आधारित समेकित सम्पत्ति पंजीकरण एवं भू-अभिलेख प्रबंधन प्रणाली, वैब-हैलरिस विकसित की है, जो तहसीलों/उप-तहसीलों में विलेखों के पंजीकरण, ई-रजिस्ट्रेशन, ई-स्टैम्पिंग, जमाबन्दी, म्यूटेशन, ई-गिरदावरी और सिंगल वेब पोर्टल और पंजीकृत विलेखों के डिजिटल भंडार के माध्यम से अधिकार अभिलेखों की प्रतियां जारी करने के लिए ई-नियुक्तियों को एकीकृत करती है। वैब-हैलरिस को 91 तहसीलों/उप तहसीलों में लागू किया गया है और जून, 2020 तक इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा।
129. ई-पंजीकरण को और अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाकर तथा सिंगल पोर्टल के माध्यम से सभी सेवाएं उपलब्ध करवाकर इसे और मजबूत किया जाएगा। जमाबन्दी, म्यूटेशन, खसरा गिरदावरी आदि के अभिलेखों की ऑनलाइन प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जाएंगे।
130. सदियों पुराने राजस्व अभिलेखों के डिजिटलीकरण तथा रिकॉर्ड रूम के संरक्षण के लिए सात जिलों नामतः करनाल, पलवल, रेवाड़ी, पंचकूला, यमुनानगर, फरीदाबाद और गुरुग्राम में आधुनिक राजस्व-रिकॉर्ड रूम

परियोजना शुरू की गई है। वर्ष 2020–21 के दौरान यह परियोजना शेष जिलों में भी शुरू की जाएगी।

131. भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से समूचे ग्रामीण, शहरी और आबादी देह क्षेत्रों की बड़े पैमाने पर जीआईएस मैपिंग की परियोजना शुरू की गई है। इस मानचित्रण से भूमि के सटीक सीमांकन, परिवर्तनों का पता लगाने, अतिक्रमणों की पहचान करने, आबादी देह और पालिकाओं में प्रत्येक भूमि और संपत्ति की पहचान, करने में सुविधा होगी। 25 दिसम्बर, 2019 को करनाल जिले के गांव सिरसी से लाल डोरा मुक्ति की एक पायलट परियोजना शुरू की गई। 15 जिलों के 75 गांवों की ड्रोन फ्लाइंग की गई है, जिसके तहत इन जिलों के 5–5 गांवों को 'मिल किया गया है। प्रथम चरण में सोनीपत, करनाल और जींद जिलों की सम्पूर्ण मैपिंग का कार्य वर्ष 2020–21 में शुरू करेंगे। करनाल जिले के सिरसी गाँव की भाँति सभी गांवों को लाल डोरा मुक्त करने का प्रस्ताव है।
132. हर्ष की बात है कि वर्ष 2014 तक की किसानों की जबरन भूमि अधिग्रहण की परिपाटी को बिल्कुल बंद कर दिया गया है। केवल मात्र राष्ट्रीय या राज्य महामार्गों को छोड़कर बाकी विकास कार्यों के लिए भूमि की खरीद, भू मालिकों की स्वेच्छा से एवं पूर्णतः पारदर्शी तरीके से ई-भूमि पोर्टल के द्वारा की जा रही है।
133. राजस्व विभाग के लिए मैं बजट अनुमान 2020–21 में 1522.35 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ जो बजट अनुमान 2019–20 के 1355.42 करोड़ रुपये की तुलना में 12.32 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

yksd fuekZ.k %Hkou ,oa IM+das%

134. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में समान और निष्पक्ष सुधार के लिए सड़क रखरखाव नीति–2016 बनाई हुई है। सड़क प्रयोक्ताओं की सुविधा के लिए सरकार ने वर्ष 2014 से वर्ष 2019 के बीच 19,318 किलोमीटर लम्बी सड़कों का सुधार किया है, जिसमें से 4,635 किलोमीटर लम्बी सड़कों को चौड़ा किया गया है।
135. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना–II के तहत वर्ष 2020–21 के दौरान लगभग 1000 किलोमीटर सड़कों का सुधार होने की आशा है। वर्ष 2019–20 में नाबार्ड स्कीम के तहत 138.33 करोड़ रुपये की राशि की 40 परियोजनाएं स्वीकृत हुईं। वर्ष 2020–21 में 232.76 करोड़ रुपये की लागत से 81 सड़कों का सुधार करने का एक प्रस्ताव नाबार्ड को भेजा गया है।
136. राज्य सरकार की पहल पर, पांच परियोजनाएं नामतः (i) भिवानी से चरखी दादरी तक राष्ट्रीय राजमार्ग–148बी को चार मार्गी बनाने और भिवानी बाईपास समेत खरक से भिवानी तक राष्ट्रीय राजमार्ग–709ई को चार मार्गी बनाने, (ii) पिंजौर–बद्दी–नालागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग–21ए पर पिंजौर में बाईपास, (iii) कैथल से अम्बाला तक राष्ट्रीय राजमार्ग–65 को चार मार्गी बनाने, (iv) पंजाब सीमा से जींद वाया नरवाना राष्ट्रीय राजमार्ग–71 को चार

मार्गी बनाने और (v) पंचकूला से यमुनानगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग-73 को चार मार्गी बनाने की भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इन सभी परियोजनाओं का कार्य या तो पूर्ण हो गया है या प्रगति पर है।

137. भारत सरकार ने नवम्बर 2014 से हरियाणा के लिए 17 नये राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये हैं, जिनकी कुल लम्बाई 1069.82 किलोमीटर है। इनमें दो मुख्य ग्रीन फील्ड कॉरिडोर नामतः इस्माइलाबाद से नारनौल (राष्ट्रीय राजमार्ग-152डी) और सोहना-वडोदरा (राष्ट्रीय राजमार्ग-148एन) शामिल हैं। इनके निर्माण का कार्य आवंटित कर दिया गया है।
138. रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और राज्य के रेल सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों में रेल कनैकिटविटी के लिए हरियाणा सरकार ने रेल मंत्रालय के साथ मिलकर एक संयुक्त उद्यम कम्पनी, हरियाणा रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एच.आर.आई.डी.सी.) का गठन किया है। एच.आर.आई.डी.सी. ने राज्य में कई महत्वपूर्ण रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं शुरू की हैं। 5600 करोड़ रुपये की लागत से, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना रेलवे मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई है, जो पलवल से सोनीपत वाया सोहना-मानेसर-खरखौदा (130 किलोमीटर विद्युतीकृत ब्रॉडगेज दोहरी लाइन परियोजना) दिल्ली को बाईपास करते हुए उत्तरी हरियाणा को जोड़ेगी। 150 किलोमीटर लम्बी जींद-हांसी नई रेलवे लाइन और 61 किलोमीटर लम्बी करनाल-यमुनानगर नई रेलवे लाइनों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को भी अंतिम रूप देकर रेलवे मंत्रालय को भेजा गया है।
139. विधानसभा के सदस्यों और आम जनता की मांग के आधार पर हमने केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को कई परियोजनाओं के लिए आग्रह किया है। इन परियोजनाओं में पंचकूला शहर में NH-22 (नया NH-7) पर फ्लाई ओवर का निर्माण, पटौदी बाईपास सहित गुरुग्राम-पटौदी-रेवाड़ी सड़क का निर्माण, दिल्ली-रोहतक NH-10 (नया NH-9) पर 5 अण्डरपास और सर्विस रोड का निर्माण, अम्बाला और भिवानी शहर में रिंग रोड तथा करनाल, कुरुक्षेत्र, जींद और नरवाना शहर में बाईपासों का निर्माण, रोहतक-जींद NH-71 (नया NH-352) के चारमार्गीय कार्य को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव, करनाल जिले में NH-1 (नया NH-44) पर कंबोपुरा गांव के पास अण्डरपास का निर्माण, नव निर्मित यमुना नगर बाईपास को क्रॉस करने वाली विभिन्न सड़कों के लिए अण्डरपासों का निर्माण, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के साथ पलवल-अलीगढ़ रोड के चौराहे पर इंटरचेंज का निर्माण, नूंह-अलवर (NH-248-A) और नारनौल-महेन्द्रगढ़-चरखी दादरी सड़क (NH-148 -B) को चारमार्गीय करने का विषय शामिल है। सभी विधायकों की ओर से प्राप्त सुझावों को इसमें शामिल किया गया है।
140. अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त सभी परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृतियों के लिए, मैं इस बजट सैशन के तुरंत बाद दिल्ली जाकर माननीय केन्द्रीय मंत्री (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) से मुलाकात करूँगा।

141. हरियाणा राज्य में रेल के सम्पूर्ण विकास के लिए हमारी सरकार ने केन्द्रीय रेल मंत्रालय से निरंतर अनुरोध किया है, जिसके कारण 2020–21 के केन्द्रीय बजट में कई परियोजनाएं शामिल की गई हैं। मैं भारत सरकार का आभार प्रकट करता हूँ कि सोनीपत जिले के बड़ी गांव में Coach Periodical Overhauling व Refurbishment Workshop की स्थापना के लिए 122 करोड़ रुपये, रोहतक–महम–हांसी रेलवे लाइन के लिए 100 करोड़ रुपये केन्द्रीय बजट में रखे गए हैं। साथ ही कुरुक्षेत्र शहर में नरवाना–कुरुक्षेत्र रेलवे लाइन के 5 रेलवे क्रॉसिंग समाप्त करके 4.5 कि.मी. लम्बा एलिवेटेड ट्रैक बनाने के लिए 6 करोड़ रुपये का सांकेतिक प्रावधान किया गया है और हरियाणा में 24 आर.ओ.बी./आर.यू.बी. के निर्माण की परियोजना पानीपत–रोहतक, जाखल–हिसार, अस्थल बोहर–रेवाड़ी, बठिंडा–हिसार–सादलपुर रेल लाइनों का दोहरीकरण एवं पलवल और नया पृथला रेलवे स्टेशन को रेल लाइन से जोड़ने का कार्य भी केन्द्रीय बजट 2020–21 में शामिल किया गया है।
142. कैथल शहर में लगभग 4.5 कि.मी. लम्बी एलिवेटेड रेलवे लाइन की परियोजना तैयार की गई है जिसे स्वीकृति के लिए रेल मंत्रालय को शीघ्र प्रस्ताव भेजा जायेगा। इस परियोजना से कैथल शहर तीन रेलवे क्रॉसिंग (देवीगढ़ रोड, करनाल रोड, पुराने अम्बाला–हिसार बाईपास) से मुक्त हो जाएगा, जिससे यातायात का संचालन सुचारू रूप से होगा।
143. जींद शहर की चारों रेलवे लाइनों (जींद–पानीपत, जींद–रोहतक, जींद–सोनीपत, प्रस्तावित जींद–हांसी) को आपस में जोड़कर पाण्डु पिंडारा के पास एक नया जंक्शन बनाने का अध्ययन किया जा रहा है। इस परियोजना से जींद शहर में यातायात का सुगम संचालन होगा।
144. जनता की भारी मांग को देखते हुए इन सभी परियोजनाओं को शीघ्र शुरू करने के लिए भी मैं केन्द्रीय रेल मंत्री से दिल्ली जाकर व्यक्तिगत मुलाकात करूँगा। इस बैठक में कलानौर और गोहाना रेलवे स्टेशन पर हिसार से हरिद्वार जाने वाली ट्रेन के ठहराव के लिए तथा बवानीखेड़ा में किसान एक्सप्रेस (बठिंडा–दिल्ली ट्रेन) के ठहराव के लिए भी मैं केन्द्रीय रेल मंत्री से अनुग्रह करूँगा।
145. यह रिकार्ड की बात है कि वर्ष 1966 से 2014 तक हरियाणा में 64 आर.ओ.बी./आर.यू.बी. का निर्माण किया गया था जबकि वर्ष 2014 से 2019 तक 83 आर.ओ.बी./आर.यू.बी. का काम शुरू हुआ, जिनमें से 43 आर.ओ.बी./आर.यू.बी. का निर्माण पूरा किया गया है तथा 40 आर.ओ.बी./आर.यू.बी. का कार्य प्रगति पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग मुक्त करने के लिए 'सेतु भारतम्' परियोजना के अंतर्गत 6 आर.ओ.बी. का निर्माण किया जा रहा है और शेष 2 आर.ओ.बी. को भी निकट भविष्य में बनवा दिया जाएगा।

146. हरियाणा सरकार वर्ष 2020–21 से एक विशेष कार्यक्रम के तहत, सभी राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों, मुख्य जिला सड़कों पर स्थित रेलवे क्रॉसिंग की जगह रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज का निर्माण करेगी।
147. हमारी सरकार द्वारा 10 विभिन्न शहरों के बाईपास के निर्माण के लिए 905.67 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। ये बाईपास टोहाना, कोसली, हथीन, पुन्हाना, पिंगवाना, छुछकवास, बहादुरगढ़, गोहाना, उचाना और सोनीपत शहर में प्रस्तावित हैं। टोहाना बाईपास का निर्माण कार्य प्रगति पर है और सितम्बर 2021 तक पूरा होने की सम्भावना है। शेष बाईपासों के निर्माण के लिए भूमि की आवश्यकता है जिसके लिए ई—भूमि पोर्टल पर प्रस्ताव मांगे गए हैं। मैं सबंधित विधायकों से इस बारे सहयोग का भी अनुरोध करता हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जहां जमीन पहले उपलब्ध होगी, उस बाईपास के निर्माण का कार्य प्राथमिकता पर किया जाएगा। इनके अलावा, पिंजौर और भिवानी शहर के लिए बाईपास का कार्य प्रगति पर है तथा वर्ष 2020 में ही कार्य पूरा होने की संभावना है।
148. वर्ष 2014 से 2019 तक 538.36 कि.मी. लम्बी 259 नई सड़कों का निर्माण 437.93 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019–20 में 438 कि.मी. लम्बी 182 नई सड़कों का निर्माण 382.29 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। 1130 करोड़ रुपये की लागत से 1566 कि.मी. लम्बे 6 करम या इससे अधिक चौड़े सभी 530 कच्चे रास्तों को पक्की सड़क में बदलने का कार्य समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। इसके उपरांत कोई भी 6 करम या उससे अधिक चौड़ा कच्चा रास्ता सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में नहीं बचेगा।
149. इसके अतिरिक्त, पूरे प्रदेश में पाँच करम के सभी रास्ते, जोकि एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ते हैं, उन्हें पक्का किया जाएगा।
150. सरकार ने समयबद्ध तरीके से मरम्मत सुनिश्चित करने के लिए 'स्टेट ऑफ आर्ट' जेटपैचर म'ग्नीनों के माध्यम से पैच और गड्ढों की मरम्मत का कार्य आवंटित किया है। इस प्रयोजन के लिए पूरे राज्य में विभिन्न सड़कों को चार क्षेत्रों (कैथल, अम्बाला, हिसार, रेवाड़ी) में विभाजित किया गया है। पंचकूला और चरखी दादरी में सामान्य तरीके से पैच वर्क व गड्ढे भरने का कार्य सम्बन्धित विभाग द्वारा करवाया जा रहा है।
151. सड़कों पर गड्ढों की सूचना विभाग के अधिकारी तथा आम जनता द्वारा 'हरपथ एप' पर अपलोड की जा रही है तथा ठेकेदार द्वारा 96 घण्टों में गड्ढे की मरम्मत की जानी है। इस समय—सीमा में मरम्मत न किए जाने पर ठेकेदार पर 1000 रुपये प्रति गड्ढा प्रतिदिन के स्वतः जुर्माने का प्रावधान है। अगर शिकायत 96 घण्टे में दूर नहीं की जाती है तो इस जुर्माने की राशि में से उसी शिकायतकर्ता को 100 रुपये प्रोत्साहन राशि देने की योजना है। मैं 1 अप्रैल, 2020 से इस योजना को लागू करने की घोषणा करता हूँ।

152. सड़क वाहनों की सुरक्षा के लिए विद्युत लाइनों को ऊँचा करना बहुत आवश्यक है। लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिये जा चुके हैं कि सड़कों पर से गुजरने वाली उन विद्युत लाइनों का सर्वेक्षण किया जाए जिनकी ऊँचाई सड़क से 6.5 मीटर से कम है। हरियाणा सरकार के सभी विभागों/बोर्डों/निगमों की सड़कों का सर्वेक्षण किया जाएगा। अगले तीन महीनों में सर्वेक्षण करने के उपरान्त प्रदेश की हर सड़क पर विद्युत लाइनों को ऊँचा करने का कार्य बिजली विभाग द्वारा अगले 6 महीनों में पूरा किया जाएगा।
153. मैं, वर्ष 2020–21 में लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के लिए 3541.32 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.90 प्रतिशत अधिक है।

tu LokLF; vfHk;kaf=dh

154. जिस प्रकार भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए गए हैं, उसी तरह हमारी सरकार ने ठाना है कि सभी घरों में नल से पेयजल दिया जाए। यह कार्य माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 'जल जीवन मिशन' योजना के तहत किया जाएगा, जिसकी 50 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा व शेष 50 प्रतिशत राशि हरियाणा सरकार द्वारा दी जाएगी। यद्यपि भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी घरों में पेयजल कनेक्शन उपलब्ध करवाने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है, लेकिन हमने हरियाणा में इस कार्य को वर्ष 2022 में ही पूरा करने का लक्ष्य रखा है। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 32.88 लाख घर हैं और वर्तमान में राज्य के कुल 17.58 लाख घरों में पेयजल कनेक्शन हैं। इस दिशा में हरियाणा राज्य देश में चौथे स्थान पर है। शेष 15.30 लाख घरों में से 6.50 लाख घरों को वर्ष 2020–21 में पेयजल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। मुझे यह बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि यह योजना राज्य में 1 दिसम्बर, 2019 से शुरू की गई थी और 23 फरवरी, 2020 तक इस योजना के तहत 3.62 लाख पेयजल कनेक्शन दिए जा चुके हैं।
155. ग्रामीण जल आपूर्ति बढ़ोतरी कार्यक्रम के अन्तर्गत गांवों में जल आपूर्ति का स्तर 55–70 लिटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक बढ़ाने के लिए मौजूदा जल आपूर्ति सुविधाओं का सुधार एवं मजबूतीकरण किया जाएगा। गांवों में अतिरिक्त नलकूप लगाकर, मौजूदा नहर आधारित योजनाओं की बढ़ोतरी, नहर आधारित नए जलघर बनाकर, बुस्टिंग स्टेशनों का निर्माण करके, मौजूदा वितरण प्रणाली को मजबूत बनाकर सुधार किया जाएगा। नलकूप आधारित जल आपूर्ति योजना में अगर यह पाया जाता है कि भूजल की गुणवता खराब हो गई है, तब या तो किसी दूसरे भूजल आधारित स्रोतों की व्यवस्था की जाती है या सतही आधारित जल आपूर्ति योजना बना दी जाती है।

156. ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं की बढ़ोतरी के क्रियान्वन में तेजी लाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत नाबार्ड से भी धनराशि ली जा रही है। इस समय 954.92 करोड़ रुपये की लागत से जिला रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, हिसार, जीन्द और नूह में नाबार्ड द्वारा अनुमोदित की गई 12 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। नाबार्ड द्वारा हाल ही में महेन्द्रगढ़ और हिसार जिले के लिए कुल 120.48 करोड़ रुपये की दो परियोजनाएं मंजूर की गई हैं।
157. हमने महाग्राम योजना गाँवों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से जल आपूर्ति बढ़ाने तथा सीवरेज व्यवस्था बिछाने के लिए शुरू की थी। इस योजना में अब तक 128 गाँव चिह्नित किए गए हैं। प्रथम चरण के 20 गाँवों का कार्य 31 मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा, दूसरे चरण में 37 गाँवों का कार्य 31 दिसम्बर 2023 तक व अंतिम तीसरे चरण में शेष 71 गाँवों का कार्य 31 दिसम्बर 2024 तक पूरा कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत काछवा, सरस्वती नगर, सढ़ौरा, सीवन, क्योड़क, पाई, मानेसर, नाहरपुर कासन, सोताई, तीगाव, गंगा, ददलाना, खानपुर कलां, निंदाना, सतनाली, साकरस, मुआना, कापड़ो, पेटवाड़, निगधु व सिवाह में कार्य प्रगति पर है। बाकी गाँवों में भी कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा।
158. कुछ विधायकों ने मुझे यह सुझाव दिया था कि एस.टी.पी. का कार्य भी महाग्राम योजना में शामिल किया जाए। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि महाग्राम योजना के कार्यों में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए एस.टी.पी. का प्रावधान पहले ही रखा हुआ है। इस संदर्भ में काछवा, सिवाह व सीवन में एस.टी.पी. लगाने का कार्य आवंटित किया जा चुका है।
159. शहरी क्षेत्रों में भी हमारी सरकार 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन के हिसाब से पानी पहुंचाने के लिये दृढ़—संकल्प है। राज्य के 87 शहरों, जिनकी देख—रेख जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग कर रहा है, उन सभी शहरों में पेयजल सुविधा प्रदान की जा चुकी है। जनसंख्या बढ़ोतरी के कारण विकसित हुई घरोंडा, निसिंग, तरावड़ी व समालखा की सभी नई कॉलोनियों में पेयजल सुविधा प्रदान करने का कार्य चल रहा है जो इसी वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।
160. कुल 87 शहरों में से, 78 शहरों में 75 प्रतिशत से ज्यादा सीवर लाईन के कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष 9 शहरों में से, भूना, बराड़ा, इस्माईलाबाद व सढ़ौरा में सीवर लाइन लगाने का कार्य प्रगति पर है। बास, नांगल चौधरी, राजौंद, जाखल व सिसाय कसबों में सीवर लाइन लगाने का कार्य वित्त वर्ष 2020–21 में शुरू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सीवरेज लाइन लगाने का कार्य कालांवाली, मण्डी डबवाली, नारायणगढ़, पिंजौर, रतिया, सिरसा, नीलोखेड़ी, निसिंग, इस्माईलाबाद, गोहाना, तारावड़ी, फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना, हसनपुर, होड़ल तथा घरोंडा में भी चल रहा है, जो इसी वर्ष पूर्ण कर लिया जायेगा। वित वर्ष 2020–21 में लगभग 100 किलोमीटर नई सीवर लाइन लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

161. अब तक 80 शहरों में 124 सीवेज ट्रीटमैंट प्लांट स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य सरकार द्वारा किया गया है। एक नया सीवेज ट्रीटमैंट प्लांट भूना में जून, 2020 तक स्थापित कर दिया जायेगा व शेष 6 शहरों नामतः नांगल चौधरी, राजौन्द, इस्माईलाबाद, सिसाय, बास व सढ़ौरा में परिशोधन संयंत्र लगाने का कार्य आगामी वित वर्ष 2020–21 में शुरू किया जायेगा। इन्द्री, पलवल व युमनानगर में मौजूदा सीवेज ट्रीटमैंट प्लांट की जगह नये सीवेज ट्रीटमैंट प्लांट लगाये जाएंगे तथा इसके अलावा कैथल, पून्डरी, ऐलनाबाद, फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, सिरसा, रोहतक, तोशाम, असंध व सिवानी के मौजूदा सीवेज ट्रीटमैंट प्लांट का उन्नयन किया जायेगा।
162. हमारी सरकार ने उपचारित अपशिष्ट जल का गैर-पेयजल के रूप में इस्तेमाल करने के लिये नीति बनाई है। उपचारित अपशिष्ट जल का मुख्यतः पावर प्लांट, उद्योगों, सिंचाई व नगर पालिकाओं द्वारा गैर पेयजल कार्य हेतु प्रयोग किया जाएगा। वर्ष 2022 तक 25 प्रतिशत उपचारित अपशिष्ट जल को इस्तेमाल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही, 30 साल पुरानी पेयजल की लाइनों को चरणबद्ध तरीके से बदला जाएगा। ऐसा भी एक निर्णय किया गया है।
163. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्लानिंग बोर्ड के तहत गन्नौर, सोहना, बेरी, झज्जर, कलानौर, सांपला, खरखौदा, होडल व समालखा में सीवरेज लाइन डालने व सीवेज ट्रीटमैंट प्लांट के उन्नयन व नवीनीकरण इत्यादि के कार्य वर्ष 2020–21 में किये जाएंगे। ये भी प्लानिंग बोर्ड के माध्यम से पूरा करवाया जाएगा।
164. बरसाती पानी की निकासी हेतु अम्बाला शहर, अम्बाला सदर, भिवानी, सिवानी, बेरी, झज्जर, पून्डरी, होडल, पलवल, रेवाड़ी, रोहतक व गन्नौर शहरों में कार्य चल रहे हैं, जिनको इसी वर्ष 2020–21 में पूर्ण कर लिया जायेगा। हिसार व रोहतक शहर के लिये नये कार्य वर्ष 2020–21 में शुरू किये जायेंगे।
165. घग्गर नदी विभिन्न औद्यौगिक इकाइयों से निकलने वाले दूषित रसायनों एवं शहरी व ग्रामीण मल-जल से दूषित हो रही है, जिससे हेपेटाईट्स व कैंसर जेसी घातक बीमारियां फैल रही हैं। इस समस्या के निवारण हेतु इस क्षेत्र में बहने वाली विभिन्न छोटी नदियों व नालों के शुद्धिकरण एवं संरक्षण की नई योजना बनाई जा रही है।
166. मैं, वर्ष 2020–21 में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए 3591.27 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ जबकि वर्ष 2019–20 का संशोधित अनुमान 3410.77 करोड़ रुपये था।

flapkbZ ,oa ty lalk/ku

167. हमारी सरकार रावी-ब्यास नदियों के जल में से हरियाणा का न्यायोचित हिस्सा दिलाने के लिए सतलुज-यमुना लिंक नहर के निर्माण के लिए निष्ठा और ठोस प्रयासों के साथ प्रतिबद्ध है। मैं विशेष रूप से 2020–21 में इस उद्देश्य के लिए 100.00 करोड़ रुपये का परिव्यय आबंटित करने का प्रस्ताव

करता हूँ और सम्मानित सदन को आश्वस्त करता हूँ कि जितने भी अतिरिक्त धन की मांग होगी, उसे वर्ष के दौरान तुरन्त पूरा किया जाएगा।

168. कृषि उद्देश्यों के लिए पानी के दक्ष उपयोग हेतु सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों के तहत लाने के लिए 36 चिह्नित अति-जलशोषित और महत्वपूर्ण खंडों पर बल दिया गया है।
169. इसके अलावा, "पर ड्रॉप मोर क्रॉप"-सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत, हरियाणा सरकार ने 1200.00 करोड़ रुपये की चार परियोजनाएं तैयार की हैं, जिनका वित्त-पोषण नाबार्ड के सूक्ष्म सिंचाई कोष के तहत किया जाएगा।
170. मेवात क्षेत्र में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने के.एम.पी. एक्सप्रेसवे के समान्तर बादली के पास गुरुग्राम वाटर सप्लाई चैनल से पाईप लाइन के माध्यम से गुरुग्राम नहर तक पानी पहुंचाने के लिए मेवात फीडर नहर के निर्माण का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 450 क्यूसिक की क्षमता वाली जी.डब्ल्यू. एस. चैनल का पुनर्निर्माण ककरोई हैड से बादली तक किया जाएगा।
171. फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र में पानी की सप्लाई गुरुग्राम नहर से निकलने वाली बनारसी डिस्ट्रीब्यूट्री, उमरा माइनर और शादीपुर माइनर से की जाती है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में पानी की अतिरिक्त आपूर्ति के लिए मेवात फीडर का निर्माण कारगर सिद्ध होगा। इसके साथ ही उमरा माइनर तथा शादीपुर माइनर के पुनर्वास के लिए 5.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में आपूर्ति को सुदृढ़ किया जा रहा है जिसके लिए आवश्यक बजट का प्रावधान किया गया है।
172. सिंचाई के क्षेत्र में बड़े नीतिगत बदलाव के तहत "हर खेत को पानी" के ध्येय को साकार करने के लिए जलमार्गों को पक्का करने की लम्बाई को कृषि कमांड क्षेत्र के अनुरूप 24 फुट प्रति एकड़ से बढ़ाकर 40 फुट प्रति एकड़ करने का निर्णय लिया गया है। कच्चे जलमार्गों को पक्का करना एवं पुराने जलमार्गों का पुनर्वास 9 इंच मोटी दीवार द्वारा किया जाएगा, जिसके परिणाम-स्वरूप राज्य में सिंचाई सघनता में वृद्धि होगी। पुनर्वास के लिए वर्तमान में 20 वर्ष की अवधि को जहां किसान चाहेंगे, कम करके 15 वर्ष कर दिया जाएगा। ये भी कुछ विधायकों का सुझाव आया था।
173. 1828 एम.एल.डी. की शोधन क्षमता वाले 207 एस.टी.पी. से उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग करने के लिए 1098.25 करोड़ रुपये की लागत की एक परियोजना को सरकार द्वारा "सैद्धांतिक रूप" से अनुमोदित कर दिया गया है जिसके प्रथम चरण में 500.00 करोड़ रुपये की लागत से राज्य के विभिन्न जिलों में मौजूदा एस.टी.पी. को सूक्ष्म सिंचाई के साथ समुदाय आधारित सौर अथवा ग्रिड संचालित एकीकृत सुक्ष्म सिंचाई अवसंरचना स्थापित करने की परियोजना को नाबार्ड के सूक्ष्म सिंचाई कोष के तहत अनुमोदन के लिए भेजा गया है। इन परियोजनाओं से यमुना नदी एवं घग्गर नदी में गिरने वाले गंदे पानी के बहाव को रोका जा सकेगा।

174. किसानों के खेतों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए, 13 जिलों की 22555 एकड़ भूमि के लिए 189.46 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक परियोजना सूक्ष्म सिंचाई कोष के तहत नाबार्ड को भेज दी गई है। इसके अतिरिक्त पीपीपी मोड के माध्यम से हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों के 57352 एकड़ क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए 399.97 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक अन्य परियोजना सूक्ष्म सिंचाई कोष के तहत नाबार्ड को भेज दी गई है। दोनों परियोजनाओं के तहत नहरी पानी के भंडारण के लिए औसतन 10 फीट की गहराई वाले लगभग 160 टैंकों का निर्माण किया जाएगा, जिनकी भंडारण क्षमता 16 मिलियन घन फुट होगी। इस प्रकार कुल प्रदेश में लगभग 80 हजार एकड़ भूमि पर सूक्ष्म सिंचाई की सुविधा शुरू की जाएगी।
175. वर्ष 2014 से पहले, कई वर्षों तक कुल 1354 टेलों में से लगभग 300 टेलों तक पानी नहीं पहुंचता था। सरकार के निरंतर एवं अथक प्रयासों द्वारा अधिकांश टेलों पर पानी पहुंचा दिया गया है। कुछ विकट टेलें शेष बची हैं, जिन तक चैनलों की खराब एवं जर्जर हालत के कारण पानी नहीं पहुंचाया जा सका। उन पर पानी पहुंचाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है।
176. खुली नहरों की जगह कार्यक्षेत्र की उपयुक्ता के अनुसार पाइप लाइन की नहरों के निर्माण की प्रक्रिया में पहले से ही कार्यरत है। एच.डी.पी.ई. पाइप की कीमत ज्यादा होने के कारण पूर्व निर्मित आर.सी.सी. पाईप इस्तेमाल कर रहा है। जहां पर पानी के प्रेशर की आवश्यकता होती है, वहां एम.एस. पाइपों का भी प्रयोग किया गया है। 15 नहरों पर कार्य शुरू कर दिया गया है और इसकी सफलता को देखकर इस कार्य को आगे बढ़ाया जायेगा।
177. विभिन्न नहरों पर रियल टाईम डिस्चार्ज डेटा प्राप्त करने के लिए 4.00 करोड़ रुपये की लागत से स्वचालित इलैक्ट्रोनिक गेज लगाये जा रहे हैं। यह व्यवस्था आउटलेट्स से अतिरिक्त पानी के इस्तेमाल व चोरी का पता लगाने में सहायक होगी। इसके अलावा, स्मार्ट मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार किया जा रहा है, जिससे किसानों को नहरों के रोटेशनल प्रोग्राम तथा अंतिम छोर पर पानी की उपलब्धता के बारे में जानकारी मिल सकेगी।
178. गैर—मानसून के दौरान 763.13 हैक्टेयर मीटर की शुद्ध जल भंडारण क्षमता के आदिबद्री बांध के निर्माण की एक परियोजना सरकार के विचाराधीन है। विभिन्न आवश्यक मंजूरियों की वन, पर्यावरण, वन्य जीवन, सी.डब्ल्यू.सी. और हिमाचल प्रदेश सरकार से प्रक्रिया चल रही है।
179. हमारी सरकार यमुना नदी पर जल भण्डारण के लिए रेणुका, किशाऊ और लखवाड़ व्यासी बांध बनाने के लिए उत्साह के साथ प्रयासरत है ताकि प्रदेश को यमुना और उसकी सहायक नदियों, गिरी और टॉन्स से लगातार पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। हरियाणा सरकार को समझौता ज्ञापन के तहत उपरी यमुना नदी बोर्ड को 458.42 करोड़ रुपये की प्रारम्भिक राशि 5

सालों में चरणबद्ध रूप में देनी है ताकि इन बांधों का निर्माण हो सके। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2020–21 में 100.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखता हूं। हमारे सांसद, अम्बाला ने यह सुझाव दिया है।

180. हरियाणा राज्य में आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने के लिए हरियाणा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की नहरों व नालों के जर्जर व पुराने पुलों के पुनर्वास व पुनर्निर्माण के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। मैं इस उद्देश्य के लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 में 150.00 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव रखता हूं।
181. कृष्णावती नदी के पुनरोद्धार का कार्य, गांव रत्ता कलां से गांव मानपुरा तक, 14 किलोमीटर की लम्बाई में 240.46 लाख रुपये की लागत से स्वीकृत कर दिया गया है और यह कार्य जुलाई, 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही, दोहन नदी के पुनरोद्धार का कार्य भी गांव डिरौली—अहीर से लेकर महेन्द्रगढ़ शहर तक 16 किमी लम्बाई में 250.00 लाख रुपये की लागत से प्रगति पर है जिसके लिए बजट का प्रावधान कर दिया गया है।
182. हमारी सरकार सौर ऊर्जा आधारित सूक्ष्म सिंचाई अवसंरचना की स्थापना द्वारा सिंचाई के उद्देश्य के लिए गांवों में तालाबों से अतिरिक्त पानी का उपयोग करके ग्रामीणों को अतिप्रवाह तालाबों की गंदगी से मुक्ति दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। जिला कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर और कैथल के 958 एकड़ कृषि कमान क्षेत्र को कवर करने के लिए 11 तालाबों पर काम पूरा हो गया है। अब 7.15 करोड़ रुपये की लागत से 55 गांवों के तालाबों के फालतू पानी का उपयोग करने के लिए सौर ऊर्जा से संचालित गैर-दवाब बुनियादी ढांचे की स्थापना 2738 एकड़ क्षेत्र में करने की परियोजना स्वीकृत की गई है।
183. राज्य में 25 एकड़ से बड़े 50 जलाशयों के पुनरोद्धार व नवनिर्माण के लिए हरियाणा राज्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र द्वारा सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। प्रथम चरण में आगामी वित्तीय वर्ष में लगभग 127 एकड़ क्षेत्र में 4 जलाशयों नामतः सोनीपत जिले में जुआं, तियोरी, दुमेटा तथा रोहतक जिले के कारोर में को 26.30 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पुनरोद्धार व नवनिर्माण किया जाएगा।
184. उपलब्ध अतिरिक्त सतही जल को संरक्षित करने के लिए नहरों से जुड़े 4000 गांवों के तालाबों की खुदाई, गाद निकालने व क्षमता बढ़ाने के कार्य को प्राथमिकता पर रखा गया है। इस कार्य को सिंचाई एवं जल संसाधन और विकास एवं पंचायत विभाग संयुक्त रूप से करेंगे। अब ये समस्त कार्य हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबन्धन प्राधिकरण की देखरेख में होंगे जिनके लिए वर्ष 2020–21 में 1000.00 करोड़ रुपये के विशेष प्रावधान का प्रस्ताव है। सह सुझाव हमारे 10 विधायकों और 2 सांसदों ने दिया है ताकि तालाबों की व्यवस्था को ठीक करने की बात आगे बढ़ाया जाए।

185. राज्य को बाढ़ के प्रकोप और जल भराव की प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 51वीं बैठक में वर्ष 2020–21 के लिए 195.51 करोड़ रुपये की 212 नई योजनाओं को मंजूरी दी गई थी। इनके लिए वित्तीय वर्ष 2020–21 में 200.00 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
186. मानसून ऋतु के दौरान यमुना नदी के अतिरिक्त पानी के उपयोग के लिए समानांतर दिल्ली ब्रान्च (पी.डी. ब्रान्च) की आर.डी. से 1,45,250 तक पुनर्निर्माण करने के लिए 304.00 करोड़ रुपये की लागत की परियोजना को नाबार्ड के तहत स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अतिरिक्त आवर्धन नहर की क्षमता 6000 क्यूसिक बढ़ाने व पुनर्निर्माण के लिए एक परियोजना 489.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत सरकार द्वारा नाबार्ड के तहत स्वीकृत की जा चुकी है जिससे भविष्य में दिल्ली, दक्षिण हरियाणा व अन्य जिलों में पानी की आपूर्ति की जा सके। इन दोनों परियोजनाओं का कार्य अप्रैल, 2020 तक शुरू होने की संभावना है।
187. पानी के रिसाव को रोकने तथा पानी को व्यर्थ होने से बचाने के लिए व नहरों की वाहक क्षमता बढ़ाने के लिए पुरानी व जर्जर नहरों के पुनर्वास का कार्य हमारी सरकार की उच्च प्राथमिकता है।
188. मै, वर्ष 2020–21 में सिंचाई व जल संसाधन विभाग के लिए 4960.48 करोड़ रुपये का परिव्यय करता हूँ जोकि संशोधित अनुमान 2019–20 के 2994.63 करोड़ रुपये के परिव्यय से 65.65 प्रतिशत अधिक है।

fctyh

189. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार हर नागरिक को सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाने और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने 2015 में “म्हारा गाँव जगमग गाँव” योजना शुरू की थी, जिसके तहत लगभग 4500 गाँवों को कवर करने वाले 1048 फीडरों को पहले ही 24 घंटे बिजली की आपूर्ति के अधीन लाया जा चुका है। 9 जिलों नामतः पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी और यमुनानगर के सभी गाँवों में सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है।
190. उदय योजना के अंतर्गत बिजली वितरण निगमों की सकल तकनीकी और वाणिज्यिकी हानियां कम करने के लिए काफी काम हुआ है। मुझे सदन को यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि वर्ष 2018–19 में तकनीकी और वाणिज्यिकी हानियां घटकर 17.45 प्रतिशत रह गई हैं। इसके अलावा, बिजली वितरण निगमों ने वर्ष 2017–18 में 412.34 करोड़ रुपये और वर्ष 2018–19 में 280.94 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित करके लक्षित वर्ष 2019–20 से दो साल पहले अपना वित्तीय लक्ष्य हासिल कर लिया है।

191. बिल निपटान योजना के तहत 13.61 लाख उपभोक्ताओं ने बिल निपटान स्कीम को अपनाया और 437.52 करोड़ रुपये जमा करवाए, जबकि 3806.04 करोड़ रुपये का बकाया माफ हुआ। इस तरह से इस स्कीम के तहत कुल 4243.56 करोड़ रुपये की बकाया राशि का निपटान हुआ।
192. माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा बिजली बिलों के ऑनलाइन भुगतान के लिए मर्चेट डिस्काउंट रेट चार्ज वहन करने वाला देश का पहला राज्य है। वर्तमान में, बिजली वितरण निगमों का 60 प्रतिशत से अधिक राजस्व डिजिटल माध्यमों से एकत्रित किया जा रहा है।
193. किसानों को बड़ी राहत देने के लिए राज्य सरकार ने 31 दिसंबर, 2018 तक प्राप्त सभी लंबित आवेदनों के संबंध में नलकूप कनेक्शनों को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। नई नीति के तहत, 10 बीएचपी तक के आवेदकों के पास बिजली वितरण निगमों से ग्रिड से जुड़ा बिजली कनेक्शन या हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभियान से ऑफ ग्रिड सौर ऊर्जा कनेक्शन लेने का विकल्प होगा। इसके अलावा, भूजल के अत्यधिक दोहन और कृषि क्षेत्र के लिए आरोड़० सब्सिडी के भारी बोझ के मुद्दे को हल करने के लिए हमने निर्णय किया है कि नए नलकूप कनेक्शन अनिवार्य रूप से सूक्ष्म सिंचाई/भूमिगत पाइप लाइन प्रणाली पर आधारित हों और बिजली वितरण निगमों द्वारा अनुदानित दरों पर उपलब्ध करवाए गए 5-स्टार रेटेड ऊर्जा कुशल पम्प सेटों का प्रयोग हो।
194. कृषि पम्प सेट उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बिजली वितरण निगमों द्वारा अधिभार माफी योजना-2019 शुरू की गई है, जिसके तहत 31.03.2019 तक डिफाल्टर कृषि पम्पसेट उपभोक्ताओं का अधिभार माफ कर दिया गया है। इस स्कीम को 1,11,817 उपभोक्ताओं ने अपनाया तथा 15.02.2020 तक 61.66 करोड़ रुपये की मूल राशि वसूल हुई और 23.79 करोड़ रुपये का अधिभार माफ हुआ।
195. हमारी सरकार सभी को स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बिजली उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस सम्बंध में, हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की फरीदाबाद और यमुनानगर स्थित अपनी भूमि पर 77 मैगावाट और झज्जर तथा फरीदाबाद में पंचायत भूमि पर 16 मैगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना है।
196. विपक्ष के कुछ साथी भ्रामक प्रचार करते हैं, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रदेश में बिजली की कोई कमी न रही है और न होने दी जाएगी।
197. गत पांच वर्षों के दौरान बिजली सम्प्रेषण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए 42 नये सब-स्टेशन स्थापित किये गए हैं और 350 वर्तमान सब-स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई है। 2,697 करोड़ की लागत से 15,497 एमवीए सम्प्रेषण क्षमता बढ़ाई गई है और 1,477 किलोमीटर सम्प्रेषण लाइनें जोड़ी गई हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में बिजली इनफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक मजबूत बनाने के लिए 28 नये सब-स्टेशन बनाने, 57 मौजूदा सब-स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने तथा 1,657 सर्किट किलोमीटर लम्बी लाइनें बिछाने की योजना बनाई गई है।

198. पिछले पांच वर्षों के दौरान बिजली के उचित वितरण के लिए 33 केवी के 185 नए सब-स्टेशन स्थापित किये गए हैं, 403 मौजूदा सब-स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई है और 33 केवी की 1879 सर्किट किलोमीटर नई लाइनें बिछाई गई हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान, 97 नए सब-स्टेशन स्थापित करने, 33 केवी के 85 मौजूदा सब-स्टेशन की क्षमता बढ़ाने और 33 केवी की 776 किलोमीटर नई लाइनें बिछाने की योजना है।
199. मुझे इस सदन को यह बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार द्वारा जारी स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स–2019, जो ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण की पहलों पर नजर रखता है, में हरियाणा ने समग्र रैंकिंग के साथ–साथ अपने समूह में भी प्रथम स्थान हासिल किया है।

uo ,oa uohdj.khj.k ÅtkZ

200. हमने वर्ष 2019–20 के दौरान 334 गौशालाओं में 1,606 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए एक परियोजना शुरू की है। वर्ष 2020–21 में 200 अन्य गौशालाओं में ऐसे बिजली संयंत्र स्थापित किये जाएंगे।
201. पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम करने और हरित व स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हम सोलर इन्वर्टर चार्जर की एक योजना लागू कर रही है, जिसके तहत वर्ष 2020–21 के दौरान, लगभग 33,000 सौर इन्वर्टर चार्जर सिस्टम प्रदान किए जाएंगे।
202. सरकार ने राज्य में 3 एचपी से 10 एचपी क्षमता के 50,000 ऑफ–ग्रिड सौर जल पंप स्थापित करने की योजना बनाई है। प्रथम चरण में वर्ष 2019–20 के दौरान 15,000 पम्प किये जा रहे हैं और दूसरे चरण में वर्ष 2020–21 के दौरान 35,000 पम्प स्थापित किये जाएंगे।
203. मैं, बिजली विभाग के लिए 7302.86 करोड़ रुपये और नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के लिए 256.54 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ।

m|ksx ,oa okf.kT;

204. माननीय अध्यक्ष महोदय! हरियाणा को एक पसंदीदा वैश्विक निवेश गंतव्य बनाने के लिए हमने प्रक्रियाओं के सरलीकरण के माध्यम से बड़े विनियामक सुधारों का सूत्रपात किया है। इससे राज्य आज कारोबारी सुगमता रैंकिंग में अखिल भारतीय स्तर पर तीसरे स्थान पर है और उत्तर भारत में प्रथम स्थान पर है।
205. गत वर्ष हमने निवेशकों को बेहतरीन प्रोत्साहन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण, टैक्सटाइल, वेयरहाउसिंग–लॉजिस्टिक्स एंड रिटेल, फार्मास्यूटिकल और एमएसएमई के लिए पांच क्षेत्र विशिष्ट नीतियां 'उरु की। इस वर्ष निवेश को आकर्षित करने तथा हरियाणा के लोगों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन नीतियों के

जमीनी क्रियान्वयन पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। साथ ही, हम एक डेटा केंद्र नीति तथा विद्युत वाहन नीति बनाने पर तेजी से कार्य कर रहे हैं।

206. प्राकृतिक संसाधनों की कमी और समुद्री बंदरगाहों से राज्य की दूरी के बावजूद निर्यात के मोर्चे पर राज्य का प्रदर्शन सराहनीय है। वर्ष 1967–68 के दौरान 4.5 करोड़ रुपये से शुरू होकर वर्ष 2018–19 में राज्य का निर्यात लगभग 98,570.24 करोड़ रुपये हो गया। इस दृष्टि से हम देश में पांचवें स्थान पर हैं।
207. उद्योग एवं वाणिज्य के लिए मैं, बजट अनुमान 2020–21 के लिए 349.30 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ।

ukxfjd foekuu

208. भिवानी, नारनौल, करनाल, पिंजौर में मौजूदा हवाई पटिटयों का विस्तार और हिसार में एकीकृत विमानन हब की परियोजनाओं पर कार्य चालू है। विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने की पहल के तहत नारनौल हवाई पट्टी पर हवाई खेल गतिविधियां शुरू की गई हैं।
209. हिसार में एकीकृत विमानन हब को विकसित करने की योजना के चरण—I के तहत, एयरोड्रम के लिए डीजीसीए लाइसेंस हासिल किया गया। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत एक एयर शटल सेवा शुरू की गई और अगस्त, 2019 में उड़ान प्रशिक्षण संगठन की शुरुआत के लिए सहमति—पत्र जारी किया गया। एकीकृत विमानन हब की स्थापना के लिए मौजूदा हवाई पट्टी के साथ लगती 4200 एकड़ अतिरिक्त भूमि चिन्हित की गई है।
210. एरोस्पेस मैन्यूफैक्चरिंग, एविएशन ट्रेनिंग सेंटर तथा एविएशन यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाणिज्यिक और आवासीय एयरोट्रोपोलिस का काम भी प्रगति पर है। भावी योजना के भाग के रूप में पीपीपी मोड पर करनाल में एक हवाई अड्डे तथा भिवानी में एक अन्य उड़ान प्रशिक्षण स्कूल के साथ सभी हवाई पटिटयों की लंबाई 5000 फीट तक बढ़ाने का भी हमारा प्रस्ताव है।
211. मैं, वर्ष 2020–21 में नागरिक उड़ान विभाग के लिए 173.07 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ जोकि संशोधित अनुमान 2019–20 में 42.09 करोड़ रुपये के परिव्यय से 311.22 प्रतिशत अधिक है।

IwpuK ckS | ksfxdh] bysDVª, fuDI ,oa lapkj

212. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सदन को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अंत्योदय—सरल पोर्टल, जोकि प्रदेश भर में सरकार से नागरिकों को (जी2सी) सेवाओं/योजनाओं की प्रदायगी और उनका पता लगाने के लिए एक एकीकृत मंच है, के लिए हरियाणा को भारत सरकार द्वारा गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसमें नागरिकों को इसके केंद्र में रखते हुए राज्य में सम्पूर्ण सेवा प्रदायगी ढांचे की पुनःकल्पना शामिल है और इस प्रक्रिया में भ्र”टाचार को कम करके तथा सेवा प्रदायगी को मानव हस्तक्षेप मुक्त बनाकर सरकारी कार्य—प्रणाली में मौलिक व्यवहार परिवर्तन लाना ‘गामिल है।

213. नागरिकों को अब तक 38 विभागों/बोर्डों/निगमों की (जी2सी) कुल 527 सेवाएं/योजनाएं सरल पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।
214. प्रदेश में लगभग 16,141 अटल सेवा केंद्र पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें 10,930 ग्रामीण क्षेत्रों में और 5,211 शहरी क्षेत्रों में हैं। ये अटल सेवा केंद्र राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजनेस—टू—कंज्यूमर (बी2सी) सेवाओं की प्रदायगी के अतिरिक्त आवश्यक जनोपयोगी सेवाओं, समाज कल्याण योजनाओं, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय, शिक्षा और कृषि सेवाओं की प्रदायगी के लिए पहुंच बिंदु हैं।
215. सीएम विंडो, जोकि एक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली है, पूरे राज्य में प्रमुख कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई है। इस पर, अब तक कुल 6.75 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 6.37 लाख से अधिक शिकायतों का सफलतापूर्वक निपटान किया गया है।
216. राज्य ने बिना किसी मानव हस्तक्षेप और जांच के उसी समय विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर पुलिस कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु ऑनलाइन परीक्षाएं संचालित करने के उद्देश्य से एक लोअर स्कूल एंट्रेंस टेस्ट पोर्टल शुरू किया है, जो पूर्णतः स्वदेशी है। वास्तविक समय परिणाम घोषणा के साथ 8,000 से अधिक पुलिस कर्मचारियों के पहले बैच की परीक्षा ली गई है। इस ऑनलाइन पोर्टल का नियमित आधार पर उपयोग करके आगे भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी।
217. हरियाणा के सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग के सूचना सुरक्षा प्रबंधन कार्यालय (आईएसमओ) ने प्रदेश में नागरिकों, सरकारी अधिकारियों, विद्यार्थियों समेत विभिन्न हितधारकों को साइबर सुरक्षा से संबंधित जानकारी प्रदान करने और इससे जुड़ी घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए टोल फ्री नंबर (1800–180–4766) के साथ एक कॉल सेंटर शुरू किया है। अब तक लगभग 92,100 कॉल्स का निपटान किया गया है। प्रासंगिक घटनाओं के बारे में सीईआरटी–आईएन, एनसीआईआईपीसी और पुलिस को सूचित किया गया है।
218. हरियाणा को कैशलेस सोसाइटी बनाने के उद्देश्य से, राज्य में डिजिटल भुगतान के विभिन्न तरीकों की प्रगति की निगरानी के लिए एक एकीकृत निगरानी उपकरण “हरियाणा कैशलेस कंसोलिडेशन पोर्टल” विकसित किया गया था। अप्रैल 2017 से, राज्य भर में 297.00 करोड़ से अधिक के डिजिटल लेन–देन दर्ज किए गए हैं। प्रति व्यक्ति डिजिटल लेन–देन में हरियाणा पूरे देश में बड़े राज्यों की श्रेणी में दूसरे स्थान पर है।
219. ई–चालान प्रणाली के कार्यान्वयन के मामले में हरियाणा कुछ अग्रणी राज्यों में से एक है। यह प्रणाली नागरिकों को कैशलेस, कागज की कम खपत वाली तथा परेशानीमुक्त ई–सेवाओं की पेशकश करने के साथ–साथ पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, भ्रष्टाचार को कम करती है और हरियाणा की ट्रैफिक पुलिस/आरटीओ इनफोर्मेंट विंग की क्षमता को बढ़ाती है। पुलिस विभाग द्वारा 31 दिसंबर, 2019 तक 29 लाख से अधिक चालान जारी किए गए।

परिवहन विभाग द्वारा भी 58,000 से अधिक चालान जारी करके 193.56 लाख रुपये का राजस्व एकत्रित किया गया।

220. डिजिटल तरीके से दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए भारत सरकार की डिजी लॉकर समेकन सेवा के माध्यम से सात विभागों की उन्नीस सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। अब तक हरियाणा में 33 विभागों की 390 सेवाओं को रैपिड असेसमेंट सिस्टम (आरएएस) के साथ एकीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, आरएएस—आईवीआरएस (इंटिग्रेटेड वॉयस रिस्पांस सिस्टम) एकीकरण गो—लाइव के अंतिम चरण में है, जहां फीडबैक लेने और फीडबैक प्रतिशत बढ़ाने के लिए सिस्टम से एक आउट बाउंड कॉल शुरू किया जाएगा।
221. जनसंख्या 2015 के आधार पर शत प्रतिश्वर्णता के साथ हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर है। वर्तमान में, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के आधार कवरेज में हरियाणा देश में पहले स्थान पर है।
222. राज्य ने आयकर रिटर्न भरने के लिए ई—टीडीएस प्रणाली, आधार—आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली और खजाने में डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित बिल जमा करवाना भी लागू किया है। मेडिकल बिल ऑनलाइन जमा करवाने के लिए कर्स्टमाइज्ड वेब पोर्टल, पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारियों, कोषाध्यक्षों और पेंशनभोगियों के लिए ई—पीपीओ के डिजिटल हस्तांतरण हेतु स्वचालित समाधान तथा बोर्ड और निगमों के लिए वेतन प्रणाली का अनुकूलन किया जा रहा है।
223. मै, बजट अनुमान 2020–21 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के लिए 103.46 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ जोकि 2019–20 के संशोधित अनुमान 96.83 करोड़ रुपये से 6.85 प्रतिशत अधिक है।

IHkh ds fy, vkokl

224. प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण के तहत वर्ष 2019–20 में अब तक कुल 4,549 मकानों का निर्माण किया गया है व 5,860 मकान निर्माणाधीन है तथा कुल 43.67 करोड़ रुपये की राहि खर्च की जा चुकी है। वार्षिक योजना 2020–21 के लिए 32 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए 255 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।
225. हमने निर्णय लिया है कि विभिन्न विभागों/बोर्डों/निगमों द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही सभी आवास योजनाओं को एक छत के नीचे लाने के लिए “सभी के लिए आवास” नाम से एक नया विभाग बनाया जाएगा।
226. आवास बोर्ड हरियाणा द्वारा बीपीएल/ईडब्ल्यूएस श्रेणी, शहरी स्थानीय निकाय विभाग की प्रधानमंत्री आवास योजना—शहरी, राजीव आवास योजना, ग्रामीण विकास विभाग की प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रामीण, हरियाणा भवन निर्माण और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए

आवास अग्रिम योजना, हरियाणा 'हरी विकास प्राधिकरण की आशियाना योजना, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की आवास की मरम्मत के लिए डॉ. बीआर अम्बेडकर नवीनीकरण योजना जैसी विभिन्न आवास योजनाओं को "सभी के लिए आवास विभाग" के दायरे में लाया जाएगा।

227. सरकार महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के लाभार्थियों को 100 गज के प्लॉट के आवंटन में आ रही दिक्कतों को भी दूर करेगी। लाभार्थियों को आवास बनाने की सुविधा हो, इस हेतु उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के साथ जोड़ा जाएगा।

ifjogu

228. माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा परिवहन प्रणाली देश की श्रेष्ठतम परिवहन प्रणालियों में से एक है जो अपने लोगों को सुरक्षित, किफायती, कुशल और विश्वसनीय परिवहन प्रणाली उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। 38 वोल्वो/मर्सिडीज सुपर लग्जरी वातानुकूलित बसों समेत 3602 बसों के मौजूदा बेड़े के साथ हमारी बसें प्रतिदिन लगभग 10.5 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके लगभग 9.66 लाख यात्रियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाती हैं।
229. राज्य में सुपर लग्जरी वातानुकूलित बसों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार 31 मार्च, 2020 तक 18 सुपर लग्जरी एसी मल्टी-एक्सल बसें खरीदने की प्रक्रिया में है। वर्ष 2020-21 में बीएस-VI उत्सर्जन मानकों को पूरा करने वाली 867 स्टैण्डर्ड नॉन-एसी बसों की खरीद भी पाइपलाइन में है। इसके अलावा, विभाग ने ऑनलाइन बोली प्रणाली आधार पर किलोमीटर स्कीम के तहत भी सैकड़ों बसों को बेड़े में 'शामिल' किया है।
230. राज्य परिवहन विभाग, हरियाणा ने किफायती, सुरक्षित, टिकाऊ यात्री परिवहन सेवाओं के साथ-साथ मैनुअल टिकटिंग प्रणाली को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से बूट मॉडल पर इलेक्ट्रॉनिक टिकट इश्यूइंग मशीनों, आरएफआईडी आधारित बस पास सिस्टम और जीपीएस सिस्टम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके सितंबर, 2020 तक पूरी तरह से लागू हो जाने की संभावना है।
231. माननीय अध्यक्ष महोदय, सामाजिक दायित्व के रूप में सरकार द्वारा अपनी साधारण बसों में राज्य के 41 विभिन्न श्रेणियों के लोगों को मुफ्त/रियायती यात्रा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। इसमें छात्राओं के लिए उनके निवास से शैक्षणिक संस्थानों तक 150 किलोमीटर तक निःशुल्क यात्रा शामिल है, जिसके लिए करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला और पंचकूला जिलों में 20 मार्गों पर 36 बसें चलाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, हमने छात्राओं/महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए 163 मार्गों पर 181 विशेष बस सेवाएं भी शुरू की हैं।
232. मै, बजट अनुमान 2020-21 के लिए परिवहन क्षेत्र के लिए 2307.44 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूँ।

fodkl ,oa iapk;r

233. बेहतर स्वच्छता व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में प्रगति के लिए, राज्य को 2017 में खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया था। अब, स्वच्छ भारत मिशन—ग्रामीण का ध्यान ओडीएफ प्लस पर है, जिसमें ओडीएफ के स्थायित्व तथा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर बल दिया गया है।
234. सभी 22 जिलों में 1395 ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। 671 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं और 520 तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और शेष परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। 7 ग्राम पंचायतों द्वारा अपने—अपने क्षेत्रों में ठोस कचरे के घर—घर संग्रह, स्थानांतरण, पृथक्करण और निपटान की गतिविधियां ‘ुरु की जा चुकी हैं।
235. मुझे इस सम्मानित सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार और लोगों के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण –2019 में हरियाणा ने उत्तर भारत में पहला और देश में दूसरा स्थान हासिल किया है।
236. हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने अन्तर जिला परिषद् नामक संस्था का गठन किया। मैंने स्वयं इसकी अध्यक्षता करते हुये चार बैठकें की हैं। इन बैठकों में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के सुझावों और विचार विमर्श के उपरांत हमने पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासनिक और वित्तीय रूप से सुदृढ़ करने के लिए अनेक निर्णय लिए हैं। इस वर्ष निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग तथा उपायुक्त की पंचों, सरपंचों, पंचायतों, और पंचायत समितियों सम्बन्धित प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् को हस्तांतरित की जायेंगी ताकि पंचायतों की समस्याओं का समाधान ज़िले में ही हो सके।
237. हमने यह भी निर्णय लिया है कि कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज को भी ज़िला परिषद् के अधीन किया जायेगा ताकि ज़िला परिषद् विकास कार्यों को बेहतर ढंग से करवाना सुनिश्चित कर सके। ज़िला परिषदों को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु ज़िला परिषदों को विभिन्न प्रकार का टैक्स लगाने की छूट दी जाएगी। सरकार केवल इन टैक्सों की न्यूनतम एवं अधिकतम दर निर्धारित करेगी। ज़िला परिषदों को हर वर्ष कम से कम 20 करोड़ से 25 करोड़ तक की अनुदान राशि उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया गया है।
238. महाग्राम योजना, वर्ष 2015 में 10000 से अधिक आबादी वाले गांवों में आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के तहत चिह्नित 150 गांवों में सीवरेज तथा सीवरेज ट्रीटमैन्ट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। वर्ष 2020–21 से महाग्रामों में अप्रिय घटनाओं की रोकथाम के लिए एल.ई.डी स्ट्रीट लाईट लगवाई जाएंगी। महाग्रामों में समाजिक सुरक्षा एवं विकास कार्यों तथा स्वच्छता की निगरानी हेतु सी.सी.टी.वी. कैमरे भी

लगवाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त जिन ग्राम पंचायतों के पास अपने आय स्रोतों से एक करोड़ रूपए से अधिक की जमा राशि उपलब्ध है उनमें भी एल.ई.डी स्ट्रीट लाईट लगवाई जाएंगी और मुझे लगता है कि 6 से 8 विधायकों ने इस पर अपने सुझाव दिये हैं।

239. हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण का गठन वर्ष 2007 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तर्ज पर किया गया था। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के विनियमित विकास को बढ़ावा देना एवं मूलभूत सेवाएं प्रदान करना तथा आवासीय सुविधा, विशेषकर कमज़ोर वर्गों के लिए उपलब्ध करवाना है। अफसोस की बात है कि अब तक इस प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त उद्देश्यों के लिए कोई राशि खर्च नहीं की गई। हमने निर्णय लिया है कि एच.आर.डी.ए. को 50 करोड़ रूपये की राशि वित्त वर्ष 2020–21 में उपलब्ध करवाई जायेगी और पूर्ण राशि को उक्त उद्देश्यों के लिए खर्च किया जाएगा। जिन गांवों के लाल डोरे के भीतर के नक्शे तैयार हो जाएंगे, उन गांवों को एचआरडीए द्वारा प्राथमिकता दी जाएगी।
240. प्रायः यह देखा गया है कि पंचायतों में हड्डारोड़ी की जमीन लगभग खत्म होती जा रही है। इसके कारण मृत पशुओं के निपटान की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस विषय को गंभीरता से लेते हुये हमने यह निर्णय लिया है कि वर्ष 2020–21 में प्रत्येक ज़िला परिषद् को पशुसंख्या आधार पर एक या दो वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे तथा एक टोल फ्री नम्बर दिया जायेगा जिस पर फोन करके मृत पशु की सुचना दी जा सकेगी और उसके निपटान की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। यह सुझाव भी हमारे विधायक अमित सिहाग जी ने दिया था।
241. वर्तमान में सभी ज़िलों में वर्ष भर में लगभग 200 पशु मेलों का आयोजन होता है। पशुपालकों की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है कि भविष्य में प्रत्येक ज़िले में पहले से निश्चित स्थानों के अलावा कम से कम एक अन्य स्थान पर प्रति माह पशु मेले का आयोजन किया जाएगा।
242. हमने पंचायती राज विभाग के बजट में लगभग 27 प्रतिशत की वृद्धि की है, जोकि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता का सूचक है। हम इस वर्ष ग्राम पंचायतों की उनके अपने स्रोतों से आय अर्जित करने की प्रणाली में सुधार लाएंगे ताकि उनकी वार्षिक आय 350.00 करोड़ रूपए से बढ़कर 500.00 करोड़ रूपए तक हो सके।
243. ग्राम पंचायतों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने हेतु ई-पंचायत व्यवस्था लागू की जाएगी। ग्राम पंचायतों द्वारा करवाए जा रहे पक्की गलियों जैसे विकास कार्य अब ई-टैन्डर के माध्यम से ही करवाए जाएंगे।
244. हमारी सरकार पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर दी जाने वाली अनुदान राशि को समय पर दिया जाना सुनिश्चित करेगी। साथ में ऐसे स्थानीय निकाय, जो कि वित्तीय तौर पर सुदृढ़ नहीं हैं उनको विकास कार्यों के लिए समान अनुदान दिया जाएगा। मैंने केन्द्रीय तथा राज्य वित्त आयोग तथा अन्य स्रोतों

की सहायता को मिलाकर हर विधानसभा क्षेत्र में ३०८ एवरेज 80 करोड़ रुपये की दर से 7200.00 करोड़ रुपये वार्षिक धनराशि उपलब्ध करावने का प्रावधान रखा है।

xzkeh.k fodkl

245. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना श्रमिकों को 284 रुपए प्रति दिवस न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2020–21 के लिए 350.00 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।
246. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिल के अंतर्गत कुल चयनित 10 कलस्टरों में 152 गांव 'आमिल किये गये हैं। वर्ष 2019–20 में अब तक कुल 377 कार्य आरम्भ किये गये जिनमें से 32 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा कुल 70.43 करोड़ रुपये की रापी खर्च की जा चुकी है। इस योजना के अंतर्गत वार्षिक योजना 2020–21 के लिए 245.00 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है।
247. दीन दयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 10,040 स्वयं सहायता समूह बनाये गए हैं और 7299 स्वयं सहायता समूहों को 42.58 करोड़ रुपये का Revolving Fund दिया गया है। स्टार्ट–अप विलेज एंट्रेप्रीन्योरीप्रोग्राम का कुल उद्देश्य ग्रामीण उद्यमों को 'जुरु करने और सहायता करने के लिए आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने और गरीबी व बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार के प्रयासों को लागू करना है। इन योजनाओं के अंतर्गत वार्षिक योजना 2020–21 के लिए 200.00 करोड़ रुपये की राशि केन्द्र व राज्य सरकार के हिस्से के रूप में प्रस्तावित की गई है।
248. मैं, इन गतिविधियों के लिए बजट अनुमान 2020–2021 के लिए 6294.79 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ जो संशोधित अनुमान 2019–20 के 5164.36 करोड़ रुपये की तुलना में 21.89 प्रतिशत की वृद्धि है। इसमें ग्रामीण विकास के लिए 879.06 करोड़ रुपये का और विकास एवं पंचायत विभाग के लिए 5415.73 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल है।

iqjkrRo ,oa laxzgky;

249. राज्य की पुरातात्त्विक भव्यता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए, राज्य के सभी हड्डिया स्थलों को दर्शाने वाली एक एटलस और 2020 के लिए हड्डिया मुहर पर एक कैलेंडर प्रकाशित किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में बुद्ध स्तूप को पर्यटन आकर्षण स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य के प्राचीन स्थलों के संरक्षण के लिए पुरानी तहसील बिल्डिंग नूह, लोहारू किले और तावड़ू के मकबरा परिसर को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। इसके अलावा, पंचकूला में एक स्टेट–ऑफ–आर्ट पुरातात्त्विक संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है।
250. हिसार के गांव राखीगढ़ी में एक स्थल संग्रहालय एवं व्याख्या केंद्र निर्माणाधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ मैं केन्द्रीय बजट 2021 में

राखीगढ़ी को देश के एक प्रतिष्ठित स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा करने के लिए माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूँगा। उन्होंने इसके लिए केन्द्रीय बजट में 1000.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

251. मैं बजट अनुमान 2020–21 में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के लिए 119.25 करोड़ रुपये का और अभिलेखागार के लिए 2.63 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित करता हूँ।

[kku ,oa HkwfoKku

252. सरकार ने सतत विकास के सिद्धांतों का पालन करते हुए राज्य के खनिज संसाधनों का व्यवस्थित अन्वेषण और दोहन सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। खनन क्षेत्रों के सीमांकन और भू संदर्भ मानचित्रण के लिए हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के साथ एक समझौता किया गया है।
253. हम अवैध खनन के प्रति जीरो टोलरेंस नीति का पालन कर रहे हैं। वर्ष 2020–21 में सभी खनन स्थलों की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। खनिज रियायत प्रदान करने में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए ई–नीलामी और ई–रवाना बिलिंग प्रणालियों का पालन अनिवार्य किया जाएगा।
254. बजट अनुमान 2020–21 के लिए खान एवं भूविज्ञान विभाग हेतु 111.02 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है, जो बजट अनुमान 2019–20 के 101.55 करोड़ रुपये के परिव्यय से 9.33 प्रतिशत अधिक है।

i;kZoj.k ,oa tyok;q ifjorZu

255. बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए स्कूलों में इको क्लब स्थापित किए गए हैं। इन्हें अब जिला परिषदों के माध्यम से आगे बढ़ाया जाएगा। सभी 22 जिलों में कुल 5250 इको क्लब बनाए गए हैं। आईएमटी मानेसर में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान, पंचकूला में रणनीतिक ज्ञान केंद्र तथा वेटलैंड के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए स्थापित राज्य वेटलैंड प्राधिकरण के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं।
256. राज्य में वृक्ष आवरण जोकि वर्तमान में 6 प्रतिशत है, उसको 10 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा। इसके लिए वन विभाग द्वारा एकत्रित राजस्व को उपयोग में लाया जाएगा।
257. मैं, बजट अनुमान 2020–21 में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए 12.64 करोड़ रुपये का आवंटन करता हूँ जो संशोधित अनुमान 2019–20 में 12.05 करोड़ रुपये था।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वन विभाग के बजट के बारे में जिक्र नहीं किया है। मैं समझता हूँ कि इस बजट में भी 6 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी होनी चाहिए।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में अरावली की पहाड़ियों का बहुत बड़ा मुद्दा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वन विभाग के बजट में कोई प्रोविजन नहीं किया है।

श्री मनोहर लाल : किरण जी, यह बजट नहीं है बल्कि बजट की स्पीच है इसलिए आपको बजट की कॉपी उपलब्ध करवा दी जायेगी।

i;ZVu

258. माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने और हरियाणा को देश का प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने के लिए राज्य में अनेक कदम उठा रही है। “स्वदेशी दर्शन योजना” के तहत, कुरुक्षेत्र में कृष्ण सर्किट की पहचान पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए की गई है। ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर, नरकातारी, सन्नहित सरोवर स्थलों का विकास योजना के भाग के रूप में किया जाएगा।
259. शिवालिक की पहाड़ियों में प्राचीन महत्व के स्थलों जैसे आदि बद्री और लोहगढ़ का विकास किया जाएगा। प्रदेश में सार्वजनिक निजी सहभागिता के तहत एक मैगा एक्वेरियम भी स्थापित किया जाएगा।
260. बजट अनुमान 2020–21 में पर्यटन और संस्कृति विभाग के लिए 59.93 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।

oLrq ,oa lsok dj

261. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे राज्य ने जुलाई से दिसंबर 2019 के बीच वर्ष 2018–19 की इसी अवधि की तुलना में राज्य जीएसटी में 30.15 प्रतिशत की आर्कॉटक वृद्धि और अप्रैल से दिसंबर 2019 के दौरान 18.44 प्रतिशत की कुल वृद्धि दर्शाई है। इसी अवधि के दौरान अखिल भारतीय आंकड़े ने जीएसटी संग्रहण में 4.28 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाई है।
262. जीएसटी लागू होने के बाद कर दाताओं का आधार 1.92 लाख से बढ़ कर 4.51 लाख हो गया है, जो पहले की तुलना में अद्वाई गुना से अधिक है। नए पंजीकृत डीलरों के भौतिक सत्यापन के एक विशेष अभियान के फलस्वरूप, 16,966 फर्जी डीलरों का पता चला और उन्हें विपंजीकृत किया गया। 190 व्यावसायिक संस्थाओं से जुड़े धोखाधड़ी के पंजीकरण और आईटीसी के फर्जी दावे के मामलों में 102 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।
263. जी0एस0टी0 के तहत पंजीकृत व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है। जिसमें कुल 3.13 लाख पंजीकृत कर दाताओं से जुड़े 3.86 लाख व्यक्ति लाभकर्ता होंगे। इस योजना में दुर्घटना में मृत्यु या स्थाई दिव्यांगत होने पर 5 लाख रुपये का बीमा कवर होगा। एक दूसरी योजना मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना शुरू की है, जिसमें 3.13 लाख व्यापारियों के स्टॉक या फर्नीचर के नुकसान की

भरपाई करने के लिए 5 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक का बीमा किया गया है। इन दोनों स्कीमों के लिए सम्पूर्ण प्रीमियम का भुगतान सरकार ने किया है।

'kgjh LFkuh; fudk; foHkkx

264. हमारी सरकार शहरी स्थानीय निकायों के सशक्तिकरण के लिये प्रतिबद्ध है। इसीलिए नगर निगमों के मेयर पद तथा नगर परिषदों व नगरपालिकाओं में प्रधान के पद पर प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान बनाया गया है।
265. उन सभी निकायों को वित्तीय स्वायतता की ओर ले जाने का भी हमारा कड़ा इरादा है। सभी शहरी निकायों को अपने क्षेत्र में वसूले जाने वाले करों/शुल्क की दर को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम एवं न्यूनतम सीमा के बीच कहीं भी तय करने का अधिकार होगा। इनके वित्तीय संसाधनों को सुदृढ़ करने के लिये सम्पत्ति कर एवं अन्य शुल्कों का पुनः आंकलन किया जा रहा है। शहरी स्थानीय निकायों में कार्य के निष्पादन हेतु रिक्त पदों को भरा जायेगा तथा नये पदों का सृजन किया जायेगा। ये भी बहुत सारे विधायकों का सुझाव था, इसलिए जोड़ा भी गया है।
266. स्थानीय निकायों के विकेन्द्रीयकरण के लिये उपयुक्त कदम उठाये जायेंगे तथा जिला स्तर पर ही किसी नामित अधिकारी को उस जिले में स्थित सभी निकायों के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां हस्तान्तरित की जायेंगी। साथ ही विकास कार्यों को करवाने के लिये सभी नगर निकायों की प्रशासकीय एवं वित्तीय शक्तियों में बढ़ोतरी की जायेगी।
267. हमारी सरकार 'विवाद से समाधान' हेतु कृतसंकल्प है। शहरी क्षेत्रों में करदाता को एक मुश्त सम्पत्ति कर जमा करवाने पर वर्ष 2016–17 तक के देय सम्पत्ति कर पर 20 प्रतिशत तक की छूट तथा 100 प्रतिशत ब्याज माफी होगी एवं वर्ष 2018–19 तक के बकाया सम्पत्ति कर पर 100 प्रतिशत ब्याज की माफी दी जायेगी। पिछले तीन वर्षों में समय पर सम्पत्ति कर जमा करवाने बारे नियमित करदाताओं को प्रोत्साहन स्वरूप 10 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। 'आटो डेबिट' के माध्यम से सम्पत्ति कर जमा करवाने पर 5 प्रतिशत की विशेष छूट दी जायेगी। स्वास्थ्य व शिक्षा सुविधायें मुहैया करवाने वाली धर्मार्थ संस्थानों को भी सम्पत्ति कर में विशेष राहत मिलेगी। प्रदेश के समस्त शहरी क्षेत्रों में पानी व सीवर के अवैध कनैक्शन को नियमित करवाने पर रोड कटिंग व कनैक्शन शुल्क माफ किया जायेगा तथा इनके बकाया बिलों के एक मुश्त भुगतान पर 25 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। 20 वर्षों से निगम के मकान एवं दुकानों के किरायेदारों को मालिकाना हक देने की तर्ज पर अब सरकार स्थानीय निकायों की भूमि पर बसे हुये परिवारों को निश्चित मापदण्ड पूरे करने पर मालिकाना हक देगी। नगर सुधार मण्डलों से सम्बन्धित भूमि या दुकानों के मामलों को चिन्हित करके इनकी मलकीयत, स्थानान्तरण, सबलेटिंग, तहबाजारी इत्यादि से सम्बन्धित विवादों का भी समाधान किया जायेगा।

268. अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2020–21 से सभी शहर के सभी मार्गों पर समुचित प्रकाश के लिये एक नई योजना ‘जगमग शहर योजना’ का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अन्तर्गत सभी शहरी क्षेत्रों के लगभग 5 लाख लाईट प्वाईटों को एल.ई.डी. लाईटों से बदला जायेगा।
269. साथ ही, मैं कुछ चुने हुये शहरों के सर्वांगीण विकास के लिये भी ‘मेरा शहर सर्वोत्तम शहर’ नामक एक नई योजना का प्रस्ताव करता हूँ। इस योजना के तहत चयनित किये गये शहरों में आधुनिक जन सुविधाओं जैसे न्यूनतम 18 घण्टे प्रेय जल वितरण, आवारा पशु मुक्त बनाना, पार्कों का आधुनिकीकरण, प्रमुख चौराहों एवं सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था, सार्वजनिक स्थलों पर शौचालयों की व्यवस्था, एक मुख्य सड़क पर बिजली के तारों को भूमिगत करना इत्यादि का प्रबन्ध किया जायेगा। चयनित शहरों को उनकी वित्तीय स्थिति के अनुसार सरकार द्वारा अनुदान दिया जायेगा एवं इसके लिये बजट में उपयुक्त धनराशि का प्रावधान किया है।
270. यद्यपि सरकार का लक्ष्य सभी स्थानीय निकायों को पूर्ण रूप से स्वायत्त बनाना है, इस कार्य में कुछ समय लगने की सम्भावना है। ऐसे सभी वित्तीय रूप से कमज़ोर निकायों में आधारभूत सुविधायें देने के लिये ‘मंगल शहर विकास योजना’ में 200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान करने का प्रस्ताव है।
271. हमारी सरकार समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिये प्रतिबद्ध है। वर्ष 2020–21 से सभी शहरी निकायों को अपने संसाधनों से न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि स्तरम् कालौनियों व अनुसूचित जाति बहुल बस्तियों के विकास कार्यों पर खर्च करना सुनिश्चित किया जाएगा।
272. सीवर की सफाई में लगे कर्मियों की सुरक्षा के लिये हमारी सरकार अत्यन्त संवेदनशील है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि किसी भी स्थिति में सफाई कर्मी को सीवर में उतरना ना पड़े, सभी शहरों में आधुनिक सफाई उपकरण जैसे कि जैटिंग मशीन, सुपर सकर मशीन एवं निजी सुरक्षा उपकरण वांछित मात्रा में तुरन्त उपलब्ध करवाये जायेंगे। सड़क पर सीवर के ढक्कन के खुले होने या टूटने पर गम्भीर दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है, इसे दूर करने के लिये सीवर के ढक्कन को बदलने को ‘सेवा के अधिकार अधिनियम’ के तहत समिलित किया जायेगा।
273. शहरी क्षेत्रों में डेयरी मालिकों द्वारा गोबर डालने के कारण सीवर जाम हो जाता है, इस समस्या के समाधान के लिये शहरी निकायों द्वारा ‘डेयरी टू डेयरी’ गोबर एकत्रित किया जायेगा और इस सेवा के लिये डेयरियों पर उचित शुल्क भी लगाया जायेगा।
274. सभी अनाज मण्डियों में फायर ब्रिगेड की समुचित व्यवस्था की जायेगी। बड़े महानगरों जैसे गुरुग्राम, सोनीपत, पंचकूला, फरीदाबाद इत्यादि में बहुमंजिला ईमारतों की अग्नि सुरक्षा के लिये हाईड्रोलिक प्लैटफार्म उपलब्ध करवाये जायेंगे।
275. शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण एक प्रमुख समस्या है। इसके समाधान के लिये ‘ई-मोबिलीटी’ अभियान चलाया जायेगा जिसके अन्तर्गत पुराने डीजल ऑटो

को ई—ऑटो, ई—रिक्षा, सी0एन0जी0 ऑटो से बदलना, शहरी क्षेत्रों में बिजली—चालित बसों का संचालन, घर—घर से कूड़ा इकट्ठा करने के लिये ई—रिक्षा आदि की व्यवस्था की जायेगी। शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी एवं फड़ी लगाने वाले विक्रेताओं के पुनर्स्थापन के लिये ‘सायंकालीन हाट’ स्थापित किये जायेंगे।

276. मैं शहरी स्थानीय निकायों हेतु वर्ष 2020—21 के लिए 4916.51 करोड़ रुपये का आवंटन करता हूँ। जो गत वर्ष के बजट से 12.76 प्रतिशत अधिक है।

uxj rFkk xzke vk;kstuk

277. पंचकुला, हमारे प्रदेश की राजधानी, चण्डीगढ़, के सबसे निकट शहर के साथ—साथ ट्राईसिटी का एक महत्वपूर्ण शहर, तथा, ‘देवभूमि’ हिमाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार भी है। इसका विकास एन0सी0आर0 के शहरों की तरह होना चाहिए। पंचकुला में हर प्रकार के निवेश को गति देने हेतु हर तरह के नए लाईसेंस तथा सी0एल0यू0 परियोजनाओं के शुल्क को वर्ष 2020—21 और 2021—22 की अवधि के लिए मोहाली में लागू शुल्क के बराबर कर दिया जाएगा।
278. प्रदेश में अभी तक **“fdjk;k vk/kkfjr vkokl”** के महत्व को पूरी तरह से नज़र अदांज किया है। छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों, कामकाज़ी महिलाओं, निम्न/सीमांत आय वर्ग की जरूरतों को पूरा करने के लिए “किराया आधारित आवास” की नीति बनाई जाएगी जिससे वर्ष 2020—21 से इस प्रकार के आवास की उपलब्धता होनी शुरू हो जाएगी।
279. वर्ष 2005 से 2014 तक लगभग 38,000 एकड़ क्षेत्र के लिए लगभग 1,200 लाइसेंस दिये गए जिनमें से अधिकतर परियोजनायें ई0डी0सी0 समय पर नहीं दे पायी, तथा बकाया बढ़ गया। जहाँ लाइसेंस दिये गये, उस क्षेत्र में विकास के लिए, सैक्टर रोड़ तथा ग्रीन बैल्ट की भूमि अधिग्रहित की गई, जिसका मुआवजा लगभग 10 से 15 करोड़ रुपये प्रति एकड़ देना पड़ रहा है जबकि इसका अनुमान इससे कहीं कम था। इसी परिप्रेक्ष्य में, केन्द्रीय बजट में “एक—मुश्त राहत” के तौर पर घोषित **“fookn ls fo'okl”** योजना की रूपरेखा अनुसार शीघ्र ही हम **“lek/kku ls fodkI”** योजना लाएँगे। सरकारी संस्थानों/निगमों में आमतौर पर निर्धारित समय के भीतर भवनों के निर्माण न करने व किस्तों का भुगतान न करने पर आबंटित संपत्तियों को Resume कर लिया जाता है तथा बढ़े हुए मूल्यों पर नीलामी की जाती है। हमारा संपत्ति विक्रय नियमों में संशोधन करने का विचार है ताकि ऐसे प्लॉटों की नीलामी के बाद होने वाले लाभ में उस प्लाटधारक की भी हिस्सेदारी हो। इससे ऐसे मामलों में विभिन्न प्रकार के मुकदमों में भारी कमी आएगी।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, यदि हाउस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: जी हाँ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन की बैठक का समय 15 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2020–21 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करना (पुनरारम्भ)

280. मैं बजट अनुमान 2020–21 में नगर तथा ग्राम आयोजन विभाग के लिए 1561.80 करोड़ रुपये का आवंटन करता हूँ।

vUR;ksn;

281. हरियाणा सरकार अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये पूर्णतया वचनबद्ध है तथा इनके सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास हेतु विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है।
282. मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत लाभपात्रों को शादी से पहले या शादी के दिन ही योजना का लाभ देने के लिए इसका सरलीकरण किया जाएगा।
283. कानूनी सहायता स्कीम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के तहत सभी अनुसूचित जातियों के लोगों को उनके खिलाफ हुए विभिन्न उत्पीड़नों के विरुद्ध दर्ज मुकद्दमों की पैरवी करने के लिए कानूनी वित्तीय सहायता की रात्रि 11000 रुपये से बढ़ाकर 22000 रुपये किया जाएगा। इस स्कीम के प्रचार-प्रसार के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के लोकसभा सदस्यों द्वारा 10–10 तथा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के विधान सभा के सदस्यों की सहायता से 5–5 सैमीनार/जागरूकता अभियान आयोजित किये जाएंगे।
284. मेरा प्रस्ताव है कि वर्ष 2020–21 में अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु आर्थिक सहायता योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यार्थियों को प्रतिष्ठित/चयनित संस्थानों के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी एवं प्रवेत्र परीक्षाओं की तैयारी करने के लिये एक लाख रुपये या 75 प्रतिशत (जो भी कम हो) का भुगतान किया जाएगा।
285. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को उच्चतर शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षाओं व नौकरी के लिये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने हेतु कोचिंग की सुविधा देने के लिये भी मैं एक नई योजना का प्रस्ताव करता हूँ। इस योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष हरियाणा के विद्यालयों में पढ़ने वाले 5000 छात्रों को प्रतिष्ठित संस्थानों में कोचिंग हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।

286. हमारी सरकार समाज में रहने वाले बुजुर्गों, विधवाओं, निःशक्तों, बेसहारा बच्चों व अन्य विशेष”। जरूरत वाले वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करके उनके उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है।
287. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा 28 लाख से अधिक लाभार्थियों को मासिक आधार पर पेंशन, भत्ता, वित्तीय सहायता इत्यादि प्रदान की जा रही है। सरकार के द्वारा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा एवं बेसहारा महिलाओं की पेंशन, दिव्यांग पेंशन, बौना भत्ता, किन्नर भत्ता, तथा लाडली पेंशन योजना के अन्तर्गत मासिक पेंशन की राशि जनवरी, 2020 से 2000 रुपये से बढ़ाकर 2250 रुपये कर दी गई है।
288. निराश्रित बच्चों की वित्तीय सहायता भी 1100 रुपये प्रति मास से बढ़ाकर 1350 रुपये प्रति मास की गई है। स्कूल नहीं जाने वाले निःशक्त बच्चों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 1400 रुपये प्रति मास से बढ़ाकर 1650 रुपये प्रतिमास की गई है। “कश्मीरी प्रवासी परिवारों को वित्तीय सहायता” योजना के तहत 1000 रुपये प्रति मास प्रति सदस्य की राशि को बढ़ाकर 1250 रुपये प्रति मास प्रति सदस्य किया गया है, जिसकी अधिकतम सीमा 5000 रुपये प्रतिमास की बजाय अब 6250 रुपये प्रति परिवार की गई है।
289. वर्ष 2020–21 में सभी जिलों में गैर–सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर वृद्धाश्रम स्थापित किये जाएंगे।
290. मैं बजट अनुमान 2020–21 में समाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के लिए 8770.18 करोड़ रुपये और अनूसुचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए 519.34 करोड़ रुपये का आवंटन करता हूँ।

Iq'kklu esa deZpkfj;ksa dh IgHkkfxrk

291. मेरा मानना है कि सुशासन की परिकल्पना को मूर्त रूप देने में हमारे कर्मचारियों व अधिकारियों की अहम भूमिका है। वर्ष 2020–21 से इनके प्रशिक्षण हेतु एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जाएगा। हर नए भर्ती हुए कर्मचारी को समग्र रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। हर कार्यरत कर्मचारी को अगले तीन वर्षों में हम उसकी आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षित करेंगे। पदोन्नति पर कार्यभार संभालने से पहले भी सभी को प्रशिक्षण लेना होगा। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान को शीर्ष संस्थान के रूप में यह दायित्व सौंपा गया है। इसी प्रकार, पंचायती राज संस्थाओं व नगर निकायों के सदस्यों को भी नियमित रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा।
292. उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए तथा सरकारी कर्मचारियों के अनुभव से फायदा उठाने के लिए, जो सरकारी कर्मचारी 10 वर्ष की सेवा के उपरांत नौकरी छोड़कर अपना व्यवसाय प्रांभ करना चाहेंगे, सरकार उनके बैंकों के द्वारा ऋण लेने पर गांरटी देगी।

izR;k ykHk varj.k

293. माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हाल ही में जारी “प्रत्यक्ष लाभ अंतरण निष्पादन सूचकांक 2019–20” के अनुसार हरियाणा ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण में देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य ने प्रत्यक्ष हस्तांतरण माध्यम से 7,160.08 करोड़ रुपये का अंतरण किया है। राज्य में संचालित 141 स्कीमों के लिए वर्ष 2019–20 में 4.3 करोड़ रुपये का लेन देन हुआ है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से वर्ष 2014–15 से वर्ष 2018–19 तक 1,182.18 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

ISfud ,oa v/kZ ISfud dY;k.k

294. हमारे लिए यह बड़ी गर्व की बात है कि देश का हर 10वां जवान हरियाणा से है। राज्य सरकार सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों व अर्ध सैनिक बलों के जवानों के साथ—साथ उनके परिवारों के कल्याण एवं उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे वीर सैनिकों के द्वारा राष्ट्र के प्रति की गई सेवाओं और उनके महान बलिदानों का सम्मान करते हुए, राज्य सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध विधवाओं को वित्तीय सहायता, सरकारी नौकरियां देने और युद्ध में शहीद हुए वीरों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान और शौर्य अवार्ड व विशिष्ट अवार्ड प्राप्त करने वाले को नगद राशि, उनकी लड़कियों की शादी पर अनुदान, हरियाणा से नये कमीशन्ड अधिकारियों को नकद पुरस्कार जैसी कई स्कीमें चलाई जा रही हैं।
295. मैंने वर्ष 2017 में गठित सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई निम्न स्कीमों के लिए 50.00 करोड़ रुपये बजट में निर्धारित किए हैं :
- (i) सैनिकों और अर्ध सैनिकों के आश्रितों के लिए निशुल्क कौंचिंग स्कीम।
 - (ii) सैनिकों और अर्ध सैनिकों के आश्रितों के लिए उच्च कोटि की शिक्षा स्कीम।
 - (iii) सैनिकों और अर्ध सैनिकों के आश्रितों के लिए एम. फिल. व पी.एच.डी. के लिए फैलोशिप स्कीम।
 - (iv) सैनिकों और अर्धसैनिकों के आश्रितों के लिए कौशल विकास स्कीम।
296. बजट अनुमान 2020–21 के लिए सैनिक एवं अर्ध सैनिक कल्याण के लिए 142.05 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

ukxfjd lalk/ku lwpuK foHkkx

297. नवगठित “नागरिक संसाधन सूचना विभाग” विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान किये जा रहे लाभों और स्कीमों के सम्बन्ध में, विभिन्न विभागों को जोड़ने के लिए एक साझा आंकड़ा आधार एकल तरीके से तैयार करेगा। इस उद्देश्य के लिए राज्य के हर परिवार को ‘परिवार पहचान पत्र’ दिया जाएगा जोकि एक परिवार पहचान होगा। परिवार पहचान पत्र सरकारी लाभों, स्कीमों, सब्सिडियों और सेवाओं की प्रदायगी के लिए एक पहचान पत्र होगा। मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 26 जनवरी, 2020 को इसकी शुरुआत से लेकर

अब तक 10.10 लाख परिवारों का ऑनलाइन पंजीकरण हो चुका है और उन्हें इलैक्ट्रॉनिकली पहचान पत्र दिए जा चुके हैं।

298. सरकार ने एक नई स्कीम 'मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना' शुरू की है। इस स्कीम के तहत जिन परिवारों की सभी संसाधनों से वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये या इस से कम है और भूमि जोत 5 एकड़ या कम है, उन्हें 6000 रुपये वार्षिक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता लाभार्थी के अंशदान के लिए विभिन्न बीमा और पेंशन स्कीमों जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं के लिए दी जाती है। अंशदान के बाद शेष बची राशि लाभार्थी परिवार के खाते में सीधे जमा कराई जाएगी। स्कीम के तहत 26 जनवरी, 2020 को ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया गया है। मुझे सदन को यह सूचित करते हुए अति हर्ष हो रहा है कि 26 फरवरी, 2020 तक 6.55 लाख परिवारों का पहले ही पंजीकरण हो चुका है। इन लाभार्थियों को 31 मार्च, 2020 से पहले अदायगी कर दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय वैसे तो बहुत से विभागों की जानकारी मैंने अपने बजट भाषण में पढ़ी है फिर भी बहुत सी ऐसी योजनाएं और विभाग हैं जिनको बजट भाषण में स्थान नहीं मिला है लेकिन वित्त वर्ष 2020–21 के डिटेल्ड बजट एस्टिमेट्स में उनके बारे में सब कुछ वर्णित है और इन सबके लिए नियत की गई धनराशि का इसमें पूरा उल्लेख है। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, फॉरेस्ट के बारे में कहा गया है कि फारेस्ट कवर को 6 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक बढ़ाया जायेगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि इसको कैसे बढ़ाया जायेगा। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं किरण जी को बताना चाहूँगा कि इस सबके लिए डिटेल्ड बजट एस्टिमेट्स में सब प्रावधान हैं।

उप-मुख्यमंत्री (श्री दुश्यंत चौटाला): अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय सदस्या डिटेल्ड बजट एस्टिमेट्स को पढ़ेगी तो उसमें सारी बातें स्पष्ट हो जायेंगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मेरे सामने बैठे उप-मुख्यमंत्री जी बैठे बैठे बोल रहे हैं मैं उनको कहना चाहूँगी कि सरकार ने तो उनके ग्यारह हजार रुपया बेरोजगारी भत्ते करने की बात को भी नहीं माना है और बावजूद इसके वे बजट का विरोध भी नहीं कर रहे हैं और मुझे बात बता रहे हैं। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल: अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2020–21 के डिटेल्ड बजट एस्टिमेट्स में सब जानकारियां प्राप्त हो जायेंगी। बहुत सी बातें बजट भाषण में रह जाती हैं क्योंकि अगर बजट भाषण में 20–30 प्वॉयंट्स और शामिल कर दिए जाते तो सदन में लगभग 40–45 मिनट का और अतिरिक्त समय लग जाता इसलिए डिटेल्ड बजट एस्टिमेट्स को भी मेरे बजट भाषण का ही अंश समझा जाये और डिटेल्ड बजट एस्टिमेट्स में जो कुछ वृद्धि की गई हैं वह सब कुछ मेरे बजट भाषण का ही पार्ट होगा क्योंकि बजट भाषण डिटेल्ड बजट एस्टिमेट्स के संदर्भ में महज एक भूमिका के तौर पर ही काम करता है। अध्यक्ष महोदय, अंत में बजट भाषण के प्वॉयंट न. 299 के तहत मुझे कौटिल्य के अर्थशास्त्र के इस व्याख्यान का स्मरण हो रहा है:—

अलब्धालनाभार्थ
लब्धपरिरक्षणी रक्षितविवर्धनी
वृद्धस्य तीर्थे प्रतिपादनी च
अर्थात्

जो प्राप्त न हो उसे प्राप्त करना,
जो प्राप्त हो गया उसे संरक्षित करना,
जो संरक्षित हो गया उसे समानता के आधार पर बांटना।

(इस समय मेजें थपथपाई गईं।)

300. माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बजट हमारी प्राथमिकताओं तथा आकांक्षाओं का एक प्रतिबिंब है। हमारा उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाना है तथा प्राप्त निधियों को इस तरह से प्रयोग करना है ताकि इस बजट में घोषित कार्यक्रमों के लाभ आम आदमी तक पहुंचे। मैं इस बजट को हरियाणा के लोगों के कल्याणार्थ प्रस्तुत करता हूँ। हरियाणा एक हरियाणावी एक हमारा मूल मंत्र है। यही भावना प्रदेश को नई उंचाइयों पर ले जाने के लिए हमारे प्रयासों के केन्द्र बिंदू में निरंतर बनी रहेगी। मैं इस सम्मानित सदन के सभी सदस्यों का आभार प्रकट करता हूँ कि वित्त मंत्री के रूप में मेरा भाषण आप सबने बड़े धैर्य के साथ सुना और जो विषय आपने उठाया है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का कि राज्य में जो वृक्ष आवरण वर्तमान में छह प्रतिशत है उसको दस प्रतिशत तक कैसे बढ़ाया जायेगा के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि इसके लिए वन विभाग

द्वारा एकत्रित राजस्व को उपयोग में लाया जायेगा। यह जानकारी भी मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को देना चाहता हूँ।

301. अब मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि आप इस गरिमामयी सदन में बजट प्रस्तावों पर चर्चा व विचार—मंथन करके इन्हें अंगीकार करें। मेरे बजट प्रस्ताव राज्य के कर्मठ लोगों को समर्पित हैं और उनके हित में हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के ओजस्वी नेतृत्व में, हरियाणा सरकार प्रत्येक हरियाणवी की खुशहाली के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगी।

बन सहारा बे—सहारों के लिए,
बन किनारा बे—किनारों के लिये,
जो जीये अपने लिये तो क्या जीये,
जी सके तो जी हजारों के लिए।

302. माननीय अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं वर्ष 2020–2021 के बजट प्रस्ताव सदन के विचार—मंथन और स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूँ। वंदे मातरम्। जय हिन्द। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत लम्बा बजट पढ़ा है। मैं इस विषय पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। वर्ष 2020–21 का बजट प्रस्ताव अभी सदन के विचार—मंथन और स्वीकृति के लिए प्रस्तुत हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट की शुरुआत दो एब्रीवीऐशन सी.एम. और एफ.एम. से की है। सी.एम. तो चीफ मिनिस्टर की एब्रीवीऐशन है और एफ.एम फाइनैस मिनिस्ट्र की एब्रीवीऐशन है। अध्यक्ष महोदय, सी.एम. का मतलब इन्होंने अपने आप को कॉमन मैन बताया है और एफ.एम. का मतलब मैं फेल्ड मैन बताता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पेश किया गया बजट फेल है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब सदन सोमवार, दिनांक 2 मार्च, 2020 दोपहर 2.00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

(तत्पश्चात सभा, सोमवार, दिनांक 2 मार्च, 2020 दोपहर 2.00 बजे
तक के लिए *स्थगित हुई।)

